राजस्थान विधान सभा

२३वीं बैठक, बुधवार, दिनांक ४ अप्रेल, सन् १९५६ ई०

विधान सभा की बैठक सभा भवन, जयपुर, में प्रातः ८ बजकर ४ मिनट पर प्रारम्भ हुई

(श्री नरोत्तमलाल जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

प्रश्न संख्या २६२

राजस्थान में ब्रिगेड जमादार एवं उनकी नियुक्ति के आधार इत्यादि

रावराजा श्री सरदारसिंह—क्या गृह मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) राजस्थान में डिस्ट्रिक्ट वाइज ब्रिगेड जमादारों की पोस्टों पर कितने व्यक्ति नियुक्त हैं ?

(ख) उपरोक्त पद कब और किन आधारों पर क्रियेट किया गया ?

(ग) क्या यह सही है कि ब्रिगेड जमादार एस. आई के स्टार लगाते हैं ?

(घ) अगर हां, तो उनके क्या कार्य हैं तथा उनका क्या ग्रेड है ?

(ङ) क्या उनको रिफ्रेशर्स कोर्स में भेजा जाता है ?

(च) अगर हां, तो अब तक कितने भेजे गये तथा उनमें से कितनों को एस. आई बनाया गया और कितनों को किन पोस्टों पर वापिस रिवर्ट किया गया ?

श्री रामकिशोर व्यास (गृह मंत्री)—(क) ब्रिगेड जमादारों की लिस्ट इस प्रकार है :

जयपुर	३८
अलवर	२१

Page No 2

[श्री रामकिशोर व्यास]

भरतपुर	११
झुंझुनु	५
सीकर	८
सवाई माधोपुर	६
टोंक	६
कोटा	२३
बूंदी	१०
झालावाड	६
जोधपुर	१५
जालोर	५
नागोर	११
पाली	६
बाड़मेर	५.
जैसलमेर	२.
सिरोही	७.
बीकानेर	१५.
गंगानगर	१०.
चूरु	६.
उदयपुर	३५
भीलवाडा	१४.
बांसवाडा	७.
डूंगरपुर	७
चित्तोड़	१६.
रेल्वेज़	१२.
सी. आई. डी.	८.
ए. सी. ब्रांच	२.
	३२२.

(ख) ग्रेड जमादार का कोई स्वीकृत पद नहीं है। आई. जी. पी. ने इस अवैतनिक (आनरेरी) रैंक का निर्माण किया। इस पद के लिये प्रत्येक जिले के हैड कॉन्सटेबिलों की १०प्रतिशत

Page No 3

[श्री रामकिशोर व्यास]

संख्या नियत की गई है। इस पद का निर्माण पुलिस में असन्तोष दूर करने तथा साथ ही साथ हैडकॉन्सटेबिलों में अच्छा कार्य करने की प्रेरणा उत्पन्न करने के लिये किया गया है।

(ग) जी नहीं। इनके केवल एक स्टार लगता है।

(घ) यह सब-इन्सपेक्टर का काम करते हैं तथा इनका हैडकॉन्सटेबिल का ही ग्रेड होता है।

(ङ) जी हां।

(च) अब तक १२६ व्यक्तियों को रिफ्रेशर कोर्स के लिये भेजा गया।

(छ) १२ ब्रिगेड जमादारों को ओफिशियेटिंग सब इन्सपेक्टर बनाया गया। इनमें से ७ को वापस बी. जे. बनाया गया।

श्री सरदारसिंह—क्या टोंक में कोई जमादार नहीं हैं।

श्री रामकिशोर व्यास—मैंने बताया कि टोंक में ६ आदमी हैं। मैंने पढ़ा है।

श्री सरदारसिंह—उनमें से किन किन को भेजा गया ?

श्री रामकिशोर व्यास—इसके लिये अलग प्रश्न पूछिये।

प्रश्न संख्या २६३

श्री प्रभुदयाल—क्या कृषि मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या बीकानेर वेटेरीनरी कॉलेज में गार्डन की व्यवस्था है ?

(ख) अगर हां, तो बजट में कितना प्रोवीजन है ? नहीं, तो क्यों ?

श्री भोगीलाल पंड्या—(क) हां

(ख) अभी कोई रुपया बजट में स्वीकृत नहीं है। पी. डब्ल्यु. डी. से बात-चीत चल रही है।

Page No 4

श्री प्रभुदयाल—यह कार्यवाही कब तक समाप्त हो जावेगी ?

श्री भोगीलाल पंड्या—मैं निश्चित समय तो नहीं बता सकता, लेकिन जहां तक हो सकेगा जल्दी ही होगा।

श्री प्रभुदयाल—जब वेटेरीनरी कॉलेज खोला तो इसके लिये प्रोविजन बजट में क्यों नहीं रखा गया,

श्री भोगीलाल पंड्या—इसके लिये १० हजार रुपये की मांग की गई है और इसके लिये कार्यवाही चल रही है।

श्री प्रभुदयाल—क्या यह बात सही है कि पहले बीकानेर में बहुत अच्छा गार्डन था और उसको अब जान-बूझ कर बरबाद किया जा रहा है।

श्री भोगीलाल पंड्या—ऐसी बात नहीं है। होर्टीकल्चर कालेज खोलने के बाद बन्द कर दिया गया।

श्री प्रभुदयाल—क्या वेटेरीनरी कालेज के लिये गार्डन की सरकार आवश्यकता नहीं समझती है ?

श्री भोगीलाल पण्ड्या—जरूर समझती है और समझती है तभी तो गार्डन के लिये रुपयों की मांग की है।

श्री प्रभुदयाल—जब जरूरत समझती है तो फिर बजट में प्रोविजन क्यों नहीं रखा गया और जिन्होंने प्रोविजन नहीं रखा उनके खिलाफ सरकार क्या कोई कार्यवाही करेगी ?

श्री भोगीलाल पण्डया—खिलाफ कार्यवाही करने की कोई जरूरत नहीं है। पहले दूसरे विभाग से व्यवस्था थी और अब वेटरनेरी कॉलेज की तरफ से।

श्री प्रभुदयाल—क्या यह सही है कि इसका विशेष प्रबन्ध होना चाहिये था और इसके लिये ढिलाई बरती गई ?

श्री भोगीलाल पण्डया—सभी जगह इसका प्रबन्ध होना चाहिये।

श्री गुरुदयालसिंह सिंधु—क्या यह सही है कि अगर इसका जल्दी प्रबन्ध कर दिया गया तो गार्डन बरबाद होने से बच जायगा इसलिये जल्दी प्रबन्ध नहीं किया जा रहा है ?

श्री भोगीलाल पण्डया—नहीं ऐसी बात नहीं है। वहाँ के बच्चे बड़े उत्साही हैं और श्रम दान से इसकी व्यवस्था कर रहे हैं। इसलिये बजट में कोई प्रवोजन नहीं रखा।

श्री प्रभुदयाल—आपने बताया कि गार्डन को मेन्टेन करने के लिये व्यवस्था है, कौन कौन से ऑफीसर किस किस जगह पर काम कर रहे हैं ?

श्री भोगीलाल पण्ड्या—मैंने कहा कि विद्यार्थी श्रम दान से इसकी व्यवस्था कर रहे हैं बजट में कोई प्रोविजन नहीं है।

श्री गुरुदयालसिंह सिंधु—क्या सरकार को इससे संतोष है ?

[घंटी]

श्री प्रभुदयाल--क्या यह सही नहीं हैं कि किसी ने भी श्रम दान नहीं दिया. इसकी क्या सरकार जांच करेगी ?

श्री भोगीलाल पण्डया--अगर किसी ने श्रम दान नहीं दिया तो फिर वहां पर हरियाली कैसे है ? हरियाली से ही मालूम होगा कि वहां काम हो रहा हैं ।

श्री प्रभुदयाल--मैं अपनी जानकारी से कह सकता हूँ कि पहले से वहां पर चार आना भी गार्डन नहीं रहा है।

श्री भोगीलाल पंड्या--पहले आप कहते थे कि कोई प्रबन्ध नही है, अब आप ४ आने की जगह पर तो आये हैं और फिर धीरे धीरे आगे भी आवेंगे और कहेंगे कि सरकार व्यवस्था कर रही है ।

श्री हिम्मतसिंह--क्या जितने पार्क और गार्डन्स हैं सरकार द्वारा मेन्टेन किये जाते हैं ।

श्री प्रभुदयाल--आपने जैसा फरमाया कि मैं चार आने पर तो आ गया, यह बाग जो सब से अच्छा बाग था, क्या सरकार इसको रेगिस्तान के रूप में देखना चाहती है ?

श्री भोगीलाल पंड्या--सबसे अच्छा रहेगा या क्या होगा, यह मैं नहीं कह सकता। जिस प्रकार की व्यवस्था हम कर सकते हैं करेंगे ।

श्री प्रभुदयाल--अब कब तक व्यवस्था हो जायगी ?

(घन्टी)

प्रश्न संख्या २६४

ग्राम पंचायत सरूंज त. अराई द्वारा ग्राम गांगूदा से मवेशियों से चराई वसूली पर ग्राम वासियों की शिकायतें

श्री चांदमल मेहता--क्या स्वायत शासन मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :--

(क) ग्राम पंचायत सिरूंज (त. अराई) द्वारा ग्राम गांगूदा के मवेशियों से दिसम्बर, १६५५ और जनवरी १६५६ के महीने में कुल कितने रूपये चराई के वसूल किये गये ?

(ख) ग्राम गांगूदा के किसानों ने एस. डी. ओ. किशनगढ़ और चीफ पंचायत ऑफीसर के पास सिरूंज ग्राम पंचायत के खिलाफ कितने आवेदन पत्र प्रेषित किये ।

(ग) उक्त प्रार्थना पर क्या कार्यवाही की गई ?

(घ) पंचायत ने कितने समय तक मवेशियों को रोके रखा और कितना जुर्माना वसूल किया ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—(स्वायत्त शासन मंत्री)—(क) १६ रुपये।

(ख) ऐसा एक आवेदन प्राप्त हुआ था।

(ग) मूल प्रार्थना पर ही पंचायत को यह आदेश दिया गया था कि वह नियमानुसार उचित कार्यवाही कर मवेशियों को छोड़ने की व्यवस्था करे।

(घ) दिनांक २८-१२-५५ की शाम के ५ बजे से दिनांक ३१-१२-५५ को सुबह ११ बजे तक मवेशियों को रखा एवं १६ रुपया जुरमाने का वसूल किया।

प्रश्न संख्या २६५

जयपुर जिले हेतु प्रथम पंच वर्षीय योजना में रखी गई सड़कें

श्री सोहनलाल भटनागर—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) उदयपुर जिले के लिये प्रथम पंच वर्षीय योजना में रखी गई कौन कौन सी सड़कें कितनी कितनी अधूरी हैं ?

(ख) ये पूरी कराने में कितना और समय लगेगा ?

श्री रामचन्द्र चौधरी (सार्वजनिक निर्माण मंत्री)— (क) जो सड़कें प्रथम पंच वर्षीय योजना में आरम्भ हुई और अभी अधूरी अधूरी रह गई उनकी सूची माननीय सदस्य को दिखला दी गई है।

(ख) यह द्वितिय पंच वर्षीय योजना पर निर्भर करता है कि किस किस सड़क को प्राथमिकता मिलेगी।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

श्री सोहनलाल भटनागर—प्रथम पंच वर्षीय योजना में जितनी रकम सड़कों के लिये रखी गई, क्या वह तमाम खर्च कर दी गई हैं ?

श्री रामचन्द्र चौधरी—सारी रकम खर्च नहीं हुई है, कुछ कहीं कहीं की बाकी है लेकिन बहुत सी जगह पूरी रकम भी खर्च होगई है।

श्री सोहनलाल भटनागर—जब प्रथम पंच वर्षीय योजना में सड़कों के लिये जो रकम खर्च होनी थी अभी तक उसमें से भी बाकी है, तो फिर दूसरी रकम मिलने का प्रश्न ही कहां उठता है ?

श्री रामचन्द्र चौधरी—राजस्थान में सड़कों के निर्माण के लिये कई चीजों की कमी रही है जैसे रो रोडलर्स का न मिलना, ये ऐसी चीजे हैं जिनके न मिलने से कई सडकें अधूरी रही हैं लेकिन ज्यादातार सडकें पूरी हो चुकी हैं।

प्रश्न संख्या २६६

जनवरी १६५५ के पश्चात् हुई डकैतियों का पकड़ा जाना एवं माल बरामदगी

श्री चांदमल मेहता—क्या गृह मन्त्री निम्न लिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) १ जनवरी, सन् १६५५ के बाद राजस्थान में कुल कितनी डकैतियां हुई ?

(ख) उक्त डकैतियों में कुल कितने रुपये का माल लूटा गया और उसमें से कुल कितनी बरामदगी हुई ?

(ग) ऐसी कौन कौन डकैतियां हैं जिनमें बरामदगी बिल्कुल नहीं हुई है ?

(घ) १ जनवरी, १६५५ के बाद कुल कितने डाकू पकडे गये और कितनों को सजा दी गई ?

श्री रामकिशोर व्यास (गृहमंत्री)—(क) ३१-१-५६ तक राजस्थान में कुल ३०१ डकैतियां हुई।

(ख) इन डाकों में रु,४,६०,३८३।१४।३ की सम्पत्ति लूटी गई तथा रुपये १,०५,४१३।१।० के मूल्य की सम्पत्ति बरामद की गई।

(ग) यह सूचना अभी प्राप्त नहीं हो सकी है।

(घ) २४५ डाकू गिरफ्तार हुए। कितने डाकुओं को सजा हुई, यह सूचना अभी प्राप्त नहीं हो सकी है।

श्री चांदमल मेहता—(ग) भाग का जवाब नहीं आया।

श्री रामकिशोर व्यास—जवाब दिया कि सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि बरामदगी बहुत कम हुई है।

श्री रामकिशोर व्यास—मैंने दोनों फिगर्स आपके सामने रख दिये हैं।

श्री अध्यक्ष—This is a matter of calculation

श्री चांदमल मेहता—बरामदगी कम होने के कारणों की जांच किसी अधिकारी द्वारा करवाई गई क्या ?

श्री रामकिशोर व्यास—आई. जी. पी को कहा गया है कि वे इस बारे में जांच करें।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि जांच करने के दौरान में यह पाया गया कि बरामदगी की रकम पुलिसवाले आपस में बांट लेते हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास—ऐसी कोई जानकारी मुझे नहीं है।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है किशनगढ़ सब डिवीजन में जो डकैतियां हुई उनमें नहीं के बराबर बरामदगी हुई ?

श्री रामकिशोर व्यास—इसके बारे में आप अलग से सवाल पूछेंगे तो उत्तर दिया जा सकता है।

श्री अध्यक्ष—किशनगढ़ के बारे में तो आपको बिना पूछे ही तैयार होकर आना चाहिये था।

(हंसी)

श्री चांदमल मेहता—अभी तक जो सूचना आपको नहीं मिली कि कहां कहां कि कितनी कितनी बरामदगी बाकी है क्या इसको विभागीय शिथिलता नहीं मानी जाय ?

श्री रामकिशोर व्यास—जहां जहां की बरामदगी हुई उसकी सूचना मैंने आपको देदी है और किस किस जगह की नहीं हुई उसकी लम्बी सूची है उसके लिये लम्बा प्रोसीजर है, इसलिये इसकी सूचना प्राप्त नहीं हो सकी।

श्री चांदमल मेहता—जब कि आपने जितना माल बरामद हुआ और लूटा गया उनकी सूची तो दे दी लेकिन जिन डकैतियों की बरामदगी नहीं हुई उसके बारे में किसी प्रकार की सूचना नहीं इसके क्या कारण हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास—रिकवरी के फीगर्स अलग रहते हैं।

श्री चांदमल मेहता—क्या माननीय मन्त्री इस बात की जांच करायेंगे कि जिन डकेतियों में बिल्कुल बरामदगी नहीं हुई उसके पीछे क्या कारण है ?

श्री रामकिशोर व्यास—आई० जी० पी० को रिकवरी पर ज्यादा ध्यान देने के लिये कहा गया है।

प्रश्न संख्या २६७

बाड़मेर म्युनिसिपलिटी बोर्ड के अध्यक्ष के विरुद्ध चुनाव याचिका एवं दुबारा चुनाव

श्री जवानसिंह—क्या स्वायत्त शासन मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) क्या बाड़मेर म्युनिसिपल बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष के विरुद्ध उक्त बोर्ड के तीन सदस्यों ने चुनाव याचिका प्रस्तुत की थी तथा एडीशनल कमिश्नर जोधपुर ने उक्त याचिका के आधार पर यह रिपोर्ट दी थी कि चुनाव में कई महत्वपूर्ण अनियमिततायें बर्ती गई हैं इसलिये चुनाव दुबारा कराया जाय ?

(ख) यदि हां, तो क्या कारण है कि अभी तक दुबारा चुनाव का हुक्म नहीं दिया है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वायत्त शासन मंत्री)— (क) हां, चुनाव याचिका प्रस्तुत की गई थी किन्तु अतिरिक्त कमिश्नर ने ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं की। उस ही की रिपोर्ट पर याचिका खारिज की गई और सभापति (चेयरमेन) का चुनाव सही घोषित किया गया।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

श्री जवानसिंह—एडीशनल कमिश्नर ने रिपोर्ट क्या की, यह आप बता सकते हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—वह रिपोर्ट मेरे पास है आप देख सकते हैं। उनका चुनाव ठीक हुआ है।

प्रश्न संख्या २६८

राजस्थान के मुहाफिजों की परीक्षा एवं परीक्षाफल

श्री चांदमल मेहता—क्या सिंचाई मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

Page No 10

[श्री चांदमल मेहता]

(क) राजस्थान में मुहाफिजों की संख्या कितनी है ?

(ख) चालू वर्ष में कितने मुहाफिज परीक्षा में बैठे थे और उनमें से कितने उत्तीर्ण घोषित किये गये ?

(ग) परीक्षक किनको नियुक्त किया गया ?

(घ) परीक्षा के लिये कुल कितने पर्चे कितने कितने नम्बर के थे और कितने नम्बर से पास किये गये ?

(ङ) ऐसे कौन कौन मुहाफिज हैं जो लिखना नहीं जानने के बावजूद भी उत्तीर्ण घोषित किये गये हैं ?

(च) ऐसे कौन कौन मुहाफिज हैं जो मेनस्यूरेशन में २५ नम्बर आने पर पास किये गये हैं ?

(छ) ऐसे कौन कौन मुहाफिज हैं जिनको मेनस्यूरेशन में २५ नम्बर मिलने पर भी असफल घोषित किया गया है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—(सिंचाई मंत्री की ओर से) (क) १८८।

(ख) इस वर्ष १६७ मुहाफिज परीक्षा में बैठे थे और उनमें से १०२ उत्तीर्ण घोषित किये गये।

(ग) परीक्षक अधिशासी अभियन्ता (एक्जीक्युटिव इंजीनियर) थे।

(घ) परीक्षा में एक ही लिखित परचा था जिसके भिन्न भिन्न खण्ड थे उनके पास होने के लिये नम्बर निर्धारित थे। नम्बर सूची इस प्रकार है—

विषय	पूरे नम्बर	पास नम्बर
गणित, जोड़ बाकी, भागाकार, गुणा रुपया आना पाई, बीघा, बिस्वा, एकड़ का साधारण तथा मिश्रित मेनस्यूरेशन, कोण, त्रिकोण, षटकोण साधारण क्षेत्रों का क्षेत्र फल निकालना, तालाबी का आयतन निकालना, पेड़ों का तोल निकालना, आदि।	७५	३५

[श्री भोगीलाल पंड्या]

	विषय	पूरे नम्बर	पास नम्बर
(२)	शुद्ध लेख	५०	३०
(३)	सिंचाई नियम	५०	२५
(४)	गजरे या नकशे खींचना । प्रमाण एक नकशे पर नहर के घोरे की लाइन डाल कर बताना या एक खेत की सीमा दिखलाना, इत्यादि ।	५०	२०
(५)	मांग विवरण । परचे खतोनी मांग पानी प्रोग्राम इत्यादि बनाना	५०	२०
(६)	अन्य विषय प्रमाण मोहाफिज मोहरिमों की कर्तव्य से पूरी जानकारी, नहर, बांध इत्यादि की देख रेख सामान की हिफाजत आदि	५०	२०
(७)	सिंचाई नियम जो समय समय पर निर्धारित होते रहे हैं उनकी जानकारी रखना ।	५०	२०
(८)	सर्वे स्यानी पैमाइश और इन्टरव्यू कन्धे प्लाट व गुणिया का प्रयोग आदि	१००	४०

(ड.) कोई नहीं ।

(च) क्योंकि मेनस्यूरेशन व गणित एक ही विषय था वे सब परीक्षार्थी पास कर दिये गये जिनको योग नम्बर ३५ मिल गये थे ।

(छ) इसका प्रश्न उत्तर 'च' को देखते हुए नहीं उठता ।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि मुहाफिजों की परीक्षा में पक्षपात और भ्रष्टाचार चला है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—मुझे इसकी जानकारी नहीं। अगर आप आप जानकारी देंगें और वह ठीक होगी तो कार्यवाही की जायगी ।

श्री चांदमल मेहता—मुहाफिजों की परीक्षा के सम्बन्ध में गड़बड़ होने के सम्बन्ध में सरकार द्वारा कोई जांच कराई गई ?

श्री भोगीलाल पंड्या—अगर कोई शिकायत करता है तो जांच होती रहती है ।

Page No 12

श्री चांदमल मेहता—क्या यह बात माननीय मंत्री महोदय के ख्याल में है कि जिस समय राजप्रमुख के भाषण पर वाद-विवाद हुआ था उस समय इस सम्बन्ध में प्रकाश डाला गया था और मुख्य मंत्री ने जांच कराने के लिये कहा था ?

श्री भोगीलाल पंड्या—जहां कहीं गड़बड़ी होती है तो उसकी जांच कराई जाती है।

श्री चांदमल मेहता—मेरा प्रश्न यह है जांच कराई गई या नहीं ?

श्री भोगीलाल पंड्या—जांच के लिये जब कहा गया है तो जांच कराई जा रही होगी।

श्री चांदमल मेहता—किस अधिकारी द्वारा जांच कराई जा रही है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—मुझे नाम तो याद नहीं है, आप अलग से पूछेंगे तो जानकारी करके नाम बता दिया जायगा।

श्री चांदमल मेहता—मैंने ज्ञानसिंह के लिये खास तौर से निवेदन किया था कि ये व्यक्ति हैं जो लिखना पढ़ना तक नहीं जानते, इनको भी पास कर दिया गया ?

श्री भोगीलाल पंड्या—आपने सूचना दी है अगर इसमें तथ्य होगा तो जांच करने बाद अगर इस प्रकार की गड़बड़ी होगी तो सजा दी जायगी।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि विधान सभा में प्रश्न उठाने के बाद श्री ज्ञानसिंह को सुपरिन्टेन्डिंग इन्जीनियर ने अपने बंगले में कैद रखा है और उसको पढ़ाया लिखाया जा रहा है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—यह तो आप जानकारी दे रहे हैं।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि इन मुहाफिजों ने अपने मार्क्स शीट मांगे फिर भी इनको मार्क्स शीट नहीं दिये गये ?

श्री भोगीलाल पंड्या—जिस प्रकार दूसरी परीक्षाओं के कोई मार्क्स मांगता है तो वह दिये जाते हैं उसी प्रकार इसकी भी सूचना दे दी गई थी, नियमानुसार जो कुछ भी कार्यवाही हो सकती थी की गई।

श्री चांदमल मेहता—क्या मुहाफिजों को मार्क्स तक नहीं बताये गये यह सही है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—आप चाहे तो सूचना दे सकते हैं कितने मार्क्स आने चाहिये।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि मुहाफिजों को यह सूचना पहले नहीं दी गई थी कि कितने मार्क्स मिलने पर पास किया जायगा ?

श्री भोगीलाल पंड्या—मैंने अभी प्रश्न के जवाब में बताया कि कितने मार्क्स चाहिये जिसमें पास हो सकते हैं, उसी प्रकार अगर किसी ने पहले जानना चाहा होगा तो नियमानुसार जानकारी दे दी गई होगी।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह बात सही है कि इतने प्रतिशत नम्बर प्राप्त करने पर पास करेंगे यह सूचना उनको पहले नहीं दी गई ?

श्री भोगीलाल पंड्या—यह सूचना देने की जरूरत ही क्यों पेश हो जब कि किसी ने सूचना मांगी ही नहीं। यदि किसी को इस सूचना की जरूरत होती तो वह अवश्य मांग करता, मेरे ख्याल से वह बता भी दी जाती।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि विधान सभा में प्रश्न जब उठाया गया तो इसके बाद कापियां बदल दी गई और नम्बरों में भी रद्दोबदल किया गया ?

श्री भोगीलाल पंड्या—आप ऐसी बातों पर ख्याल मत दीजिये। ऐसी बातें हुआ नहीं करतीं। न ऐसी बातें आपको कहनी ही चाहिये जिससे भ्रम पैदा हो। ऐसी कोई बात नहीं हुई।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि प्रश्न यहां सदन में पूछने के बाद अलग अलग पत्रों के अलग अलग क्राइटेरिया निर्धारित किया गया ?

श्री भोगीलाल पंड्या—नहीं, वह तो पहले से ही तय होता है। अगर यह तय नहीं होता तो १६७ में से १०२ पास कैसे होते। आपका क्या यह मतलब है कि सदन में प्रश्न पूछे जाने के बाद पास को फेल और फेल को पास कर दिया गया होगा ? अगर ऐसा आप सोचते हैं तो वह आपका सोचना ठीक नहीं है।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि जो अलग अलग खंड हैं उनके लिये पास मार्क्स का अलग अलग क्राइटेरिया है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—जी हां, और इसी के अनुसार कार्यवाही की गई है।

श्री चांदमल मेहता—यह अलग अलग क्राइटेरिया मुकर्रर करने का क्या कारण है, जब कि एक ही प्रश्न पत्र है और एक ही खंड है उसमें किसी में ३० प्रतिशत, किसी में ४० प्रतिशत और किसी में ५० प्रतिशत मार्क्स का क्राइटेरिया क्यों रक्खा गया ?

श्री भोगीलाल पंड्या—यह तो आवश्यक होता है। किसी काम के लिए जैसे इन्जीनियरिंग के लिए जाने वालों के लिये उससे सम्बन्धित विषय में अधिक मार्क्स चाहिये, बाकी में उसके लिए कम में भी काम चल सकता है, डाक्टरी में जाने वाले के लिए साइन्स में ज्यादा नम्बर होना जरूरी है, बाकी में उसके लिए कम में काम चल सकता है, इसी तरह किसी के लिए मैथमैटिक्स में ज्यादा नम्बर होने जरूरी होते हैं, तो यह सब जरूरी है। इसके अलावा जहां जिस प्रकार के काम की जरूरत होती है वहां उस काम के लिए नम्बर का ज्यादा पर्सेन्टेज होना जरूरी होता है ताकि उस काम में वह आदमी ज्यादा उपयोगी हो सके।

श्री चांदमल मेहता—क्या आप इस सम्बन्ध में निष्पक्ष जांच कमीशन बिठाने के लिये तैयार हैं कि इसमें नीचे से ऊपर तक कितने अधिकारी और कर्मचारी इसमें गड़बड़ी करने में शामिल हैं?

श्री अध्यक्ष—ऑर्डर प्लीज! नेक्सट

प्रश्न संख्या २६६

राजस्थान निर्माण के पूर्व एवं पश्चात् सिंचाई की दरें

श्री सोहनलाल—क्या सिंचाई मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे—

(क) राजस्थान निर्माण के पूर्व व बाद में अब तक सिंचाई की दरें विभिन्न जिलों में में क्या क्या थीं?

(ख) अभी जो दरें बढ़ाई गई हैं उससे कितने प्रतिशत बढ़ोतरी होती है?

(ग) क्या जिन जमीनों पर वक्त पैमायश पीवल लगान लगा हुआ है उनको लिये भी पिलाई की वे ही दरें ली जायगीं जो कि बारानी जमीन के लिये वसूल होंगी।

(घ) क्या जिन तालाबों का निर्माण सन् १६५२ से पहले हुआ है और केवल नहरें सन् १६५२ के बाद में निकाली गई हैं उनसे पिलाई करने की सूरत में नई दरों के हिसाब से पिलाई वसूल की जायगी?

श्री भोगीलाल पंड्या—(सिंचाई मंत्री की ओरसे) (क) राजस्थान की अधिकतर रियासतों में सिंचाई दरें लेण्ड रेवेन्यू के साथ ही ली जाती थीं, सिर्फ जयपुर, जोधपुर व बीकानेर राज्यों में सिंचाई दरें अलग थीं जिनकी सूची संलग्न है। राजस्थान निर्माण के बाद जो सिंचाई दरें सरकार ने स्वीकृत कीं उसकी प्रतिलिपि संलग्न है।

Page No 15

[श्री भोगीलाल पंड्या]

(ख) २५ प्रतिशत से ७० प्रतिशत ।

(ग) नई रेटें नये कामों पर लगाई गई हैं जहां पहले पीवल जमीन थी ही नहीं अतः इस प्रश्न के उत्तर का सवाल नहीं उठता ।

(घ) हां ।

(कृपया परिशिष्ट ३ देखिये)

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—गंगानगर जिले में रेटें किस तरह से बढ़ाई गई ?

श्री भोगीलाला पंड्या—किस तरह बढ़ाई गई या क्या बढ़ाई गई है ?

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—किस परसेन्टेज से बढ़ाई गई ?

श्री भोगीलाल पंड्या—परसेन्टेज का सवाल नहीं है वहां। पहले इसके लिये इस सदन में भी चर्चा चली थी और आन्दोलन भी इस बारे में चला था जिसके अनुसार हरेक वस्तु पर यह रेट अलग अलग हिसाब से निर्धारित की गई थी। जैसे गन्ने पर इतनी, जो पहले थी उससे उसमें कुछ कमी हुई, अन्य वस्तु पर इतनी थी वह कुछ कम हुई और फिर किसी अन्तिम निर्णय पर पहुंचे और वे अन्तिम रेटें हो गई ।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—मैं पूछता हूं किस पर्सेन्टेज पर बढ़ाई गई ?

श्री भोगीलाल पंड्या—परसेन्टेज पर नहीं बढ़ाई गई । हर किस्म को देखा, आस पास की रेटें देखीं और एक निर्णय के अनुसार वे कम की जाकर तय की गई ।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—ये जो कुछ भी बढ़ी घटी हैं वे किस परसेन्टेज से बढ़ी घटी हैं ।

श्री भोगीलाल पंड्या—यह अलग से सवाल करेंगे तो निकाल कर बता देंगे । हरेक का परसेन्टेज निकाल कर बता देंगे ।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—भाखरा सैक्शन गंगानगर में किस रेट से दरें बढ़ाई गई ?

श्री भोगीलाल पंड्या—मैं निश्चित तौर से नहीं बता सकूंगा, पर जब आगे मौका आवेगा तब निर्णय किया जावेगा ।

श्री सोहनलाल—तालाबों पर रकम अधिक खर्च होती है या नहरों पर ?

श्री भोगीलाल पंड्या—कहीं नहरों पर और कहीं तालाबों पर जैसे आपके जयसमन्द पर तालाब बन गया उस वक्त उस पर खर्च ज्यादा हुआ था। अब उस पर खर्च नहीं है अब नहरों पर है।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—भाखरा पर जो दरें होंगीं वे ५२ से पहले वाली समझी जावेंगी ?

श्री भोगीलाल पंड्या—यह अलग से सवाल पूछियेगा।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—इसमें साफ है कि ५२ से पहले वाली मानते हैं।

श्री भोगीलाल पंड्या—मैंने सुना नहीं।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—भाखरा के अन्दर एक नहर है शिशोपाई। उस पर ५२ से पहले वाली रेंट लगाई जावेगी या बाद की ?

श्री भोगीलाल पंड्या—यह तो सरकार की पालिसी की बात है। जब लगेगा तब मालूम हो जावेगा।

श्री सोहनलाल—आपने अपने उत्तर में बताया कि २५ से ७० प्रतिशत तक दरें बढ़ा हैं पर कहीं कहीं ये सौ प्रतिशत तक भी बढ़ी हैं, क्या यह सही नहीं है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—पहले तो उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में सिंचाई के साधनों की बडी कमी है। उन पर सिंचाई की दरें लागू नहीं हैं। तो उनका कोई परसेन्टेज का सवाल नहीं। इर्रिगेशन की रेटें कहीं कहीं तय थीं। इसलिये वहां का परसेन्टेज का सवाल ही नहीं आया। वहां पर इर्रिगेशन की अलग रेटें हैं।

श्री सोहनलाल—क्या जयसमन्द के लिये अलग रेटें नहीं थी ?

श्री भोगीलाल पंड्या—नहर निकाली तब अलग रेट कर दी, बाकी अलग नहीं थी।

प्रश्न संख्या ३००

तहसील पंचायतों में और ग्राम पंचायतों में निर्वाचित हरिजन

श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री—क्या स्वायत्त शासन मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

Page No 17

[श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री]

(क) तहसील सांगानेर, जयपुर, चाकसू और बसी के अन्तर्गत अब तक कितनी ग्राम पंचायतें चल रही हैं ?

(ख) उपरोक्त तहसीलों में किस किस ग्राम पंचायत में हरिजन निर्वाचित होकर आये ?

(ग) जिन जिन ग्राम पंचायतों में हरिजन निर्वाचित होकर नहीं आये उनमें किस किस हरिजन को नामजद किया गया है ?

(घ) अन्य ग्राम पंचायतों में हरिजन अब तक नामजद न किये जाने का क्या कारण है ?

(ङ) जिन जिन ग्राम पंचायतों में इतने अरसे तक हरिजन प्रतिनिधि नामजद नहीं किये गये हैं उनमें कब तक नामजद किये जायेंगे ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वायत्त शासन मंत्री)—(क) तहसील सांगानेर १५

तहसील जयपुर ६

तहसील चाकसू १२

तहसील बस्सी १४

(ख) निम्नलिखित ग्राम पंचायतों में हरिजन पंच चुने गये हैं:—

तहसील सांगानेर—पंचायत सांगानेर, लून्यावास, श्योपर, दुर्गापुरा, बगरू, मुहाना तथा गोनेर।

तहसील जयपुर—पंचायत झोटवाड़ा, बेगस, बलवाड़, सिरसी व धानकिया।

तहसील चाकसू—पंचायत झडवासी, कोथून, वाटिका, निम्बोडिया कोटखावदा।

तहसील बस्सी—पंचायत घनाऊ, कलां, समीरा, धली, तुंगा, तथा गढ़।

(ग) ग्राम पंचायत सांगानेर, भमोरिया व माधोगढ़ में नामजदगी की आज्ञा जारी की जा रही है।

(घ) ऐसी कोई सिफारिश नहीं आई।

(ङ) सिफारिश आने पर।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—नोमिनेशन किस जगह किया करते हैं ?

श्री अध्यक्ष—यह पालिसी की बात है, इन्फोर्मेशन की बात पूछो।

श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री—ऊपर जो हरिजन नोमिनेट किये गये हैं अगर वे ऐसे हों जो बिना ही सिफारिश के नामजद किये गये हों तो क्या सरकार इसकी जांच करने के लिये तैयार है ?

श्री अध्यक्ष—हाईपोथिटिकल प्रश्न न पूछिये ?

श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री—ये बाकी कबतक ले लिये जावेंगे ?

श्री बद्रीप्रसाद—सिफारिश आते ही।

श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री—तो क्या यह समझा जाये कि ५६ के पश्चात् उनके नाम आवेंगे ?

श्री अध्यक्ष—हाईपोथिटिकल।

श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री—इसके लिए सरकार की ओर से कोई सरकूलर भेजा गया या नहीं ?

श्री बद्रीप्रसाद—यह अलग से प्रश्न है। जानकारी प्राप्त करके बता सकता हूं।

श्री अध्यक्ष—नेक्सट।

प्रश्न संख्या ३०१

किशनगढ़ में पटाखे बनाने के कारखानों के लाइसेन्स और वे कारखाने जिसमें विस्फोट हुए

श्री चांदमल मेहता—क्या गृह मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(१) किशनगढ़ में पिछले २ वर्ष में किन किन फर्म या व्यक्तियों को पटाखे बनाने के कारखाने के लाइसेन्स दिये गये हैं ?

(२) ऐसे कौन कौन करखाने हैं जिनमें पिछले २ वर्ष में विस्फोट हुए हैं ?

(३) उक्त विस्फोट से कितने व्यक्ति मरे और कितने घायल हुए ?

(४) उक्त कारखानेदारों के खिलाफ सरकार द्वारा क्या एक्शन लिया गया।

श्री रामकिशोर व्यास—(गृह मन्त्री) (१) किशनगढ़ में पिछले २ वर्षों में केवल किशनगढ़ सेफ्टी फायर वर्क्स को इस तरह का लाइसेन्स दिया गया है।

(२) केवल किशनगढ़ सेफ्टी फायर वर्क्स में ही विस्फोट हुआ ?

(३) १ मरा तथा ५ व्यक्ति घायल हुए।

(४) लाइसेन्स रद्द किया गया तथा कारखाने के मालिक के विरुद्ध मुकदमा चलाया गया जो न्यायालय में चल रहा है।

श्री जवानसिंह—सदन में तो कोई पटाखे छोड़ने का लाइसेन्स नहीं दिया गया।

श्री अध्यक्ष—आर्डर प्लीज।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही नहीं है कि जिसका लाइसेन्स रद्द किया गया उसी के लड़के को फिर प्रोवीजनल लाइसेन्स दे दिया गया है ?

श्री रामकिशोर व्यास—मेरी नोलेजमें नहीं हैं।

श्री चांदमल मेहता—जो मरे या घायल हुए उनको क्या मुआवजा दिलाया गया ?

श्री रामकिशोर व्यास—कोर्ट में केस पेन्डिंग है।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि यह पटाखे का कारखाना उस जगह स्थिति है जहां आबादी काफी घनी है और जो विस्फोट हुआ उससे आसपास की आबादी को खतरा पैदा हो गया है।

श्री रामकिशोर व्यास—पक्के मकान में है और उसमें कम्पाउन्ड है।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि जब विस्फोट हुआ तो आसपास के मकानों को काफी नुकसान हुआ और वे गिर भी गये ?

श्री रामकिशोर व्यास—मेरे इल्म में यह नहीं है।

श्री चांदमल मेहता—क्या सरकार भविष्य में आबादी में इस तरह के पटाखे के कारखाने चालू करने के सम्बन्ध में कोई रैस्ट्रिक्शन जारी करेगी ?

श्री रामकिशोर व्यास—एक्सप्लोज़िव चीजों में जितनी अहतियात बरती जानी चाहिये वह जरूर बरती जावेगी।

प्रश्न संख्या ३०२

छोटी सादड़ी, जि० चित्तोड़ को नगरपालिका घोषित करने की तिथि तथा उससे पहले पंचायत में उसके साथ शामिल होने वाले ग्राम

श्री भैरोंसिंह (वि० सं० १६)—क्या मन्त्री स्वायत्त शासन विभाग निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(क) छोटी सादड़ी, जिला चित्तोड़, को किस तारीख को, नगरपालिका घोषित किया गया ?

(ख) क्या यह सही है कि छोटी सादड़ी को नगरपालिका घोषित करने से पूर्व यहां पंचायत स्थापित थी ? यदि हां, तो इस पंचायत में छोटी सादड़ी के अलावा कौन कौन से ग्राम शामिल थे ?

(ग) यह ग्राम अब कौन सी पंचायत में लगाये गये हैं और नहीं, तो क्यों ?

(घ) क्या छोटी सादड़ी तहसील पंचायत का चुनाव हो चुका है ?

(ङ) क्या यह सही है कि छोटी सादड़ी के आसपास के गांव इस चुनाव में भाग लेने से वंचित रखे गये हैं, यदि हां, तो क्यों।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वायत्त शासन मन्त्री)—(क) दिनांक १५-११-५२ को।

(ख) जी हां। निम्न लिखित ग्राम सम्मिलित थे :—

महूड़िया, मलावदा, वरखत, अचलपुरा, राजूखेड़ा, सुकड़, पीपल, बड़ी बरड़ी, पथिल, बरड़ी छोटी, गणेशपुरा मय मजरे, माला का खेड़ा, धावड़ा, सालेड़ा कलां, सालेड़ा खुर्द, सरवाणियां, भुनपुरा, बिलिगां, खानपुरा, नरवणखेड़ी, इटो का तालाब, मानपुरा, भाटखेड़ी, बोरखेड़ी, पाटिया, चरलिया,

(ग) ग्राम पंचायत गुमाना नया केन्द्र स्थापित किया जाकर निम्नलिखित ग्राम सम्मिलित किये गये :

गुमाना, मलावदा, महूड़िया, वरखेन, अचलपुरा, राजूखेड़ा, गणेशपुरा मय मजरे, सुकड़, पीथल, बरडी बड़ी, पीथल बरडी छोटी, धावड़ा, सालेरा, सरवाणिया, बिलिया, कबरचाकी, खानपुरा।

Page No 21

[श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता]

बाकी के गांवों की एक पृथक पंचायत, धोलीपाल बनाने की कार्यवाही जारी है जिसका चुनाव शीघ्र ही होगा।

(घ) जी हां।

(ड़) जी हां। नई पंचायतों का चुनाव होने से पहले छोटी सादड़ी की तहसील पंचायत का चुनाव होगया, जिससे इनके नाम मतदाता सूचि में नहीं जोड़े जा सके।

श्री भैंरोंसिंह—जिन गांवों को पंचायत में शामिल किया गया है उनको म्युनिसिपल एरिया के घोषित करने के कितने बाद में शामिल किया गया था ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—तारीख तो मेरे पास नहीं है।

श्री भैंरोंसिंह—वर्ष बता दीजिये कि कितने वर्ष के बाद शामिल किये गये थे।

श्री गुप्ता—वह आपने पूछा नहीं है।

श्री भैंरोंसिंह—नहीं मैंने पूछा है। क्या यह सही है कि इन दोनों ग्राम पंचायतें को तहसील पंचायत के इलेक्शन में भाग लेने से रोक दिया गया था कि उसके कारण एक विशेष दल जीत नहीं सकता था ?

श्री गुप्ता—ऐसी कोई बात मेरी जानकारी में नहीं है।

श्री भैंरोंसिंह—क्या यह सही है कि म्युनिसिपल इलेक्शन हुआ जिस समय वहां तो जनता ने एक दरख्वास्त दी थी कि जल्दी से जल्दी वहां पंचायत स्थापित की जाय और माननीय मन्त्रीजी ने आश्वासन दिया था कि १५ दिन के अन्दर पंचायत स्थापित की जायगी ?

श्री गुप्ता—यह मेरी जानकारी में नहीं है।

श्री भैंरोंसिंह—आपकी जानकारी में क्या है ? माननीय अध्यक्ष, जिस समय म्युनिसिपेलिटी के चुनाव हुए थे तो इसी सदन के एक माननीय सदस्य, श्री अमृतलाल जी यादव ने कहा था कि १५ दिन में चुनाव होंगे। सन् १९५२ में म्युनिसिपेलिटी घोषित की गई थी और सन् १९५५ में ग्राम पंचायत बनी है। उसकी सूचना आपको नहीं है कि कितने वर्षों में बनी और कब चुनाव हुए हैं ?

Page No 22

श्री गुप्ता—यादवजी ने कहा है ऐसी मेरे पास कोई शिकायत नहीं आई है। आपने जो सवाल पूछा है उसकी जानकारी करके आपको जवाब दे दिया है।

श्री भैरोंसिंह—जिन गांवों को अभी तक किसी पंचायत में शामिल नहीं किया गया है उसका क्या कारण है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—मैंने निवेदन किया है कि बाकी के गांवों की पंचायत बनाने की कार्यवाही जारी है।

श्री भैरूंसिंह—कार्यवाही जारी है बल्कि सन् ५२ से चल रही है, तो सन् ५२ से लेकर ५५ तक शामिल नहीं करने का क्या कारण है?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—चुनाव अब शीघ्र वहां हो जायेगें।

श्री भैरूंसिंह—अब तक क्यों नहीं हुए?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—आपने कारण नहीं पूछा है।

श्री भैरूंसिंह—कारण आपको पता होना चाहिए। वह इम्प्लाइड है पूछने में।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—आपने कारण नहीं पूछा था।

श्री भैरूंसिंह—उनको ग्राम पंचायतों को चुनाव में शामिल नहीं किया गया है तो कारण इम्प्लाइड है। उसका जवाब दिया जाना चाहिए।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—चुनाव में शामिल नहीं हुआ है तहसील पंचायतों के क्योंकि वे पंच ही नहीं थे।

श्री भैरूंसिंह—सन् ५२ में म्युनिसिपल बोर्ड के चुनाव हुए थे तो उससे पहले वहां पंचायत बनी हुई थी। जब छोटी सादड़ी को म्युनिसिपल एरिया घोषित किया गया तो उन गांवों को अब तक किसी पंचायत क्षेत्र में शामिल क्यों नहीं किया गया, इसका कारण बताइये।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—मैंने कारण बताया है कि तहसील पंचायत के चुनाव हुए तब वे पन्च ही वोट दे सकते हैं जहां कि पंचायते कायम हो गई थीं। जब वहां पंचायतें ही कायम नहीं थीं तो वे वोट देते ही कैसे।

श्री भैरूंसिंह—वे पंचायतें क्यों नही कायम की गई?

Page No 23

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—इसका प्रश्न अलग से पूछिये ।

श्री भैरूं सिंह—मैंने पूछा है । मैं प्रश्न पढ़ कर बता दूं

क्या यह सही है कि छोटी सादड़ी को नगरपालिका घोषित करने से पूर्व यहां पंचायत स्थापित थी ?

और उसमें ये गांव शामिल थे । तो यह लाजिमी था कि पंचायत के म्युनिसिपल एरिया में घोषित होने के बाद उन पंचायतों का चुनाव होता, और यदि नहीं हुआ है उसका कारण बताना मन्त्रीजी के लिये जरूरी है । इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि आप उसके कारणों पर प्रकाश डालें ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—आप इस बारे में अलग से सवाल पूछें तो जवाब दे दूंगा ।

श्री जगतसिंह झाला—क्या यह सही है कि उसमें कई राजनैतिक कारण हैं, इसके बारे में कई दफा अर्ज किया गया था ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—मुझे कारण की जानकारी नहीं है । आप अलग से पूछेंगे तो जवाब दे दूंगा ।

श्री भैरूं सिंह—जिन कुछ ग्रामों को ग्राम पंचायत में शामिल किया गया था वह कौनसी तारीख को शामिल किया गया है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—इस समय मेरे पास तारीख नहीं है । चुनाव होने की तारीख बता दी है कि वे १५-११-५२ को चुनाव हुए हैं ।

श्री भैरूं सिंह—यह तो तहसील पंचायत के चुनाव की तारीख है लेकिन जिन थोड़े से गांव को ग्राम पंचायत में शामिल किया गया उनका चुनाव हो चुका है क्या ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—ग्राम पंचायत गुमाना में वे गांव शामिल कर दिये गये हैं और इन गांव की पंचायत बनाने की कार्यवाही जारी है और चुनाव शीघ्र हो जायेंगे ।

श्री भैरूं सिंह—तहसील पंचायत में गुमाना गांव के पंचों को वोट देने का कोई अधिकार नहीं दिया गया था, क्या यह सही है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—वे पंचायतें कायम नहीं थी और वे पंच नहीं थे तो कैसे देंगे पंचायतों के चुनाव में वोट ।

श्री भैंरुंसिंह—क्या यह सही है कि तहसील पंचायत के चुनाव गुमाना ग्राम पंचायत के स्थापित होकर चुनाव हो गये थे। उसके बाद हुआ था केवल उसके नाम गजट में निकालना बाकी था।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—ऐसी जानकारी मेरे पास नहीं है।

श्री अमृतलाल यादव (पृथक राजस्व मन्त्री)—तहसील पंचायत के चुनाव गुमाना पंचायत के चुनाव से पहले हुये थे।

श्री अध्यक्ष—जानकारी दे रहे हैं क्या आप?

(हंसी)

He can give the information if it is in his knowledge.

प्रश्न संख्या ३०३

वर्तमान वर्ष में, ग्राम मानपुरा [त० किशनगढ़] के कृषकों का ग्राम कायमपुरा के कृषकों के विरूद्ध आवेदन पत्र।

श्री चांदमल मेहता—क्या गृहमन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे—

१. चालू वर्ष में ग्राम मानपुरा की ढाणी तहसील किशनगढ़ के काश्तकारान की तरफ से कब कब ग्राम कायमपुरा के काश्तकारान के खिलाफ दफा १०७ की कार्यवाही के लिए एस० डी० ओ० व डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट के पास आवेदन पत्र पेश किये गये?

२. उक्त आवेदन पत्र पर कब कब क्या कार्यवाही की गई है?

श्री रामकिशोर व्यास (गृहमन्त्री)—(१) और (२) इस तरह का कोई आवेदन पत्र एस० डी० एम० के पास पेश नहीं किया गया किन्तु डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस, किशनगढ़, को ता०२—१२—५५ को ऐसा आवेदन पत्र पेश किया गया। आवश्यक जांच तक बाद तारीख २७—१—५६ को अदालत सब डिविजनल मजिस्ट्रेट में पुलिस द्वारा यह आवेदन पत्र पेश किया गया। यह तारीख २२—२—५६ को अदालत द्वारा खारिज किया गया।

प्रश्न संख्या ३०४

कानोता (जि० जयपुर) के निकट ढूंढ नदी पर पुल बनाने की शासकीय योजना

श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री—क्या सार्वजानिक निर्माण मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

[श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री]

(क) जिला जयपुर, कानोता के पास वाली ढूंढ नदी में इस वर्ष बारिस में कितनी मोटरें व ट्रक दल दल में फंसे ?

(ख) प्रति वर्ष नदी के भीतर वाली सड़क पर मिट्टी आदि हटाने में राज्य का कितना रूपया खर्च होता है ?

(ग) क्या इस पर कोई पुल बनाने की भी योजना सरकार के विचाराधीन है ?

(घ) यदि नहीं, तो क्यों, और यदि है, तो उसे कब तक कार्यान्वित किया जायेगा ?

श्री रामचन्द्र चौधरी (सार्वजनिक निर्माण मन्त्री)—(क) कोई नहीं।

(ख) लगभग २ हजार रुपये।

(ग) जी हां, है।

(घ) केन्द्रीय सरकार से मन्जूरी आने पर कार्य आरम्भ कर दिया जायगा।

श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री—यह मन्जूरी कब तक आ जायेगी ?

श्री रामचन्द्र चौधरी—हमने लिखा है ५ लाख रुपये के लिए। जब मन्जूरी आजायगी यह काम शुरू कर दिया जायगा।

श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री—कब तक के लिए आशा करें ?

श्री रामचन्द्र चौधरी—शीघ्र ही आने की आशा है।

प्रश्न संख्या ३०५

श्री अध्यक्ष—श्री जी. सी. कासलीवाल।

(प्रश्नकर्ता अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या ३०६

अलवर जिले में अगले वर्ष में खोले जाने वाले राष्ट्रीय विस्तार सेवा खंड खोलने संबन्धी, विशेष रूप से तिजारे में

श्री घासीराम—क्या सामुदायिक विकास योजना मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

[श्री घासीराम]

(क) अगले वर्ष राजस्थान में कितने राष्ट्रीय सेवा विस्तार खंड खोले जा रहे हैं और उनमें से अलवर में कितने खोले जायेंगे ?

(ख) क्या अलवर जिले की विकास समिति ने तिजारे में एक विस्तार खंड खोलने की सिफारिश की है ?

(ग) यदि हां, तो वहां पर कब तक खोल दिया जावेगा ?

श्री संपत्तराम (उप मन्त्री)—(क) अगले वर्ष अर्थात् अप्रेल, सन् १९५६ से अक्टूबर, सन् १९५७ तक अनुमानतः २३ राष्ट्रीय विस्तार सेवा खंड खोले जायेंगे।

(ख) अलवर जिले में खोला जायगा कि नहीं खोला जायगा यह प्रश्न अभी विचाराधीन है।

(ख) हां।

(ग) किस स्थान पर कब खोला जायगा यह अभी सरकार के विचाराधीन है।

श्री धर्मपाल पंवार—हनुमानगढ़ तहसील में भी कार्य खोलने का विचाराधीन है ?

श्री संपतराम—अभी सारी स्कीम विचाराधीन है।

श्री प्रभूदयाल—क्या चुरू जिले के लिए भी विचाराधीन है ?

श्री अध्यक्ष—श्री तनसिंह।

श्री संपत्तराम—नहीं।

प्रश्न संख्या ३०७

भू-स्वामी आन्दोलन में प्रदर्शनकारियों को बाहर छोड़ने हेतु अशासकीय मोटरों का प्रयोग

श्री जवानसिंह (श्री तनसिंह की अनुपस्थिति में)—क्या गृह मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

[श्री जवानसिंह]

(क) क्या भू-स्वामी आन्दोलन में भू-स्वामी प्रदर्शनकारियों को बाहर छोड़ने के लिये पुलिस ने गैर सरकारी मोटरों का प्रयोग किया ?

(ख) यदि हां, तो किन २ व्यक्तियों की मोटरें काम में ली गई और उन्हें सरकार ने क्या किराया प्रति मील दिया ? यदि नहीं दिया, तो क्यों ?

(ग) इनमें से कितना किराया भुगतान हो चुका और कितना किस २ को अभी देना है।

श्री रामकिशोर व्यास (गृह मन्त्री)—(क) जी हां।

(ख) १. काल्टेक्स एन्ड सैनिक मोटर्स।

२. श्री चंडी प्रशाद, श्री भीमराज कावरा, मदनलाल बगाना, केसरदेव सुनार, सीताराम फागीवाला, छगनलाल पुजारी, रोशनलाल डालमिया, कन्हैयालाल मालपुरा, बद्री नारायण साथड़ी, पृथ्वी नाथ, राधाकिशन, छोटा खां, रहमतुल्ला खां, गुलाबचन्द दुर्गादत्त, सरमुकसिंह, सेठी गुड्स ट्रान्सपोर्ट कं०, जयपुर गोल्डन ट्रान्सपोर्ट कं०, सिन्ध मोटर एसोसियेशन, राजस्थान बस सरविस, ग्रीन बस सरविस, श्री महावीर प्रशाद, ईशर सिंह, घनश्याम दास, लालचन्द सुल्तान, सुन्दरलाल, आत्मा प्रकाश, शान्तीलाल, रामेश्वर दयाल, रामचन्द, गोपालदास, छोटे सिंह, बोगाराम, हीरालाल, गोरसहाय, डा० रामदयाल, फकीरचन्द, गोपाल दास, जुहारमल, जय महेश, देवी सहाय, बाबूला, डा० राम लाल, श्री श्यामलाल, गुरवचन सिंह, रामलाल, फकीर मोहम्मद, एम.बी. के. सरविस.......

श्री जवानसिंह—माननीय अध्यक्ष, सुनाई नहीं दे रहा है।

श्री अध्यक्ष—आप जिनमें इन्ट्रेस्टेड हों उनका नाम पूछ लीजिये।

श्री रामकिशोर व्यास—बूंदी ट्रान्सपोर्ट सरविस, सैनिक मोटर्स, ताराचन्द एन्ड ब्रदर्स, नरसिंह ट्रान्सपोर्ट सरविस, सांघी ब्रदर्स, लक्ष्मी मोटर कं०, श्री लाचूराम, श्री निहालचन्द तेनसिंह खत्री, इब्राहीम, खन्ना, लक्ष्मीचन्द, लाला, गोपालदास, भैरोंलाल, प्रभुलाल श. गैंदालाल, रादुलाल।

(ग) मोटर मालिकों को रु० ३६०५-६-३ बतौर किराये के दिये जा चुके हैं। कई जगह के मोटर मालिकों से बिल अभी प्राप्त नहीं हुए हैं। कुछ जगहों के बिल अभी विचाराधीन हैं।

श्री शंभूसिंह—क्या यह सही है कि इन लोगों से फोर्सिबली मोटरें ली गई हैं और इन्कार करने पर पीटा भी गया है।

श्री रामकिशोर व्यास—नहीं यह सही नहीं है। पैसा दिया जा रहा है।

श्री जवानसिंह—रेट्स क्या २ थीं ?

श्री रामकिशोर व्यास—अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग २ रेट्स थीं।

श्री जवानसिंह—वही पूछ रहा हूं कि क्या क्या थीं ?

श्री रामकिशोर व्यास—यह अलग से पूछने की बात है। जितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनकी अलग २ रेट्स थीं।

श्री जवानसिंह—प्रश्न (ख) में मौजूदा है कि उनकी क्या क्या रेट्स थीं।

श्री रामकिशोर व्यास—बहुत लम्बी लिस्ट है। अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग इन्डिविजुअल से अलग अलग रेट तय की गई थी।

श्री हिम्मतसिंह—उसी की जानकारी की जरूरत है।

श्री रामकिशोर व्यास—एक रुपये पर माइल और १० रु० पर डे हाल्टिंग चार्जेज़ कई जगह पर थे और कई जगह पर माइल के हिसाब से ली गई थी। आप किसी पार्टीक्युलर डिविजन के लिए पूछें तो जानकारी करके बता दूं कि फलां को क्या रेट दी गई है।

श्री जवानसिंह—क्या राजस्थान मोटर गेराज की रेट्स से ये रेट्स ज्यादा थीं या कम थीं ?

श्री रामकिशोर व्यास—यह तो कोन्ट्रेक्ट्स से वह तय हुई थीं।

श्री जवानसिंह—इन विहिकल्स का रिक्वीजिशन करते थे तो नियमों के अनुसार उनकी रेट्स तय करते थे या मनमाने तौर पर।

श्री रामकिशोर व्यास—बाइमी तौर पर है।

श्री अध्यक्ष—श्री जगतसिंह झाला।

प्रश्न संख्या ३०८

कपासन (जिला चित्तौड़गढ़) में पुलिस स्टेशन का निर्माण कार्य शीघ्र करवाने संबंधी व्यवस्था

श्री जगतसिंह झाला—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

[श्री जगतसिंह झाला]

(क) क्या जिला चित्तौड़ में कपासन पुलिस स्टेशन का निर्माण कार्य हो रहा है ?

(ख) क्या यह सच है कि ठेकेदार ने अपनी ओर से किसी दूसरे को ठेका दिया है और वह जो कार्य कर रहा है वह ठीक प्रकार से नहीं हो रहा है ?

(ग) क्या सरकार भविष्य में इस कार्य को ठीक प्रकार से कराने के लिए उचित व्यवस्था करेगी ?

श्री रामचन्द्र चौधरी (सार्वजनिक निर्माण मंत्री)— (क) जी हां।

(ख) यह सच नहीं है।

(ग) यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

श्री **जगतसिंह झाला**—क्या सरकार ने इसकी जांच कराई है। मैं निवेदन करता हूँ कि ऐसा हो रहा है।

श्री **रामचन्द्र चौधरी**—ऐसी इत्तला देंगे तो जरूर जांच करायेंगे।

श्री अध्यक्ष—श्री भैंरूसिंह।

प्रश्न संख्या ३०६

इस वर्ष हुए नगरपालिकाओं के चुनाव एवं उनमें सदस्यों का मनोनयन

श्री **भैंरूसिंह** (१६)—क्या मंत्री, स्वायत्त शासन विभाग निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) इस वर्ष किस किस नगरपालिका का किस किस तारीख को चुनाव सम्पन्न हुआ ?

(ख) किस किस नगर पालिका के नव निर्वाचित सदस्यों को कार्यभार नहीं सौंपा गया और क्यों ?

(ग) इस नवनिर्वाचित नगरपालिकाओं में किन २ को सदस्य मनोनीत किया गया था, और उन्हें मनोनीत करने में किन २ मुख्य बातों को आधार माना गया ?

(घ) मनोनीत करने के लिए किस किस कलेक्टर ने किस २ तारीख को किन २ के नामों

Page No 30

[श्री भैरूंसिंह]

की सिफारिश की और किस २ नगरपालिका के लिए सरकार का सदस्य मनोनीत करने में कलेक्टर की राय से मतभेद रहा ?

श्री बद्री प्रसाद गुप्ता (स्वायत्त शासन मंत्री)—(क) चार रोज हुए अब तक कोई चुनाव नहीं हुआ।

(ख) (ग) (घ) उत्पन्न नहीं होते।

श्री भैरूंसिंह—वर्ष समाप्त हुआ, इससे क्या मतलब है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—पिछले साल के लिए नहीं पूछा गया है।

श्री भैरूंसिंह—पिछले साल के लिए ही पूछा। यदि इसको आप ध्यान से पढ़ते तो पता चलता।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—आपने पूछा है कि इस वर्ष किस किस नगर पालिका का किस किस तारीख को चुनाव सम्पन्न हुआ और मैंने इसका उत्तर दिया है कि चार दिन हुये हैं।

श्री भैरूंसिंह—जब इसको पूछा था तो चार तारीख नहीं थी। पन्द्रह रोज पहले ही भेज दिया था।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—मेरे पास नहीं आया था।

श्री भैरूंसिंह—इसका गत वर्ष से मतलब है। अगर माननीय मंत्रीजी जवाब नहीं देना चाहें तो यह दूसरी बात है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—सन् ५६ है।

श्री अध्यक्ष—क्या १ अप्रेल से मतलब है ?

(हंसी)

श्री भैरूंसिंह—इसका जवाब देने में कहीं १ अप्रेल का असर हो गया हो।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—१ जनवरी सन् १६५६ से १ अप्रेल हो तो कलेन्डर इयर से मतलब हो तो, खैर, मैं जवाब दे देता हूं।

Page No 31

[श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता]

(क) दौसा २८. १. ५६ ।

पिडावा २२. १. ५६ ।

(ख) पिडावा के निर्वाचन परिणाम राजपत्र में प्रकाशित होने को भेज दिये गये हैं । दौसा की रिपोर्ट अभी २३. ३. ५६ को आई है और इसकी घोषणा शीघ्र की जावेगी ।

(ग) जिलाधीश व संस्थाओं की सिफारिश पर ध्यान रख कर सदस्य मनोनीत किये जाते हैं । पिडावा में मनोनीत सदस्यों का नाम श्रीमती राजबाई व श्री रामाचमार हैं । दौसा का प्रश्न विचाराधीन है ।

(घ) पिडावे में कलेक्टर की सिफारिश ही मानी गई है । दौसा का प्रश्न भी विचाराधीन है ।

श्री भैंरूसिंह—दौसा के सम्बन्ध में कलेक्टर ने किन किन व्यक्तियों को नामजद करने की सिफारिश की है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—दौसा की रिपोर्ट ३. ३. ५६ को आई है और नाम बतलाना उचित नहीं है ।

श्री भैंरूसिंह—चिड़ावा में चुनाव होने के बाद में कलेक्टर ने किन किन व्यक्तियों को नामजद किया है ?

श्री अध्यक्ष—यह पिडावा है और आप चिडावा बोल रहे हैं ।

श्री भैंरूसिंह—मैं चिडावा सुन रहा हूँ ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—पिडावा, जिला झालावाड़ ।

श्री भैंरूसिंह—चुनाव होने के कितने दिनों बाद में जो शख्स मोनोनीत किये गये उनको कितने समय में नामजद हो जाना चाहिये ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—ऐसा कोई नियम नहीं है, एक साथ कर देते हैं ।

श्री भैंरूसिंह—क्या यह सही है कि दोनों पंचायतों में तीन माह से ज़्यादा समय लगा है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—चुनाव पंचायतों के नहीं, म्युनिसिपेलिटीज़ के हुये हैं। मैंने आपको बताया कि दौसा में २८. १. ५६ को चुनाव हुये और रिपोर्ट २३. १. को आयी है। पहले गजट में शाया हो जाय।

श्री भैरूसिंह—कार्य भार सौंपने में, क्या यह सही है कि नामजद होने के बाद और चुनाव हो जाने के बाद में, इन दोनों में तीन महीने का समय लगना चाहिये ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—कितना समय लगेगा ? गजट में आउट होते ही....

श्री भैरोंसिंह—तीन महीने से ज्यादा का समय लगा। गजट में नाम (अश्रव्य) प्रकाशित नहीं हुए। सिफारिशें आयी और कई दिनों तक सेक्रेटेरियेट में हेर फेर होता रहा और चुनावों से लेकर कार्यभार सम्हाले तब तक की अवधि तीन महीने होनी चाहिये वह उससे अधिक हो गई ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—दौसा के चुनाव २८. १. ५६ को हुए और रिपोर्ट २३. ३. ५६ को आयी।

उनको नामजद किया, गवर्नमेन्ट का देर लगाने का विचार नहीं है।

श्री भैरोंसिंह—क्या गवर्नमेंट की जानकारी में है कि कलेक्टर उस जिले के मुख्य मुख्य आदमियों को पूछ कर नामजद करने की सिफारिश करता है या स्वयं अपनी जानकारी करके ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—कलेक्टर जानकारी से कर देता है।

श्री भैरोंसिंह—क्या यह सही है कि कलेक्टर किसी आदमी की नामजदगी किन्हीं मुख्य मुख्य लोगों की राय लेकर या किसी पोलिटिकल पार्टी की राय लेकर करता है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—कलेक्टर कैसे करता है, यह जानकारी में नहीं है।

श्री भैरूसिंह—क्या गवर्नमेन्ट उचित समझती है कि मुख्य मुख्य व्यक्तियों या किसी पोलिटिकल पार्टी की राय लेकर नामजद किया जाय ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—जिम्मेदार ....नामजदगी........(अश्रव्य)

श्री भैरोंसिंह—क्या कलेक्टर जिम्मेदार नहीं है ?

श्री अध्यक्ष—म्युनिसिपल बिल में बहस कर लीजिये।

Page No 33

प्रश्न संख्या ३१०

राजस्थान में पीलिये का प्रकोप एवं उसकी रोकथाम हेतु शासकीय कार्यवाही

श्री जगतसिंह झाला—क्या स्वास्थ्यमंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) राजस्थान के किन किन जिलों में पीलिये का प्रकोप हुआ है ?

(ख) इसकी रोक थाम व पीड़ितों के उपचार हेतु अब तक सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वास्थ्य मंत्री)—इस प्रश्न का उत्तर प्रश्न संख्या ७६ दिनांक १४ मार्च ५६ को दिया जा चुका है।

श्री अध्यक्ष—श्री भैरोसिंह।

प्रश्न संख्या ३११

रामसिंहपुर के रिटायर्ड केप्टिन श्री छत्तूसिंह की बन्दूक की चोरी एवं उसकी बरामदगी सम्बन्धी शासकीय कार्यवाही

श्री भैरोसिंह—(क) क्या यह सही है कि दिनांक २४-२५ जुलाई, सन् १९५५ की रात को रिटायर्ड केप्टिन श्री छत्तूसिंह, चक ५१ जी. बी. पी. सी रामसिंगपुर, जिला गंगानगर की एक बन्दूक चोरी गई ?

(ख) क्या यह सही है कि इसकी रिपोर्ट थाना रायसिंहनगर जिला गंगानगर में दर्ज की गई और इसका मुल्जिम भी गिरफ्तार हो चुका है ?

(ग) क्या यह सही है कि श्री छत्तूसिंह ने डी. आई. जी. व अन्य अधिकारियों के पास यह शिकायत की है कि बीकानेर शहर के कुछ कांग्रेसी कार्यकर्ता मुल्जिम से मिले हुए हैं और बन्दूक बरामद होने में बाधा डालते हैं ?

(घ) इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री रामकिशोर व्यास (गृह मंत्री)—(क) जी हां।

(ख) जी हां।

[श्री रामकिशोर व्यास]

(ग) डी. आई. जी. पुलिस, बीकानेर के सन्मुख एक प्रार्थना पत्र बन्दूक की बरामदगी के लिये प्रस्तुत किया गया किन्तु किसी कांग्रेस कार्यकर्ता के विरुद्ध कोई आरोप नहीं लगाये गये। इसी प्रकार की एक शिकायत भारत के प्रधान मंत्री को भेजी गई है।

(घ) बन्दूक की बरामदगी के प्रयत्न किये जा रहे हैं।

श्री भैरोसिंह : जो प्रार्थना-पत्र भारत के प्रधान मंत्री के पास पहुँचा है उसमें कुछ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के खिलाफ अभियोग लगाया गया है कि इस सारी कार्यवाही में उनका हाथ है?

श्री राम किशोर व्यास—कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर शिकायत जरूर है लेकिन चोरी की नहीं।

श्री भैरोसिंह—उस शिकायत में किस अधिकारी से क्या जांच करायी गई ?

श्री रामकिशोर व्यास—केस का इन्वेस्टिशन हो रहा है।

श्री भैरो सिंह—इस सम्बन्ध में जांच करायी गई या नहीं कि अमुक आदमियो का हाथ था?

श्री अध्यक्ष—इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, यह बताया।

श्री भैरोसिंह—किस व्यक्ति को कहां गिरफ्तार किया गया ?

श्री रामकिशोर व्यास—सुना नहीं।

श्री भैरोसिंह : क्या लालसिंह की गिरफ्तारी एक प्रसिद्ध कांग्रेसी कार्यकर्ता के यहां हुई ?

श्री रामकिशोर व्यास—यह मुझे मालूम नहीं।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ३१२

ग्राम पंचायत बड़ा खेड़ा (ता० पाटन) के पंचों व सरपंच का चुनाव

महाराज श्री केसरसिंह—क्या स्वायत्त शासन मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(अ) ग्राम पंचायत बड़ा खेा तहसील पाटन जिला बूंदी की अवधि कौनसी तारीख को समाप्त हुई और कौनसी तारीख को नई पंचायत का चुनाव कराया गया ?

Page No 35

[महाराज श्री केसरीसिंह]

(ब) चुनाव किस समय शुरू हुआ और किस समय खत्म हुआ ? यह चुनाव किस अधिकारी ने करवाया था ?

(स) क्या पंचों के साथ सरपंच का चुनाव हुआ था ? अगर नहीं, तो क्यों ?

(द) सरपंच के चुनाव के लिये अन्तिम तारीख कौन सी रखी गई है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वास्थ्य मंत्री)—(अ) १६. १. ५६ को अवधि समाप्त हुई और २६. १२. ५५ को नई पंचायत का चुनाव हुआ।

(ब) ११ बजे शुरू हुआ जो सूर्यास्त के पूर्व ५. १५ (सवा पांच) बजे समाप्त कर दिया गया। चुनाव पंचायत विभाग के इन्सपेक्टर श्री पुरुषोत्तमलालजी द्वारा कराया गया था।

(स) जी नहीं। समय अधिक हो जाने और मतदाता नियंत्रण में न रह सकने तथा आपस में लड़ाई की सूरत होने से सरपंच का चुनाव स्थगित रखा गया।

(द) १. ३. ५६ को चुनाव हो चुका।

महाराज श्री केसरसिंह—क्या २. ३. ५६ को भी चुनाव हुआ था ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—१. ३. ५६ को चुनाव हो चुका।

महाराज श्री केसरसिंह—क्या २. ३. ५६ भी चुनाव की तारीख थी ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—ऐसी मेरे पास जानकारी नहीं।

श्री भैरु सिंह—इस चुनाव की कितनी दफा तारीख निश्चित हुई थी ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—२६. १२. ५६ को चुनाव हुए थे।

महाराज श्री केसरसिंह—क्या यह सत्य है कि पहले २०. ११. ५५ की की गई थी ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—मेरे पास जानकारी नहीं है।

श्री भैरु सिंह—पंचायतों के चुनावों को मुल्तवी कराये जाने का क्या कारण था ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—टाइम खत्म हो गया था और झगड़े की सूरत पैदा हो गई थी ?

श्री भैरु सिंह—जिन लोगों ने झगड़े की सूरत पैदा की उन लोगों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—कोई ओफेन्स नहीं बना और जब तक कोई ओफेन्स न बने तब तक कोई कार्यवाही नहीं हो सकती थी।

श्री भैरु सिंह—क्या झगड़े की सूरत होना भी कोई ओफेन्स नहीं ?

(घंटी)

श्री छीतरलाल शर्मा—क्या सरपंच का चुनाव इन्सपेक्टर ने नहीं कराया ?

श्री अध्यक्ष—No Clear

श्री छीतरलाल शर्मा—क्या सरपंच के चुनाव इन्सपेक्टर ग्राम पंचायत ने नहीं कराये ?

श्री अध्यक्ष—आप उससे दूर रह कर बोलिए, जिससे आवाज क्लीयर रहे।

श्री छीतरलाल—क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत के सरपंच का चुनाव इन्सपेक्टर ने नहीं कराया ?

श्री अध्यक्ष—ये पूछ रहे हैं कि ग्राम पंचायत के इन्सपेक्टर ने चुनाव नहीं कराया, क्या यह सही है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—झगड़ा होने के कारण चुनाव नहीं हो सका।

श्री छीतरलाल—आपने फरमाया कि चुनाव पंचायत इन्सपेक्टर ने कराया और मेरा कहना है कि उसने नहीं कराया।

महाराज श्री केसरीसिंह—सरपंच का चुनाव किसके द्वारा कराया गया ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—यह जानकारी मेरे पास नहीं है।

श्री केसरीसिंह—तो फिर जानकारी है क्या आपके पास ? जिसके बारे में पूछते हैं उसके बारे में ही जानकारी आपके पास नहीं है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—जो कुछ आपने पूछा है उसकी सारी जानकारी आपको दी है।

श्री केसरीसिंह—यह भी तो पूछा है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—आपने यह पूछा है कि क्या पंचों के साथ सरपंच का चुनाव हुआ था, अगर नहीं, तो क्यों ? इसका जवाब मैंने दिया है कि जी नहीं। समय अधिक हो जाने और मतदाता नियन्त्रण में न रह सकने तथा आपस में लडाई की सूरत होने से सरपंच का चुनाव स्थगित रखा गया।

श्री भैंरूसिंह—चुनाव के लिये क्या समय निश्चित किया गया था ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—११ बजे शुरू हुआ और ५, १५ पर समाप्त हुआ।

श्री केसरीसिंह—किस अधिकारी ने चुनाव कराया, यह सूचना नहीं दी।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—मैंने (ब) भाग के जवाब में बताया है कि चुनाव पंचायत विभाग के इन्सपेक्टर श्री पुरुषोत्तमलालजी द्वारा कराया गया था।

श्री केसरीसिंह-मैं, सरपंच का चुनाव किस अधिकारी ने कराया, यह जानना चाहता हूं।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—सरपंच का चुनाव किसने कराया, इसकी सूचना अभी मेरे पास नहीं है।

श्री भैंरूसिंह—क्या यह सही है कि सरपंच का चुनाव नहीं हुआ ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—सरपंच का चुनाव १. ३. ५६ को हुआ।

श्री केसरीसिंह—किस अधिकारी ने कराया ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—यह जानकारी आपने पूछी नहीं थी।

श्री भैंरूसिंह—ग्राम पंचायत के चुनाव होने के दो महीने तक सरपंच का चुनाव नहीं होने का क्या कारण है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—वहां झगड़े की संभावना थी इसलिये नहीं हुआ।

श्री भैंरूसिंह—क्या दो महीनों तक वहां पर झगड़े की सूरत बनी रही ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—जी हां।

श्री अध्यक्ष—दो महीना छोड कर दो साल तक बनी रह सकती है।

श्री भैंरूसिंह—२ महीनों तक निरंतर झगड़े की सूरत बनी रहने से क्या पुलिस की कार्यवाही करना उचित नहीं समझा गया ?

श्री अध्यक्ष—उचित-अनुचित का सवाल नहीं है। आप इन्फोर्मेशन सीक करिये।

श्री भैंरूसिंह—क्या २ महीने तक झगड़ा सुलझाने का इन्तजाम नहीं किया ?

श्री अध्यक्ष—इन्तजाम किया तभी तो चुनाव हुए हैं।

महाराज श्री केसरीसिंह—२ महीनों तक झगड़े की सूरत रहने का क्या कारण था ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—वहां के आदमी झगड़ालू मालूम पड़ते हैं।

श्री भैंरूसिंह—क्या झगड़ालू आदमियों को समझाने के लिये एक मंत्रीजी भी गये थे ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—झगडालू आदमियों को समझाने की ही जरूरत पड़ती है।

श्री हिम्मतसिंह—पहले सरपंच का चुनाव होता है या पंचायत का ?

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट क्वेश्चन।

प्रश्न संख्या ३१३

३० जनवरी १९५६ को उदयपुर के जगदीश मंदिर के बाहर पुलिस द्वारा लाठी चार्ज एवं उस सम्बन्धी जांच

श्री भैंरूसिंह—क्या गृह मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सही है कि दिनांक ३० जनवरी, ५६ को उदयपुर के जगदीश मन्दिर के समक्ष पुलिस द्वारा जनता पर लाठी चार्ज किया गया ?

(ख) यदि हां, तो क्यों और उसमें किन किन व्यक्तियों को चोट आई ?

(ग) क्या यह सही है कि इस लाठी चार्ज के विरोध में उदयपुर शहर में सम्पूर्ण हडताल रही और वहां की कई संस्थाओं ने इसके विरोध में प्रस्ताव पास कर सरकार को सूचना भी दी ?

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में जांच करवाई है ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

श्री रामकिशोर व्यास—(गृह-मंत्री)(क) जी नहीं। जगदीश मन्दिर के समक्ष जनता पर कोई लाठी चार्ज नहीं किया गया।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी नहीं। केवल कुछ दुकानें बंद रहीं।

(घ) जी हां।

(ङ) जब कोई लाठी चार्ज ही नहीं किया गया तो जांच का प्रश्न नहीं उठता।

श्री भैरूंसिंह—क्या यह सही है कि उदयपुर में सम्पूर्ण हड़ताल के कारण राजस्थान के मुख्य मंत्रीजी हड़ताल तुड़वाने के लिये गये थे ?

श्री रामकिशोर व्यास—इसका जवाब मैंने ऊपर दिया है कि कोई लाठी चार्ज नहीं किया गया ?

श्री भैरूंसिंह—यह परिस्थिति क्यों पैदा हुई ?

श्री रामकिशोर व्यास—हरिजनों के मंदिर प्रवेश के कारण।

श्री भैरूंसिंह—क्या यह सही है कि उदयपुर की जनता ने पहले दिन इक्ठा होकर हरिजनों को मंदिर प्रवेश कराया ?

श्री रामकिशोर व्यास—तब तो झगडा पैदा होने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री जगतसिंह झाला—क्या सरकार इसकी जांच कराने के लिये तैयार है कि लाठी चार्ज हुआ था ?

श्री रामकिशोर व्यास—इसकी आवश्यकता नहीं है।

प्रश्न संख्या ३१४

नजरबन्दी निरोधक कानून के अन्तर्गत गिरफ्तारियां

श्री जगतसिंह झाला—क्या गृह मंत्री निम्न लिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

राजस्थान में सन् ५५-५६ में किन किन व्यक्तियों को नजर बन्दी निरोधक अधिनियम के अन्तर्गत गिरफ्तार कर बन्दी बनाया गया है ?

Page No 40

श्री रामकिशोर व्यास (गृह मंत्री)—During the first B. S. B. agitation.:

1. Shri Madan Singh.
2. ,, Anoop Singh.
3. , Kirat Singh.
4. ,, Vijay Singh.

During the second B' S. S. agitation:

1. Shri SawaiSingh of Bhamora.
2. ,, Narayan Singh
3. ,, Tan Singh, M. L. A.
4. ,, Madan Singh of Danta.
5. ,, Laxman Singh of Tilora.
6. ,, Madan Singh of Bhai.
7. ,, Mangal Singh of Sanwara.
8. ,, Kisat Singh.
9. ,, Heer Singh of Sidnath.
10. ,, Anop Singh of Arthwara.
11. ,, Ajaipal Singh.
12. ,, Amar Singh of Paldi.
13. ,, Hem Singh of Magrasar.
14. ,, Girdhari Singh of Pandi.
15. ,, Iskhat Singh of Sanderao.
16. ,, Bhim Singh.
17. ,, Bhopal Singh.
18. ,, Raghubir Singh of Jaoli.
19. ,, Mahendra Singh of Dugari.
20. ,, Anwan Singh of Hudeel.
21. ,, Keshar Singh of Patodi.
22. ,, Pep Singh.
23. ,, Tej Singh of Khemsar.
24. ,, Bhom Singh of Maglana.
25. ,, Man Singh of Kaisap.
26. ,, Anand singh of Ojawa.
27. ,, Amar Singh of Borawar.

श्री जगतसिंह झाला—इनमें से कितने व्यक्ति अब तक छूट चुके हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास—क्या पूछा आपने ?

श्री जगतसिंह झाला—इनमें से कितने व्यक्ति नजर बंदी से छूट चुके हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास—इसके बारे में जानकारी प्राप्त करनी पड़ेगी।

प्रश्न संख्या ३०५

जयपुर में विधान सभा सदस्यों हेतु 'बी' तथा 'सी' टाइप क्वार्टर्स का निर्माण

श्री गुलाबचन्द कासलीवाल—May I be permitted to put question No. 305 ?

श्री अध्यक्ष—The house has seldom sympathy with those who come late.

श्री गुलाबचन्द कासलीवाल—I did not give notice that the question may be put to day. I had given notice for a different date.

श्री अध्यक्ष—The List of Business is being circulated to the members and there is no need for circulating notice to individuals.

श्री गुलाबचन्द कासलीवाल—But, Sir, every individual member has a right to fix date and give notice thereof.

श्री अध्यक्ष—When the Government is not prepared on a particular date to give reply that date is not fixed. If the hon'ble member is very particular I may allow.

श्री गुलाबचन्द कासलीवाल—Will the Minister for public works Department be pleased to state:—

(a) What is the number of 'B' and 'C' type quarters constructed for the members of the Assembly at Jaipur ?

(b) What is the plinth area of each type ?

[श्री गुलाबचन्द कासलीवाल]

(c) What is the total ccst (including sanitary, Electrical and all other fittings) of cach type ?

(d) What is the cost of laying water, electricity and underground sewage as well as roads etc.

(e) What is the criterion in fixing the rent of these quarters

श्री रामचन्द्र चौधरी (सार्वजनिक निर्माण मंत्री)—(a) There are six quarters of each type 'B' and 'C'

(b) Plinth area of 'B' type quarters of 1516 sq. ft. and 'C' type 1180 sq. feet.

(c) Total cost of 'B' type including sanitary and electrical fittings is Rs. 20,042/- and 'C' type Rs. 12,332/-. These are exclusive of the cost of t he road and main sewage line.

(d)	Cost of laying water main is	Rs. 2844/-	For 12 Quaraters
	Sewage line.	Rs. 775o/-	
	Approach road under construction	Rs. 7748/-	

(e) Rent has not been fixed for these quarters.

श्री गुलाबचन्द कासलीवाल—Have the rents been fixed ?

श्री रामचन्द्र चौधरी—Rents have not been fixed so far.

श्री गुलाबचन्द कासलीवाल—What is the criterion in fixing the rate olr rent of government buildings ?

श्री रामचन्द्र चौधरी—Generally the rate is fixed at five percent of the total cost of the building.

श्री गुलाबचन्द्र कासलीवाल—Does the Government think that the cost of these buildings is extraordinarily high ?

श्री रामचन्द्र चौधरी—No. It is not so.

श्री गुलाबचन्द कासलीवाल—It is high atleast.

श्री रामचन्द्र चौधरी—It is not high.

श्री गुलाबचन्द्र कासलीवाल—Is the Government aware that the cost of building per square foot in the city area is Rs. 6/- to Rs. 8/-.

श्री रामचन्द्र चौधरी—Then what does it come to.

श्री गुलाबचंद्र कासलीवाल—Does the Government not think that cost incurred was higher than the standard rate.

श्री रामचंद्र चौधरी—I do not think so.

श्री अध्यक्ष—Exhausted ?

(हंसी)

राजस्थान कृषि भू-धारण (संशोधन) विधेयक, १९५५ (प्रवर समिति के प्रतिवेदन की प्रस्तुति)

श्री लालसिंह शक्तावत—अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान टिनेन्सी (संशोधन) विधेयक, १९५५ पर प्रवर समिति का प्रतिवेदन उपस्थित करता हूँ।

श्री अध्यक्ष—बराबर सुनाई नहीं दिया।

श्री लालसिंह शक्तावत—अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान टिनेन्सी (संशोधन) विधेयक, १९५५ पर प्रवर समिति का प्रतिवेदन उपस्थित करता हूं।

राजस्थान राजगामी सम्पति नियमन विधेयक, १९५५ (प्रवरसमिति के प्रतिवेदन की प्रस्तुति)

श्री लालसिंह शक्तावत—अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान राजगामी संपत्ति नियमन विधेयक, १९५५ पर प्रवर समिति का प्रतिवेदन उपस्थित करता हूं।

राजस्थान सार्वजनिक उद्यान विधेयक, १९५६ (अग्रेतर विचार-विमर्श एवं पारण)।

श्री अध्यक्ष—Further discussion on the Rajasthan Public Parks Bill 1956, for taking it into consideratiod.

श्री रामचन्द्र चौधरी (मंत्री, लोक निर्माण कार्य)— अध्यक्ष महोदय, किसी को कुछ नहीं बोलना है तो जवाब दे दूं ?

श्री अध्यक्ष—अब कोई नहीं बोलना चाहें तो जवाब दे दें।

राज श्री हिम्मतसिंह (अटरू)—अध्यक्ष महोदय, राजस्थान सार्वजनिक उद्यान विधेयक, १९५६ कन्सीडरेशन के लिए हाउस के सामने है। इसके बाबत मुझे दो चार बातें खास खास निवेदन करनी हैं। सबसे पहली यह कि पब्लिक पार्क्स के लिये यह बिल है, परन्तु इसमें फ्लॉवर्स, ट्रीज़, लॉन्स प्रोटेक्शन के लिये कोई प्रोविजन नहीं रखा है। इसका नतीजा क्या होता है कि पब्लिक जिस तरह चाहे फूलों को तोडती है, गमलों को फोडती है, स्कूलों के लडके आम, कैरी, नीबू, नारंगी और जामफल तोड़कर भाग जाते हैं, माली और सुपरिन्टेन्डेंट गार्ड्स चिल्लाते रहते हैं। एक प्रकार की लूटमार मची रहती है पब्लिक पार्क्स में।

दूसरी बात यह है कि पब्लिक पार्क्स के लिए सुपरिन्टेन्डेंट है, इसमें जू भी है जो फोरेस्ट डिपार्टमेंट के अन्दर में है और पब्लिक पार्क है वह पी० डब्ल्यू० डी० के अन्दर में है; तो यह सुपरिन्टेन्डेंट पब्लिक पार्क्स का होगा या जू का होगा कि दोनों की देखभाल करेगा।

तीसरी बात यह है कि यह ख्याल करें कि कोई फिश पौंड नहीं होता है तो हर एक फिशेज़ को मारेंगे, कई तरह की फिशेज़ होती हैं, तरह तरह के रंग की जिनको लोग देखते हैं, उन फिशेज़ का इसमें जिक्र नहीं है।

चौथी बात यह है कि रूल्स में रखा है कि 'Molestation of or annoyance of any person'

जो खास खास जगह होती है जू में, पार्क्स में मोलेस्टेशन तो गलियों में, बाग में सब जगह होता रहता है। तो मोलेस्टेशन का खास तौर से यहां रखनाठीक नहीं।

पीनल्टी का इसमें रखा है, 'One month imprisonment and a fine of five hundred Rupees.'

इसमें वन मन्थ इम्प्रिजनमेंट का रखा है, बच्चे बच्चियों को जानवरों को छेडने के लिए यह बड़ा सख्त कदम उठाया गया है। समेरी ट्रायल्स में इम्प्रिजनमेंट तो नहीं रखी जाती, फाइन रखा जाता है और यह क्राइम भी ऐसा है कि पब्लिक मोरेलिटी पर इसका कोई असर नहीं पड़ता है। इसके लिये फाइन का सवाल जहां तक है वह ठीक है। बिल में यह प्रोविजन रख दिया जाता कि फलां फलां ओफेंसेज़ के लिये यह इम्प्रिजनमेंट रहेगा लेकिन इसमें रूल्स की खिलाफवर्जी के लिए भी रखा हुआ है इम्प्रिज़नमेंट।

श्री अध्यक्ष—मैं नहीं समझ सका कि आप किस पर बोल रहे हैं, इस बिल के सिद्धांतों पर बोल रहे हैं या प्रवर समिति को सुपुर्द किया जाय, इस पर बोल रहे हैं?

राज श्री हिम्मतसिंह—मैं सिद्धान्तों पर बोल रहा हूं कि इसमें येखामियां हैं, इसलिये यह अवश्य प्रवर समिति को भेज दिया जाना चाहिये।

श्री राम चन्द्र चौधरी (सार्वजनिक निर्माण मंत्री)—अध्यक्ष महोदय, मैं नहीं समझता कि जो कानून स्वयं ही नोन्कन्ट्रोवर्शियल नेचर का है उसके बनने में माननीय सदस्यों को क्यों एतराज है। क्योंकि दांता रामगढ़ और जमवा रामगढ से आये हुए माननीय सदस्यों ने कहा कि यह कानून बनाने की जरूरत नहीं, यह किसी आदमी को जगह देने के लिये बनाया जा रहा है। मैं नहीं समझता कि किसी आदमी को जगह देने के लिये भी कानून बनता है। जिस आदमी के लिये उन्होंने कहा, रामनारायण यादव, वह ७५ रुपये पाने वाला एल. डी. सी. है, उन्हें गवर्नमेंट क्या बना देगी कि उसके लिये कानून बनाती है। . . .

श्री भैरोंसिंह (दांता रामगढ)—आपको जानकारी होगी कि गवर्नमेंट उन्हें अमेरिका भेज रही है, इसी काम की ट्रेनिंग देने के लिये।

श्री रामचन्द्र चौधरी : गवर्नमेंट क्या कर रही है इसके लिये, इसका मुझे पता नहीं।

श्री एच. के. व्यास---गवर्नमेंट क्या कर रही है इसका आपको पता नहीं है तो आप यहां करते क्या हैं, गवर्नमेंट क्या करती है इसका आपको पता नहीं है, तो फिर आप स्तीफा दे दें।

श्री रामचन्द्र चौधरी—मेरा मतलब यह है कि इस मामले में किसी को भेजा जा रहा है कि नहीं, यह मुझे अभी मालूम नहीं है।

श्री एच. के. व्यास—आपको मालूम नहीं है, ताज्जुब की बात है।

श्री रामचन्द्र चौधरी—अगर कोई आदमी इस क्राइटेरिया में फिक्स होता होगा तो भेजा जायगा, पर इसमें कानून बनाने की क्या बात है, अमेरिका गया तो सुपरिन्टेन्ट बना दिया जायगा और अगर सुपरिन्टेन्ट बनाने के लिये कानून बनाये जावें तो राजस्थान मे यही एक पार्क नहीं और भी बहुत से पार्क हैं, यह मैं अर्ज कर रहा था।

इस कानून में देखें तो हरे दरख्त काटने की मुमानियत है, इसके लिये पहले से कानून नहीं। मेरे मित्र ने सही चीज नहीं कही। हर एक दरख्त में फ्लोवर प्लान्ट (Flower plant) और दूसरे पौधे नहीं आते, फूल व पत्तों को काटने लगें तो इसके लिये अभी तक कोई कानून नहीं है, सरसब्ज दरख्त काटने की मुमानियत के लिये कानून है।

दूसरा आपने बताया कि क्रुअल्टी टू एनीमल एक्ट पहले से मौजूद है तो जानवरों के के लिये इसमें प्रोविजन रखने की जरूरत नहीं। यह बात ठीक नहीं। क्रुअल्टी टू एनीमल एक्ट में सांप वगैरह को मारने की मुमानियत नहीं, ऐसे नुकसान पहुँचाने वाले जानवरों को कोई भी मार सकता है परन्तु इस तरह पब्लिक पार्क में कोई जाकर सांप वगैरह को मारे तो ये सब खत्म हो जायेंगे। पहले इसका प्रोविजन नहीं है इसलिये यह कानून बनाया गया है। एक बात आपने यह कही कि इस कानून के जरिये अन्डे देने वाले पक्षियों को भी जानवरों में शामिल किया जा रहा है। दांता रामगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि यह बात गवर्नमेंट के ध्यान में नहीं है और

Page No 46

[श्री रामचन्द्र चौधरी]

इसीलिये यह चेंज एक्ट में आई है। ऐसी बात तो मैं नहीं समझता कि यह बात सरकार के ध्यान में नहीं हो, हम चार साल से कानून बनाते आ रहे हैं। भला ऐसी बात माननीय दोनों सदस्यों के ध्यान में न हो, मैं नहीं मानता, मगर मैं यह कहूँगा कि कानूनी परिभाषा के लिये जान बूझ कर ऐसा किया गया है क्योंकि अगर आप कानून की परिभाषाओं को देखें तो आपको मालूम होगा कि कानून में मेल और फिमेल दोनों के लिये शब्द आता है और कानून में जहां प्ल्युरल वर्ड होना चाहिये मगर वहां पर भी सिंगुलर ही आवेगा। इसलिये कानून की परिभाषा के माफिक जान बूझ कर कानून की परिभाषा बनाई गई है, इसमें कोई गल्ती नहीं है। इसलिये मैं यह मानता कि हूं इसमें किसी किस्म की दिक्कत नहीं है।

एक बात और है वह यह कि अभी कोटा से आने वाले माननीय सदस्य ने जिक्र किया कि जू तो फोरेस्ट के नीचे और गार्डन पी. डब्ल्यू. डी. के नीचे है और जू गार्डन में होता है। मैं यह निवेदन करूंगा कि इस कानून के जरिये सुप्रिन्टेन्डेन्ट मुकर्रर किया जावेगा और इससे यह दिक्कत दूर हो जावेगी। इस दिक्कत को मिटाने के लिये ही यह चीज की गई है। फिश, क्रोकोडाइल वगैरह जितने भी हैं उनको सब को एनिमल शब्द की परिभाषा में इन्क्ल्यूड किया गया है। मैं समझता हूं कि इसको सिलेक्ट कमेटी को सुपुर्द करने की जरूरत नहीं है। यह एक मामूली कानून है। इसमें जितनी देर लगेगी, नुकसान होगा। आपही ने तो बताया था कि पब्लिक पार्क में लोग जाते हैं और फूल तोड़ते हैं और इसीलिये उनको ऐसा करने से बचाने के लिये ही यह प्रबन्ध किया जाता है। मेरे ख्याल से जितना जल्दी इस कानून को पास किया जाए उतना ही अच्छा है।

श्री भैंरूसिंह (१६)—माननीय अध्यक्ष, इस विधेयक के संबन्ध में कुछ चर्चा हुई थी जिस पर मैंने एक प्रस्ताव के द्वारा यह मांग की थी कि यह बिल अव्वल तो ऐसा है जिसकी यहां पर कोई आवश्यकता ही नहीं और किसी कारण से सरकार इसकी आवश्यकता समझती है तो जिस ढंग का यह विधेयक हमारे सामने है यह अपूर्ण है और अपूर्ण ही नहीं मैं तो यह कहूंगा कि गलत भी है, मैंने इसके लिये कुछ बातों का उल्लेख भी किया था और उसमें पशु और हथियार के बारे में खास तौर से उल्लेख किया था। माननीय अध्यक्ष, हमारा हिन्दी कोष हमारी इस बात का साक्षी है पशु में वही जानवर शामिल हैं जो चिड़ियें नहीं हैं। और पक्षियों में वे जानवर शामिल हैं जो पशु नहीं है और अन्डे देते हैं। मगर बड़े ताजुब की बात है कि हमारी राजस्थान सरकार ने पशु और पक्षियों को एक करके हिन्दी कोष के प्रतिकूल व्यवहार किया है। मैंने पहले निवेदन किया था कि पशु और पक्षी एक नहीं हो सकते। मैं आपको पशु की डेफिनेशन पढ़ कर सुनाता हूं।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—माननीय मंत्री ने मूव किया और उन्होंने इसका जवाब दिया अब यह माननीय सदस्यों के लिए मैं समझता हूँ कि यह प्रोसीजर की गल्ती तो नहीं हो रही है।

श्री भैंरूसिंह—आप सदन में होते तो आपको मालूम होता कि —

श्री अध्यक्ष—There is a motion that it should be referred to a select committee.

श्री बृजसुन्दर शर्मा—I am sorry.

श्री भैंरूसिंह—मैं अर्ज कर रहा था कि पशु की परिभाषा क्या है, पशु चार पैरों से चलने वाला कोई जन्तु जिसके शरीर का भार खड़े होने पर पैरों पर रहता हो और जो चिड़िया न हो। आपको हिन्दी कोष में पशु और पक्षी की परिभाषा अलग अलग मिलेगी। कहीं भी पशु में पक्षी शामिल नहीं होते। लेकिन पशु में पक्षी भी शामिल हैं। इस प्रकार की चीज राजस्थान की सरकार कर सकती है। पशु में सांप भी आते हैं, अन्डे देने वाले पशु भी आते हैं, मगरमच्छ भी शामिल हैं। यह काम मैं समझता हूं राजस्थान सरकार ने बहुत सोच समझ कर नहीं किया। इसलिये इसको प्रवर समिति को सौंप दिया जाना चाहिये ताकि इस प्रकार की भूल न रहने पावे और मैं यह कहूँगा कि कोई भी पशु की परिभाषा जानने वाला व्यक्ति यह सहन नहीं करेगा कि पशु और पक्षी एक बनाए जावें। पशु में पक्षियों को रखने से ठीक नहीं। इसी प्रकार माननीय अध्यक्ष, हथियारों की परिभाषा जो की है ....

श्री अध्यक्ष—इसकी क्या जरूरत है ?

श्री भैंरूसिंह—कानून जो बन रहा है वह गल्त बन रहा है। ऐसा नहीं हो कि कानून गल्त बन जाय।

श्री अध्यक्ष—क्लाज टु क्लाज जब लिया जावे तब आप कह सकते हैं।

श्री भैंरूसिंह—अगर यह सिलेक्ट कमेटी के पास चला जावेगा तो यह गल्ती दुरुस्त हो जावेगी। अगर सिलेक्ट कमेटी में नहीं भेजना चाहें तो और इसमें थोड़ा सा सुधार करना चाहें तो शाम को या बाद में लॉबी में यहीं बैठ कर सलाह कर लें। इसके अलावा आपने इसमें हथियारों की परिभाषा रखी है। वह इस प्रकार की है जिससे आगे चलकर बहुत आपत्ति होगी। आपने हथियारों को वहां ले जाने पर रोक लगाई है? मगर आर्म एक्ट के अनुसार जो व्यक्ति हथियार रख सकता है वह तो वह अपने साथ ले जा सकता है। अगर यह पास हो जावेगा तो इसके लिये भी दिक्कत हो सकती है और इसको दूर करने की ही हमारी मंशा है। मैं यह कहूँगा कि आर्म एक्ट एक तरफ यह इजाजत देता है कि कोई भी व्यक्ति लाइसेन्स आर्म का जिसके पास हो लेकर कहीं चला जावे। जिसके पास लाइसेन्स है वह अपने साथ हथियार लेकर चला जावेगा और अंदर जाकर जानवरों को डरायेगा। कहने का मतलब यह है कि आपने जो यह प्रतिबंध लगाया है वह अन लाइसंस्ड हथियारों पर है। रजिस्टर्ड और लाइसंस शुदा हथियारों पर आपका कोई प्रतिबंध नहीं है। इन दोनों चीजों को दूर करने के लिये दूसरी बहुत सी खामियां हैं, उनको पूरा करने के लिये

[श्री भैरोंसिंह]

सरकार ने रूल बनाने का अधिकार लिया है। अगर सरकार यही अधिकार ले लेती कि इसका प्रबंध करने का अधिकार दिया जावे। अगर सिर्फ इतना ही होता तो परिभाषा रखने की और इन सारी चीजों का उल्लेख करने की कोई आवश्यकता नहीं थी।

इसके अलावा माननीय मंत्री महोदय, ने कहा कि विशेष व्यक्ति को नौकरी देने की बात कही गई वह गलत है। मैं समझता हूं कि आपको इसकी पूरी जानकारी नहीं है और अगर किसी ने जानकारी दी है तो वह उचित नहीं है। मैं आपको बताऊं कि एक व्यक्ति जो एल. डी. सी था उसके लिये बार बार पी. एस. सी. से एक्सटेन्शन दिया गया। उसको अमेरिका में ट्रेनिंग के लिए भेजा जाने का और वहां से आकर वही सुप्रिन्टेन्डेन्ट के स्थान पर नियुक्त हो तो वही काम करेगा वह एक एल. डी. सी जिसको ५३ मिलते थे और वह भी टेम्परेरी, पी एस. सी. से मान्य नहीं, उसको आप एक मनमाने ढंग से, चूंकि वह एक माननीय मंत्री जी का आदमी है और उन्होंने उसकी नियुक्ति की है ऐसा किया जा रहा है। अगर आप इस चेलेंज को स्वीकार करें तो मैं इसको साबित करने के लिए तैयार हूँ।

श्री अध्यक्ष—What is the propriety of all these allegations.

श्री भैरोंसिंह—मैं यह निवेदन करूंगा कि एक व्यक्ति को नियुक्त करने का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष—There is neither forum nor time for this.

श्री भैरोंसिंह—मैं यह निवेदन करूंगा कि आप कानून बनाने में तेजी न करें और उचित संशोधन करें।

अच्छा तो यह होगा अगर आप कुछ रोज नहीं ठहर सकते तो आप शाम को ही बैठ जाइये या अभी लॉबी में चलिये। मैं आपको स्पष्ट रूप से बता दूंगा कि इसमें किस किस प्रकार के संशोधन होने चाहियें। आवश्यक संशोधन के बाद ही इस कानून को सदन दुबारा पास कराया जाय। मैं माननीय मंत्री महोदय से निजी तौर पर भी यह निवेदन करूंगा कि उनने पहला ही यह कानून पेश हुआ है, अगर इसमें भी किसी प्रकार की खामी रह गई तो उन खामियों के कारण वे किसी प्रकार की प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं कर सकेंगे और यह उनके लिये भी शोभा की बात नहीं होगी। अन्त में मैं यही निवेदन करता हूं कि इस संबंध में तकाजा न करके लोगों की भावनाओं का समावेश इसमें उचित रूप से हो सके इसलिये इस सिद्धांत को स्वीकार करके इसको दुबारा प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय तो बहुत उचित होगा और इसके साथ साथ मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि प्रवर समिति को वापिस भेजने का जो प्रस्ताव मैंने रखा है वह उसमें सहयोग दें, ताकि उसमें उचित संशोधन होकर इसको पास कर सकें।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि राजस्थान सार्वजनिक उद्यान विधेयक, १९५४ को प्रवर समिति के सुपुर्द किये जाने हेतु जो संशोधन श्री भैरूसिंह जी ने रखा है उसे स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया।

(विराम)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि राजस्थान सार्वजनिक उद्यान विधेयक, १९५६ को विचारार्थ लिया जाय।

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया जाता है।

श्री भैरूसिंह—अध्यक्ष महोदय इस पर मेरा अमेन्डमेन्ट तो कोई नहीं है लेकिन मेरा यह निवेदन है कि इसकी परिभाषा में पशु और पक्षी दोनों कर दिया जाय तो ठीक होगा।

श्री नाथूराम मिर्धा—इससे कानून में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं पड़ती, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है।

श्री अध्यक्ष—इस बिल पर कोई संशोधन तो है नहीं, क्या इसको क्लॉज़ बाई क्लॉज़ लिया जाय।

श्री भैरूसिंह—क्लॉज बाई क्लॉज लिया जाय।

श्री अध्यक्ष—क्लाज बाई क्लाज पर जो कोई बोलना चाहें बोलें ?

(किसी के बोलने के लिये खड़े न होने पर)

श्री राम चन्द्र चौधरी—मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान सार्वजनिक उद्यान विधेयक, १९५६ को पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष—क्या सदन की अनुमति है कि इस सार्वजनिक उद्यान विधेयक, १९५६ को पारित किया जाय।

(स्वीकृत)

विधेयक पारित हुआ

राजस्थान विक्रय कर (संशोधन) विधेयक १६५६ (विचार-विमर्श एवं पारित)

श्री अमृतलाल यादव—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान सेल्स टेक्स (संशोधन) विधेयक, १६५६ को विचारार्थ लिया जाय।

श्री अध्यक्ष—प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ। श्री हरिकृष्ण व्यास।

श्री हरिकृष्ण व्यास—अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रस्ताव यह है कि इस विधेयक को जनमत संग्रह के लिये प्रसारित किया जाय और जनमत संग्रह की अवधि ६ महीने रखी जाय।

वैसे जो यह विधेयक नाम की चीज प्रस्तुत हुई है इस विधेयक के सारे के सारे का सारांश एक ही धारा में अंकित होता है; अध्यक्ष महोदय वह धारा यह है कि आवश्यक वस्तुओं पर सेल्स टेक्स लगाने का अधिकार सरकार ने ३१ मार्च १६५६ तक ले रखा था। अब इस संशोधन विधेयक के द्वारा सरकार यह चाह रहीं है कि इन आवश्यक वस्तुओं को एसेन्सियल कोमोडिटीज़ पर सेल्स टेक्स लगाने का अधिकार ३१ मार्च, १६५७ तक और मिल जाय। जो विधेयक प्रस्तुत हुआ है उसका पूरा लक्ष्य अथवा उद्देश्य इन शब्दों में अंकित किया जा सकता है।

इस सिलसिले में जो कानून अध्यक्ष महोदय, हमने पास किया था १६५४ में जिसकी धारा २८ को संशोधित करने के उद्देश्य से यह प्रस्ताव लाया गया। इस धारा की ओर मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना आवश्यक समझता हूं। वह धारा २८ जो इसमें दर्ज है वह इस प्रकार है " The provisions of this Act so far as they relate to goods declared to be essential for the life of the community by the Essential Goods (Declaration and Regulation of tax on sale or purchase) Act, 1952, shall remain in force till the 31 st day of March, 1956."

अध्यक्ष महोदय, लड़ाई के जमाने में हमारे देश में कुछ कानून बने थे और कानून की मन्शा यह थी कि जो वस्तुयें लोगों के प्रयोजन अथवा प्रयोग के लिये आवश्यक हों उनके कन्ट्रोल के लिये सरकार अपने हाथ में कुछ न कुछ अधिकार ले ले। जब सेल्स टेक्स बनाने की नौबत आई तब अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न उठा कि जिन वस्तुओं के ऊपर सरकार द्वारा कन्ट्रोल कर रखा है और उनकी दरें निश्चित कर रखी हैं उन पर अब और इसके अलावा और सेल्स टेक्स लगाने की आवश्यकता है अथवा नहीं, और आवश्यक होना क्यों चाहिये ? क्या उनमें किसी प्रकार की कमी नजर आई ? नतीजा यह हुआ कि जिन वस्तुओं को १६५२ में इसी एक्ट की तहत में आवश्यक वस्तुयें करार कर दी गई थी, उन पर टेक्स लगाने का अधिकार विशेष तौर पर विधान सभा को दिया गया था और विधान सभा द्वारा वह अधिकार सरकार को उपलब्ध हुआ। नहीं तो अमूमन आम तौर पर सरकार द्वारा यह अधिकार दिया गया हो ऐसा नहीं गिना जायगा। इसी वजह से सब से पहले बम्बई, मध्य प्रदेश, दिल्ली में और बाद में चूंकि इस प्रकार एक्ट राजस्थान में १६५४ में बना एक्ट बनते समय भी धारा २८ रखी गई थी, जिसमें यह दर्ज कर दिया गया था कि १६५६ के ३१ मार्च तक ये

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

अधिकार उपलब्ध होंगे सेल्स टेक्स लगाने के अथवा समाप्त करने के। जो संशोधन विधेयक आज प्रस्तुत किया गया है उसके स्टेटमेन्ट ऑफ ओब्जेक्टस एन्ड रीजन्स में यह कहा गया कि जिन परिस्थितियों के कारण यह प्रावधान किया गया था वह अभी तक विद्यमान है और सरकार ऐसे आवश्यक सामानों पर मार्च १६५७ के अंत तक उक्त सेल्स टेक्स लगाना आवश्यक समझते है, अतः इस विधेयक द्वारा यह उद्देश्य प्राप्त करने की मन्शा है।

मुझे यह समझ में नहीं आया कि कौनसी परिस्थितियां हैं जिनके अभी तक विद्यमान होने का सरकार द्वारा एलान किया गया या यह कहा जाय, क्या, इस प्रकार की इमरजेन्सी इस समय मुल्क के अन्दर पैदा हो गई अगर यहां कहा जाय कि लोगों, पर कपड़े, अनाज, घासलेट, तेल के ऊपर सेल्स टेक्स नहीं लगाया जायगा तो इस सरकार का दिवाला निकल जायगा या त्राहि त्राहि मच जायगी, राजस्थान में कोहराम मच जायगा क्या यही सरकार का कहने का तात्पर्य है ? मैं इसके लिये यही कहूँगा कि यह सरकार केवल अपने बनाये हुए ख्याली पुलाव के अन्दर ही बह रही है, मौजूदा वस्तुस्थिति से कोई मेल नहीं खाता।

ऐसी न तो कोई विशेष स्थिति है और ऐसी न कोई विशेष हालत है। जब यह कानून बनाया था तब भी नहीं था और उस समय पैसे भर था तो मेरा तो यह कहना है कि द्वितीय पंच वर्षीय योजना का श्रीगणेश परसों हो करते समय इस सदन में अपने विचारों के द्वारा निर्णय व्यक्त करने के बाद कि देश में उत्पादन के आधार पर सामान की नई नई पैदावार के साधन निर्माण करके जो इन्डस्ट्रीज़ हैं उनका उत्पादन बढ़ा, प्रान्तों का उत्पादन बढ़ा, उन ऐलानों के आधार पर हम अपने आपको शाबाशी देते हैं और दूसरी ओर टैक्स का प्रश्न आया तो कहते हैं कि स्थिति अब भी वैसी की वैसी है। यह बात कम से कम मेरी समझ में नहीं आई। हकीकत यह है और इसलिए मैं समझता हूँ कि सरकार को जनमत समझना चाहिये। अपनी इस नीति को आम लोगों के विचार से, उनकी राय से टैस्ट कर लेना चाहिये और वह यह कि सरकार की नीयत है, सेल्स टैक्स की आमदनी हो रही है उसे आवश्यक वस्तुओं पर लागू रक्खा जाय, जो रुपया खजाने में आ रहा है उसमें कुछ कमी हो जावे तो सरकार का दिल बैठा जा रहा है। मेरा यह कहना है कि यह गलत नीति है, गलत नीयत है, यह दृष्टिकोण दकियानूसी है, यह सोचने का तरीका पुराना है, विरोधी भावना है लोगों के प्रति, येन केन प्रकारेण जनता की जेब में से पैसा छीनने की प्रवृत्ति है। यह गलत है और अगर यही प्रवृत्ति है तो मेरा यह कहना है कि अब तो कम से कम रहम करो उन गरीबों पर। एक साल तक बहुमत के जोर पर आवश्यक वस्तुओं पर सेल्स टैक्स लगा कर लोगों को लूटा और यह कह कर लूटा कि विशेष स्थिति है, हम एक साल के अन्दर ही इसे समाप्त कर देंगे, अगली साल बन्द कर देंगे। एक साल वह पूरा हुआ, इसके बाद फिर यहां यह संशोधन लाया जा रहा है कि हमें ३१ मार्च, ५७ तक यह अधिकार दिया जावे और मैं यह जानता हूं कि अगर इस नीयत को इस बार ठेस नहीं लगाई गई, इस प्रयत्न का कड़ा विरोध नहीं किया गया तो ५७ के नजदीक आने पर फिर इसी प्रकार का एक संशोधन

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

प्रस्तुत किया जावेगा कि ये परिस्थितियां आज भी मौजूद हैं और इसलिए ३१ मार्च, ५८ तक के लिये और रास्ता खोल दिया जावे।

सेल्सटैक्स का कानून जो पास किया उसमें इस उसूल को स्वीकार किया गया कि सेल्स टैक्स इस आधार पर लगाया जाना चाहिये जिससे उसका बोझ कन्जूमर पर न पड़े, बल्कि बीच के अन्दर बिजनेस ट्रान्जेक्शन में ओब्जर्व हो जावे। इतना बड़ा व्यापारी होने के नाते उसे अपने प्रोफिट में से देना पड़े। पर जहां तक इसेन्शल कोमोडिटी का प्रश्न है टैक्स लास्ट पोइन्ट पर लगता है, यह दुनिया को मालूम है। हमारे कानून में दर्ज यह है कि इसेन्शल कोमोडिटी का टैक्स लास्ट पोइन्ट पर लगता है और जो लास्ट पोइन्ट पर लगता है वह बगैर किसी कमी के कन्जूमर से वसूल किया जाता है कन्जूमर पर इसका बोझा पड़ता है। अगर सेल्सटैक्स का कानून बनाने वाले अपने दृष्टिकोण को वास्तविक दृष्टि से बनावें तो उसे लागू करने के पूर्व ही जो कन्जूमर के ऊपर बोझा पड़ने का प्रश्न है वह कायम नहीं रहे, इसका तरीका यह है कि इसेन्शल कोमोडिटी पर टैक्स लगाने का अधिकार रद्द कर दिया जावे। अगर रद्द कर दिया गया तो क्या हो जावेगा ? यदि कपड़े पर से अथवा यह समझ लीजिये केरोसिन तेल पर अथवा ऐसी कुछ दो चार और चीजों पर सरकार को टैक्स वसूल करने का मौका अगर नहीं मिलेगा तो क्या हो जावेगा; कोई तूफान हो जावेगा, ढांचा सरकार का चकनाचूर हो जावेगा ? आखिर मेरी समझ में यह नहीं आता कि खुद के बनाये हुए कानून को और उसूल को बराबर तोड़ने के लिए इतनी जिद्द क्यों, इतना प्रोत्साहन क्यों, इतनी हठ क्यों ? मैं देखता हूं कि इन्कार करने की स्थिति आज उनकी नहीं है और इसलिए इसेन्शल कोमोडिटीज़ पर टैक्स लगाने के तरीका का तात्पर्य यह है कि यह लास्ट पोइन्ट पर लगेगा और इसका बोझा जाकर कन्जूमर पर पड़ेगा।

दूसरा मुद्दा मेरा यह है कि इस कानून की न सिर्फ आवश्यकता ही है, बल्कि स्टेटमेंट आफ ओब्जेक्ट्स में जिक्र किये गये जिन उसूलों के आधार पर यह कानून पास किया गया था उसका उल्लंघन है, स्पष्ट उल्लंघन है। आज उसका उल्लंघन करके, आज उस एक्सपेन्शन को कानून बना कर हटाने का प्रयत्न किया जा रहा है वह फिर उल्लंघन किया जा रहा है। एक बार पहले किया इसे एक साल के लिये जारी रखकर, फिर दुबारा उल्लंघन और किया जा रहा है। यह प्रयत्न गलत है। और अभी जब कानून बनाते हैं तो उस आधार पर बनाते हैं जिनका चित्र उनके दिमाग में है, जिन परिस्थितियों को वे आधार मानते हैं, वे परिस्थितियां उनके दिमाग में चक्कर लगा रही हैं और उनके कहने के मुताबिक वे आज भी मौजूद हैं। टैक्स लगाने के लिए आज मौजूद हैं, पर जब पंच वर्षीय योजना की सफलता का गुणगान गाते हैं तब वे परिस्थितियां लोप हो जाती हैं, तब अच्छी परिस्थितियों का बखान करते हैं। तो वे विषम परिस्थितियां आज भी मौजूद हैं, कल भी रहेंगी। ऐसी स्थिति में मैं कहूंगा कि अपने आपको जनता के नुमाइन्दा कहने वाली इस सरकार को चाहिये कि वह जनता पर थोड़ा सा तो भरोसा करे, जनता के नाम की दुहाई देने वाली सरकार थोड़ा जनता का विश्वास तो करे। अगर वे परिस्थितियां आज भी मौजूद हैं जैसे कि सरकार को अपने सलाहकारों

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

की रिपोर्टों से पता चला है तो फिर वे आवें मैदान में और जनमत के लिए इसे भेज दें और मैं इस बात का दावा करता हूँ, मुझे यकीन है कि कोई राइट थिंकिंग आदमी राजस्थान का, मैं तो यहां तक कहूंगा कि सरकार के जिन अधिकारियों की सलाह से यह कानून बनाया जा रहा है उनको भी अगर सरकारी दबाव से फ्री कर दिया जावेगा, गवर्नमेंट ओब्लीगेशन्स से मुक्त कर दिया जावेगा, उनको भी उनके अनुभव के आधार पर पूछा जावे तो वे भी वही सलाह देंगे कि वे स्थितियां आज भी हैं। तब पता लगेगा सरकार को कि जनमत क्या कहता है, जनता की मनःस्थिति क्या कहती है ? आपको पता लग जावेगा कि इस प्रकार बोझा डालने का अधिकार लेने का सरकार का तरीका गलत है। अतः अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूँ कि इस कानून की सिर्फ आवश्यकता ही नहीं है बल्कि आवश्यकता महसूस करते हैं तो मेरा उनसे यह नम्र निवेदन है कि वे आवें और आकर अपनी पोपुलेरिटी टैस्ट करें, अपनी राय की कीमत टैस्ट करें, अपने इखलाक को टैस्ट करें ; अपने टैक्स वसूल करने के इरादे को किसी न किसी रूप में लागू करने का जो तरीका है उस तरीके की वस्तु स्थिति की वे जांच करें।

मैंने सदन के सामने जिन विशेष स्थितियों का उल्लेख किया है उसके बारे में अपने विचार मैंने रक्खे। अध्यक्ष महोदय, मैं बताऊं मुझे तो ऐसा लगता है कि जहां तक इस सदन की मन्शा का सवाल है मुझे तो ऐसा लगता है कि वह उस किस्से की तरह है जो आम लोगों में मशहूर है।

(श्री हिम्मतसिंह अटरू, सभापति, पद पर आसीन)

वह किस्सा मैं बयान कर दूं। एक भेड़िया आया और उसकी इच्छा थी कि भेड को खा जावे। उसने सोचा कि इसको कैसे खावें। कोई न कोई बहाना ढूंढना चाहिए। तो उसने शिकायत की कि ए भेड, तुम्हारे पानी पीने से पानी गन्दा हो रहा है; भेड़ ने कहा मैं तो डाउन स्ट्रीम पर पानी पी रही हूँ, और तुम तो अप स्ट्रीम पर पानी पी रहे हो, मेरे पानी पीने से उधर का पानी कैसे गन्दा होगा, पानी का बहाव तो ढलाव की तरफ होगा, वह तो वापिस ऊपर की तरफ नहीं जा सकता। तो इस पर उसने टर्न राउन्ड होकर कहा कि वह पानी चाहे तुम्हारे पीने से गन्दा होता हो या नहीं पर तेरी ग्रान्ड मदर ने गाली दी थी इसलिए तेरे को खाऊंगा ही, तो यह स्थिति आज इस टैक्स के बारे में है। टैक्स उन्हें वसूल करना है, अपना खजाना भरना है। अब यदि यह कहा जावे कि टैक्स के लिए स्थितियां ऐसी मौजूद हैं तो टेक्स हमें वसूल करना है, टेक्स तो हमें लेना है, अपने खजाने भरने हैं। अब भी यह कहा जाय कि टेक्स लगाने के लिए स्थिति मौजूद है तो टेक्स वसूल हो चाहे वह स्थिति मौजूद हो या नहीं, लेकिन हमें तो लेना है ही, और माननीय मंत्रीजी गरीबों का नाम लेकर, गांधीजी के सत्य और अहिंसा का बहाना देकर, समाजवादी पेटर्न और सोसाइटी का रेकार्ड हाथ में रखकर, जनता के नुमाइन्दे होने का ढोल पीट पीट कर और सेवाभाव से ओतप्रोत होने का ढोंग रचकर आते हैं और कहते हैं, सरकार आती है और कहती है, साफ क्यों नहीं कहना चाहती हैं, कि हमें लेना चाहिए,

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

गरीबों के पास ले लेना चाहिए क्योंकि गरीब बहुतायत में हैं, उनमें ज्यादा आवश्यक वस्तुओं का चलन है; उनकी करेन्सी ज्यादा है, उनको हरेक आदमी को खरीदना पड़ेगा, जिन्दा रहने के लिए खरीदना पड़ेगा, मजबूरी से खरीदना पड़ेगा और हमारे खजाने में रुपया आ जायेगा, लेकिन मंत्रीजी को परवाह नहीं है कि लोगों के घरों के अन्दर, उनके बाल बच्चों के सांस्कृतिक जीवन के ऊपर बुरा प्रभाव पड़ता हो। उसकी परवाह नहीं लेकिन हमारा खजाना खनाखन रुपयों से भरता जाना चाहिए। शर्म आनी चाहिए ऐसा कानून प्रस्तावित करने वाली सरकार को सोचना चाहिए ऐसा कानून प्रस्तावित करने वाले बड़े छोटे मंत्रियों को, नीचे के दर्जे से लेकर एक से ग्यारह तक के हरेक लेवल के मंत्री महोदयों को, चाहे वे गांव के लेवल नेता हों, जो इस प्रकार का भाषण करने में किसी से पीछे नहीं रहे। वे भाषण करते हैं सहयोग दिया जाय, सरकार की मदद की जाय, हमारे हाथ मजबूत किये जांय, हमें वोट दिये जांय। किसलिए ? इसलिए कि जनता के नाम पर राज्य करते •२ आपसे इतना नहीं होता कि सात साल से आपका राज्य चलने के बाद भी लोगों की आवश्यक वस्तुओं के ऊपर टेक्स लगाने के काम को रोक नहीं सकते तो मैं कहना चाहता हूँ कि छोड़िये इस रास्ते को और कहिये कि हम नाकामयाब हुए हैं। हमें अपने दिमाग का दिवालियापन कबूल करना पड़ता है। कोई रास्ता है वह रास्ता एक अंधेरी गली में आकर खत्म हो जाता है। लोगों की आवश्यकताओं पर टेक्स वसूल किये बिना राज्य शासन चलाने का कोई काम नहीं आता है। जो सही स्थिति है उसको इमानदारी से कबूल करना चाहिए। अभी भी उनमें ऐसी हिम्मत बाकी हो, कोई इमानदारी बाकी हो, गांधी जी की दुहाई देने वालों के दिमाग में गांधीजी के प्रति अब भी कुछ श्रद्धा बाकी हो तो हमारे सामने आकर कहें कि यह कानून बेकार है और जबरदस्ती लादने की नीति गलत थी। हम इस प्रस्ताव को वापिस लेना चाहते हैं, इस बिल को वापिस लेना चाहते हैं। ऐसे दिमाग न सुधरे तो मैंने जो इलाज बतलाया है वह इलाज लागू करने का, चेयरमेन महोदय, प्रयत्न किया जाय। जब अकेले काम नहीं चले तो जनता के बीच में इसको भेजें। मैं गारन्टी करता हूं, मुझे यकीन है, कि यदि इस विधेयक को जनमत-संग्रह के लिए भेजा जाय, जनमत को वे स्वीकार करने के लिए तैयार हों तो, ९९.९ परसेन्ट जनमत इसके विरोध में आयेगा। कोई दो, चार पिट्ठुओं को छोड़कर जिनको सिखायेंगे वे इसका विरोध करेंगे, और अगर सिखायें नहीं तो वे लोग भी इसका विरोध करने वाले नहीं हैं। यह स्थिति है। इस स्थिति में वे कानून को प्रस्तुत करके, इसको पास करने की इच्छा रखकर चलते हैं तो जनमत की न सिर्फ अवहेलना की जा रही है, लेकिन गरीबों को कुचला जा रहा है। टेक्सेज़ ही अगर लगाने हों तो यह कहना चाहिए कि सरकार ऐसी चीजोंपर लागू करे जो कि लग्ज़री गुड्स हैं। अगर टेक्स लगाना ही है तो बड़ी बड़ी आमदनी पर लगाएं। आपसे नहीं लगता है तो भारत सरकार से लगवाया जाय। टेक्स लगाना है तो ऐसी चीजों पर लगाया जाय जिन्हें हम कह सकते हैं कि यह न सिर्फ देश के लिए आवश्यक नहीं है लेकिन बहुत बड़ा कन्सेन्ट्रेशन हो रही हैं, लेकिन वहां पर न नजर चलती है लेकिन नजर चलती है तो बेचारे रिक्शे वाले के ऊपर जो दिन भर में ४, ८ आने कमाता है। उससे कहा जाता है कि तेरे ४,८ आने की कमाई में से दो आने हमें दे दे। जो स्टेशन पर कुली का काम करता

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

है और ४,८ आने की कमाई कर घर आता है तो उससे कहा जाता है कि तेरी इस कुटिया के अन्दर टिमटिमाती हुई ६ आने की बत्ती को जलाने के लिए केरोसीन का तेल चाहिए, उस पर भी टैक्स दे, तेरे आठ आने में से एक आना हमारा हिस्सा तैयार रख । उनकी नजर जाती है तो सामान्य लोगों पर, गांवों के लोगों के ऊपर । गांव की दुहाई देने वालों, देहात की दुहाई देने वालों, देहात का ५० बार जिक्र करने वालों से मेरा कहना है कि देहात का आपके दिल में यकीनन ख्याल है तो यहां देखिए, राजस्थान में ही नहीं, सारे देश में, लूण, दियासलाई और घासलेट का तेल देहात वाले केवल ये तीन चीजें ही परचेज करते हैं ज्यादातर । बाकी तो गांव वाले अपने कपड़े भी खुद बनाते हैं, और धान और अनाज खाने को मिलता ही है अपने आप । बाकी की दूसरी चीजें औजारों से लेकर, लकड़ी का हल अथवा लोहे की चीजों तक सब वे अपने आप गांव में बनाते हैं या बनवाते हैं ! बाजार में आते हैं खरीदने के लिए तो मजबूरी से केरोसीन का तेल, नमक और दियासलाई के लिए ही उन्हें आना पड़ता है। सबसे ज्यादा उनकी परचेज का धन्धा है तो इनके ऊपर है। अब, चेयरमैन महोदय, देहात का दम भरने वाले मेरे माननीय मित्रों से मुझे कहना है कि आज सरकार क्या कर रही है । वह कहना चाहती है कि हिन्दुस्तान और राजस्थान का किसान है वह दो चार चीजें ही तो मुश्किल से खरीद सकता है। हम इन दो चार चीजों को भी सहूलियत से नहीं खरीदने देना चाहते हैं। उसके गांव की झोंपड़ी के अन्दर अगर मिट्टी के तेल का छोटा सा टिमटिमाता हुआ दिया भी जलाने का मौका मिलता है तो उस पर टैक्स लगाना चाहते हैं। तो इतना सा, माननीय अध्यक्ष, किसान को हम अधिकार देने को तैयार नहीं हैं। यह उनकी मानवता है, यह उनका दृष्टिकोण है । इस पर इस बात को कहने जा रहे हैं कि यह विधेयक वैसे ही पारित कर दिया जाय ! मैं कहना चाहता हूं, चेयरमैन महोदय, कि इसमें मेरा ही सख्त विरोध नहीं है बल्कि हर ईमानदार आदमी इसका विरोधी है । मेरा यह कहना है कि यह बिलकुल गलत दृष्टिकोण है। सरकार इस दृष्टिकोण को छोड़ दे। वह १६५६ के ३१ मार्च के बाद से आवश्यक वस्तुओं परमेल्स टैक्स लगाने का ख्वाब छोड़ दे। वह तरीका छोड़ दे। उसको चाहिए कि इस कानून को वापिस लेने में कोई हिचकिचाहट हो तो मेरे प्रस्ताव मे मन्जूर कर लें और इस विधेयक को जन मत-संग्रह के लिए भेज दें तो पता चलेगा कि हम कितने पानी में हैं।

इन्हीं शब्दों के साथ में अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूँ और आशा करता हूं कि इस प्रस्ताव को सरकार स्वीकार कर लेगी और अगर सरकार स्वीकार नहीं करेगी तो यह भी आशा करता हूं, और मुझे आशा करनी चाहिए, तो जो ईमानदार सदस्य वहां बैठे हुए हैं वे अपनी इसके बारे में राय व्यक्त न करें, बल्कि जोर दें इस बात पर कि आखिर यह है क्या ? हम किस ओर जाना चाहते हैं? वही नाटक है रामलीला का, वही मन्च है और वही परदे हैं । वे कहें कि हम सबके मत से सहयोग लेकर यह चीज राजस्थान में करेंगे। यदि वे इस तरह से करेंगे तो इस बोझ से बचाने का वह बहुत बड़ा नेक काम करेंगे। इस उम्मीद से मैं अपना प्रस्ताव सदन की स्वीकृति के के लिए प्रस्तुत करना चाहता हूँ।

श्री भैरूंसिंह (दांता रामगढ़)— माननीय चेयरमैन महोदय, इस विधेयक के संबंध में मैं यह प्रस्ताव

[श्री भैरोंसिंह]

करता हूं कि इसको जनता की राय जानने के हेतु प्रसारित किया जाय। माननीय चेयरमेन, जिस समय इस विधान सभा में हम लोगों ने राजस्थान सेल्स एक्ट पास किया उस समय किन किन चीजों के ऊपर किस प्रकार से टेक्स लगेगा, और उस टेक्स का असर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से किन किन लोगों के ऊपर पड़ेगा इसकी विस्तार से चर्चा हुई थी और इस सदन में उस समय ऐसा वातावरण बना था कि यदि माननीय मंत्री महोदय, जिन्होंने राजस्थान सेल्स एक्ट को पाइलोट किया था किसी भी प्रकार का आश्वासन नहीं देते तो शायद इस सदन को कई अशोभनीय काम भी करने पड़ते, जिनके कारण यह राजस्थान सेल्स टेक्स एक्ट पास होकर आज हमारे समक्ष नहीं आता। उसमें भी कई प्रकार की गड़बड़ियां हुई हैं। इस विधान सभा ने इस कानून को पास किया। बहुमत के आधार पर सरकार ने जनता के प्रतिनिधियों की आवाज के प्रतिकूल भी उसको पास कराया। सरकार को यह विश्वास था कि हमने, हमारी विधान सभा ने और जनता के प्रतिनिधियों ने इसको पास किया था। टेक्नीकल रूप से देखें तो विधान सभा के सब ही माननीय सदस्य जनता के प्रतिनिधि हैं, लेकिन यह उन प्रतिनिधियों के द्वारा पास कराया गया जो जनता पर टेक्स लगा देना चाहते थे और उसका जनता ने एकमत होकर उन टेक्सों के विरोध में अपनी आवाज को बुलन्द किया, जो कुछ भी कानून द्वारा टेक्सेज लगाये जा रहे हैं वे ज्यादा हैं और जायज नहीं हैं। सरकार ने उनके आंदोलन को पहले तो इस स्थिति में समझा और वह इस स्थिति में रही कि यह कानून हमने, हमारी विधान सभा ने बनाया है, जनता के प्रतिनिधियों ने इसको बनाया है और जनता इसका विरोध करती है तो उनके साथ जन बल नहीं है, कुछ स्वार्थी व्यक्ति जनबल को प्राप्त करके आवाज बुलंद कर रहे हैं। इसी जयपुर शहर में १३ दिन तक हड़ताल हुई। इसी जयपुर शहर में जहां माननीय मंत्रीजी ने इस प्रकार का कानून बनाया, अशोभनीय चीजें हुई। इसी जयपुर शहर में अर्थियां निकाली गईं, सरकार के प्रमुख व्यक्तियों को काले झंडे दिखाये गये, सरकार के खिलाफ गंदे गंदे नारे लगाए गये और जनता ने इस भावना को व्यक्त किया कि उनकी आर्थिक स्थिति इस प्रकार की नहीं है कि उन पर और टेक्स लगाया जाय। जो टेक्स लगे हैं वे हो इतने भारी हैं कि उनके कारण जनता की जीवन शक्ति पर बहुत बुरा असर पड़ता है। उस समय भी ऐसी परिस्थिति बनी कि सरकार को मजबूर होना पड़ा और जनता जिस प्रकार से टेक्सों में कमी कराना चाहती थी वह उनकी भावना पूरी तो नहीं हुई किन्तु उनकी भावना की कद्र करते हुए सरकार ने कमी की और उस समय भी सरकार ने यह विश्वास दिलाया था, उस समय भी सरकार ने विधान सभा में विश्वास दिलाया था कि जितनी भी इसेन्शियल कोमोडीटीज् हैं जिन पर ये टेक्सेज लगाये गये हैं वे हमने केवल एक साल के लिए ही लगाये हैं और उसके बाद अपने आप यह संशोधन विधेयक ले आये, जनता तो इस खयाल में थी कि एक साल के लिए ये टेक्सेज हैं, जनता को विश्वास था कि एक साल के लिए टेक्सेज हैं। विधान सभा के सदस्यों को यह विश्वास था कि एक साल के लिए ये टेक्सेज हैं, आगे नहीं लगाये जावेंगे लेकिन यह विश्वास तो जाता रहा और सेल्स टेक्स संशोधन बिल इन्ट्राडयूस कर रहे हैं। जनता में भावना बनी थी कि करटस के अभाव में कुछ न कुछ टेक्स देना है और इस भावना को देखते हुए इसेन्शियल कोमोडीटीज् पर किसी प्रकार टेक्स नही लगना चाहिये थे लेकिन फिर भी सरकार ने लगाया, और सरकार ने उनको जनता के प्रतिनिधियों

[श्री भैरोंसिंह]

के रूप में विश्वास दिलाया और कुछ प्रतिनिधियों का यह विश्वास प्राप्त न करके भी सरकार ने इसको पास कराया और कहा कि यह एक साल के लिए लागू होगा। जब यह संशोधन विधेयक हमारे सामने आया, मैं नहीं समझ पाया कि सरकार को कौनसी ऐसी आवश्यकता इस वक्त पड़ गई है और जो आश्वासन दिया था उसके विपरीत सरकार ने और सरकार के मंत्रीजी ने इस प्रकार की कुचेष्टा की है। उसके उद्देश्य देखे थे तो इसका उल्लेख मिलता है कि जो टेक्स लगाये गये हैं वे ३१ मार्च ५६ तक लगाये गये हैं और आगे हम उनको चालू करना चाहते हैं। चालू क्यों करना चाहते हैं, इसका कोई उल्लेख नहीं हैं। इस बात का कोई उल्लेख नहीं है कि आज तक चालू किया उसके कारण जनता को कितनी कठिनाइयां उठानी पड़ी, गरीबों पर कितना दबाव रहा, इसका भी कोई उल्लेख नहीं, उससे कितनी आमद रही इसका भी कोई उल्लेख नहीं। जब कोई उल्लेख नहीं तो क्या अधिकार है कि जनता की बिना राय जाने जबरदस्ती सरकारी खजाने को भरने के लिए जनता पर टेक्स लगाना चाहते हैं? आवश्यकता तो इस बात की है कि सरकार अगर किसी प्रकार का टैक्स लगाये तो वह सरकार अपनी आर्थिक स्थिति का चित्रण रखे, जनता की आर्थिक स्थिति को देखे, जनता इस प्रकार से अधिक टेक्स देने के लिए काम्पिटेन्ट है या नहीं है, कितना टेक्स होना चाहिये, कम लेते हैं या ज्यादा लेते हैं, लिये जाने चाहिये या नहीं लिये जाने चाहिये। इसके पहले की सरकार इस प्रकार का चित्र प्रस्तुत करती लेकिन इसकी परवाह नहीं करते हुए मैं नम्रता पूर्वक निवेदन करूंगा कि उस सरकार को अधिकार नहीं है कि जनता पर इस प्रकार के अनुचित टेक्स लगा कर अपने अधिकारों का इस प्रकार से दुरुपयोग करती है। मैं बतलाऊं कि जो अधिकार आप लोगों को सौंप रखे हैं, जनता ने जो अधिकार सौंप रखे हैं, बहुमत के आधार पर अल्प मत को कुचलने की जो चेष्टा करते हैं, और उसकी भावना को जो कुचलने की चेष्टा करते हैं, आज नहीं तो कल इस प्रकार सौंपे गये अधिकारों का दुरुपयोग करने वालों को एक न एक दिन समाप्त होना पड़ेगा।

जो संशोधन विधेयक हमारे सामने प्रस्तुत हुआ है उसके अनुसार जनता को इसेन्शियल कोमोडिटीज़ पर टेक्स देना पड़ेगा। इसेन्शियल कोमोडिटीज़ पर कानून बनाने का सरकार का दृष्टि-कोण यह था कि कन्ट्रोल की जितनी खास खास चीजें हैं, बड़े बड़े केपेटेलिस्ट्स उन चीजों का विशेष फायदा उठा कर, कन्जूमर्स से ज्यादा से ज्यादा पैसा किस तरह से खींचा जा सकता है इस दृष्टिकोण से वे अपने पास उन चीजों को इकट्ठा कर लिया करते थे और ब्लेक मार्केट से ज्यादा से ज्यादा पैसा इकट्ठा करने की कोशिश करते थे। भारत सरकार ने इन चीजों को देखा है और केपेटेलिस्टस की मनोवृत्ति से तंग आकर, इस मनोवृत्ति से परेशान होकर भारत सरकार ने सोचा कि इसेन्शियल कोमोडीटीज़ निश्चित कर दीं, भारत सरकार ने इन इसेन्शियल कोमोडीटीज़ की रेट्स पर पाबन्दी डाल दी, रेटस निश्चित कर दीं ताकि उस पाबन्दी के कारण जो कन्जुमर गुड्स हैं, जो रोज मर्रा की चीजें हैं, जो गरीबों की जरूरियात को पूरा करने वाली हैं वे ब्लेक मार्केट में न जावें, केपेटेलिस्टिस नाजायज तरीके से गरीब लोगों की जेबों से पैसा न खींच सकें और इसी कारण इन इसेन्शियल कोमोडीटीज़ की रेट्स निश्चित कर दीं। एक

[श्री भैरोंसिंह]

तरफ तो भारत सरकार इस प्रकार का प्रयत्न करती है और भारत सरकार चाहती है कि गरीबों से पैसा इस प्रकार न बटोरें, जिनके हाथों में बिजनिस है वे इस प्रकार से लोगों की जेबों से पैसा बटोर सके, यह तो भारत सरकार की नीति है और दूसरी ओर—

(श्री गोपीलाल यादव, सभापति, पदासीन)

राजस्थान की सरकार जो कहती है कि जनता की सरकार है, जनता के प्रतिनिधियों की सरकार है और बजट पेश करते हुए सोशलिस्टिक पेटर्न को स्वीकार करती है, वह यह चाहती है कि गरीब जनता की जेब में एक पैसा भी न रहे, उसके बाद उस बात को लेकर यह विधेयक सदन में प्रस्तुत कर दिया। विधेयक प्रस्तुत हुआ। विधान सभा की जिम्मेदारी है कि। जिस प्रकार से सरकार का संकेत होगा गरीब लोगों की जेबों से जो कुछ धन बचा हुआ है वह खींचना। यदि ये सदस्य जो उनकी नीयत को प्रोत्साहन देते हैं तो पता लगेगा कि कानून जब पास होता है लेकिन यदि सदस्य चूंकि यह गरीब लोगों की जेबों से बचा खुचा जो कुछ है वह भी खींच लेने की प्रवृत्ति है, जो सदस्य जनता के प्रतिनिधि होकर आये हैं और इस प्रकार से जो सरकार गरीब लोगों की जेबों से पैसा खींचना चाहती है, सरकार के इस प्रकार के अधिकारों को चुनौती देकर इस विधेयक को वे रद्दी की टोकरी में फिकवा देंगे, जो चाहते हैं कि इस प्रकार सरकार को अपने अधिकारों का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए और जनता पर इस प्रकार से टैक्स नहीं लगाने चाहिए और जो सूरत इससे पैदा होती है उसको स्वीकार नहीं कर सकते।

मै उन चीजों का उल्लेख किये बिना नहीं रहूँगा जिन चिजों पर कि यह टेक्स लगेगा। राजस्थान सरकार ने इसेन्शियल कमोडिटी पर, आम लोगों के खास तौर पर काम आने वाली चीजों पर जो टेक्स लगाने का विधेयक प्रस्तुत किया है, वे कौनसी चीजें हैं कि जिन पर यह टेक्स लगने वाला है। मैं निवेदन करूं कि एडिबल ओइल्स है, कॉटन है और यार्न है, पान है छठा हाइड्स एन्ड स्कीन्स, सातवां आइरन एन्ड स्टील, आठवां केरोसीन आइल; यदि इन चीजों को कोई भी यह देखे कि इन चीजों का कौन ज्यादा उपयोग करता है तो कोई यह नहीं कहेगा जिनको हम पूंजपति कहते हैं, राजा महाराजा कहते हैं, जिनको धनी लोग कहते हैं, धनाढ्य कहते हैं, वे ज्यादा उपयोग करते हैं बल्कि यह कहना पडेगा कि इन चीजों का उपयोग ज्यादा करने वाली है गरीब जनता। केरोसीन आइल पर टेक्स लगाया। केरोसीन आइल बिजली के उपयोग के कारण शहरों में काम में नहीं आता है, बडे बडे लोग, राजा महाराजा केरोसीन ऑइल का उपयोग नहीं करते हैं, लेकिन गांवों में. हमारी सरकार ने इलेक्ट्रिक सिटी का प्रबन्ध नहीं किया है, जहां बिजली नहीं पहूंची है, उन गरीबों की झोंपडियों में जहां कि लाइट का प्रबन्ध नहीं हुआ है, उन लोगों को केरोसीन आइल खरीदना पडता है। कोई एक पैसे का खरीदता है, कोई एक रुपया का खरीदता है, कोई डेढ रुपया का खरीदता है। उन एक रुपया डेढ रुपया का केरोसीन ऑइल खरीदने वालों से टेक्स वसूल करेंगे और अपना खजाना भरेंगे और बड़ी बड़ी तनख्वाह

[श्री भैरोंसिंह]

आने वाले जो सरकार के अधिकारी हैं उनको देंगे, मिनिस्टरों के लिए बंगले बनाये, और मिनिस्टरों के बगीचों की सिंचाई हो, टेक्स लेकर इनका प्रबन्ध करें ; यह कैरोसीन आइल की बात हुई। इन चीजों के अलावा अध्यक्ष महोदय, खाल और हड्डी पर भी टेक्स लगाया गया है। खाल, कोई पशु मरता है तो उसके बाद उसका चमड़ा निकाला जाता है। इस पर भी टेक्स लगाया गया है। कोई बडा आदमी पशु रखता हो, ऐसी बात नहीं है। राजस्थान में पशु धन जिनके पास है वे सब बाहर के गांवों में रहनेवाले ग्रामीण हैं। उनमें से किसी के पास ५ पशु होते हैं, तो किसी के पास ३ या २ या १ पशु होते हैं। इन मवेशियों के मरने पर उनका चमडा निकाला जाता है, लेकिन उस पर भी उनको टेक्स देना पडेगा। अव्वल तो उनकी बद-किस्मती से उनके पशु मरते हैं और दूसरी बदकिस्मती यह है जो राजस्थान सरकार द्वारा थोपी जा रही है कि इस चमड़े पर भी उनको टेक्स देना पडेगा। यह जबरदस्ती का टेक्स थोपा जाना है। ऐसी बात नहीं है कि यदि कोइ व्यापार करने वाले पर टेक्स लगता हो तो उसका विरोध किया जाय, लेकिन आप गरीबों के रोज मर्रा काम में आनेवाली एक एक चीज पर टेक्स लगाते हैं, तो यह न्याय होगा या अन्याय ?

आप सोचिये कि लोहे पर टेक्स लगाया है। बाहर गांवों में, बाहर गांवों में ही नहीं बल्कि सदन में चर्चा सुनी है कि राजस्थान के एक कांग्रेसी नेता गाडिया लोहारों को बसाने के लिये प्रयत्न करते हैं लेकिन वे बसे या नहीं यह दूसरी बात है, लेकिन गाडिया लोहार जो बस नहीं सके हैं और वे लोग जिस लोहे पर अपना जीवन निर्वाह करते हैं उस लोहे पर भी टेक्स लग रहा है। गांव गाव में छोटा मोटा लोहा इकठा करते हैं और गाडिया लोहारों को देते हैं। उनको जो लोहा बेचा जायगा उस पर भी टेक्स लगेगा। इस लोहे से गाडिया लोहार छोटे छोटे चिमटे, कड़ाई आदि चीजें बनाते हैं उस पर भी टेक्स देना पड़ेगा। पहले तो लोहा खरीदा उस पर टेक्स दिया और फिर जब सामान नया बनाया तो उस पर भी टेक्स देना पड़ेगा और यदि किसी व्यापारी के पास लाये तो भी उसको टेक्स देना पडेगा। आप उन गाडिया लोहारों को बसाने की बात करते हैं लेकिन मैं कहता हूँ कि आप उनकी रोजी छीनते हैं और लंबी लंबी डींग हांकते हैं कि उनको बसाने की कोशिश कर रहे हैं। लोहे का काम केवल गाडिया लोहार ही नहीं करते हैं लेकिन आप किसी लोहार को देखें तो पता चलेगा कि बाहर गांवों में फूटे, टूटे लोहे को लोग बेचते हैं और ये लोहार उसको खरीद कर सामान तैयार करते है, जो गरीबों के रात दिन काम आता हैं। गरीबों की इन छोटी छोटी चीजों पर आप टेक्स लगायेंगे तो यह न्यायोचित नहीं होगा बल्कि, जनता पर प्रहार करके उनके गले में फांसी लगाने का अशुभ कार्य को प्रेरणा दे रहे हैं, ऐसी चीज बनेगी।

इसके अलावा यदि रॉ कोटन या रूई को लेते हैं तो उस पर भी टेक्स लगाया है। यदि मीलों में रूई काम आती है तो गरीबों का एक्सप्लोइटेशन होता है और जो केपिटेलिस्टिक प्रवृत्ति बढ़ती है उस पर टेक्स लगाकर उसको रोकें तो कोई बुरी बात नहीं, लेकिन बाहर गांव में रा कोटन और उसके द्वारा बनाया जाने वाला कोटन यार्न या कोटन थ्रेड कताई द्वारा तैयार किया जाता है, उस पर भी टेक्स लगायेंगें तो क्या होगा ? फिर आपका कुटिर उद्योग क्या है, आपका अंबर चर्खा

[श्री भैरोंसिंह]

क्या है ? कहने में तो जरूर आयगा कि हम कुटीर उद्योग पर जोर दे रहे हैं और दूसरी बातों पर जोर दे रहे हैं, रॉ कोटन पर फेसिलिटीज दे रहे है और दूसरी ओर सेल्स टेक्स का चित्रण आयगा। रॉ कोटन पैदा करके, उससे यार्न तैयार करके जो लोग अपना जीवन निर्वाह करते हैं उन पर भी सरकार टेक्स लगाने को तैयार है।

इतना कहने के बाद मैं यह कहूंगा कि कपड़ा, रॉ कोटन, लोहा, चमड़ा और तेल पर टेक्स लगाया लेकिन आगे चल कर इसमें भी बाज नहीं आये लेकिन कोल्हू चलाने वालों पर, तेल बेचने वालों पर भी टेक्स लगाने की बात आई। इस सदन में चर्चा होती है तेल को बनाने की क्रिया को और आोइल सीड को कुटीर उद्योग का भाग मानते हैं और यह कहते हैं कि हम यह चाहते हैं कि कुटीर उद्योग की जितनी चीजें है उनकी ज्यादा से ज्यादा तरक्की हो, इन चीजों को कर से मुक्त किया जाय ताकि ये चीजें लोगों को ज्यादा मिलें, लोगों को इनसे धंधा मिले। लेकिन तेल की घाणी से तेल निकालने वाले और तिल पैदा करने वाले कर से बच नहीं सकें, कानून से बच नहीं सकें इसलिये इन कुटीर उद्योग पर कर लगाने की योजना सरकार ने बनाई है। तिल पैदा करने वालों पर, तेल को बेचने वालों पर या कोई घाणी से तेल निकाले तो उस पर भी टेक्स लगेगा। इधर तो केरोसिन ऑयल पर टेक्स, खाने के काम में आने वाले तेल पर टेक्स और उधर अच्छा घी मिलता नहीं। वेजिटेबल घी को प्रोत्साहन देने के लिये उस पर कोई टेक्स नहीं। लेकिन लोगों के स्वास्थय को जो पुष्ट और ठीक बनाने वाली वस्तु है उस पर टेक्स लगाकर गरीबों को इन चीजों से महरूम रखें तो यह न्याय संगत बात नही है।

हम एसेन्शियल कोमोडिटीज पर टेक्स लगावें उससे पहले जनता की स्थिति को देखें, टेक्स लगाने की क्रिया देखें और अब तक जिन चीजों पर टेक्स लगाया है उसके रिजल्ट को देखें और और जनता की राय जानकर टेक्स लगावें तो ज्यादा उपयुक्त चीज होगी। जनता की राय के लिये इसे प्रशस्त किया जाय तो ज्यादा उपयुक्त होगा। राजस्थान में कुछ ऐसे धंधे हैं, चीजें हैं जिन पर टेक्स लग गया। जनता काफी अरसे से इस प्रतीक्षा में थी कि राजस्थान विधान सभा में कोई संशोधन आयगा जिसके द्वारा गलती से या अन्य कारणों से जो टेक्स लग गया है वह सारा टेक्स माफ होगा। मैं उदाहरण उपस्थित करूंगा पान का। राजस्थान के सेल्स टेक्स के अनुसार पान पर भी कर लगाया। मैं मंत्रीजी को जानकारी देता हूं कि मैंने पान के सबन्ध में दूसरे प्रान्तों से भी जानकारी प्राप्त की और इस स्थिति में कह सकता हूं कि एक स्टेट के अलावा किसी भी स्टेट ने पान पर टेक्स नहीं लगाया है लेकिन राजस्थान सरकार ने इन पानों पर भी टेक्स लगाया है। पान बेचने वालों के रिप्रेजेन्टेटिव्ज सरकार से मिले। मैं गलत हो सकता हूं लेकिन मन्त्रीजी ने उनसे कहा कि पानों के बारे में हम सोच रहे है और विधान सभा में संशोधन लाकर इस पर से कर हटा देंगे। लेकिन यहां जो संशोधन प्रत्यक्ष रूप में आया है उसमें पान पर से कर हटाने का कोई उल्लेख नहीं है और ऐसी दूसरी चीजें जिन पर कि टेक्स नहीं लगना चाहिये था उन पर टेक्स लगाने की तजवीज की गई है। यह जरूरी है कि इसे पास करने से पहले हम जनता को जानकारी दें और यदि जनता

Page No 61

[श्री भैरोंसिंह]

की राय इन चीजों पर टेक्स लगाने की है और यदि हम इस नतीजे पर पहुँचें कि जनता इसके पक्ष में है तो टेक्स लगावें और यदि जनता इसके पक्ष में नहीं है तो विधान सभा को अधिकार जरूर है कि कानून बना सकती है लेकिन उसको इस अधिकार का दुरूपयोग नहीं करना चाहिये।

अंत में मंत्रीजी से यह निवेदन करूंगा कि आज वे इस स्थिति में हैं कि बहुमत उनके पक्ष में है। विधान सभा में संशोधन आ गया है, वे उन नेसेसिटीज की चीजों पर टेक्स नहीं लगावें जिन पर टेक्स नहीं लगाने का उन्होंने बार बार आश्वासन दिया है। लेकिन आज की स्थिति ऐसी है कि बहुमत के आधार पर विधान सभा द्वारा इस कानून को पास कर देंगे। लेकिन मैं विधान सभा के सदस्यों से कहूंगा कि इस सेल्स टेक्स के बारे में न तो हमने अपने अपने क्षेत्र के लोगों से पूछा है और न कोई जानकारी प्राप्त की है कि इस सेल्स टेक्स के कारण जनता को क्या कठिनाई है। जब हमें जानकारी नहीं है तो मंत्रीजी को हर संभव उपाय से बतावें कि जनता के साथ आपका यह XXXX चल नहीं सकेगा और विधान सभा में यह पास नहीं हो सकता। मैं कांग्रेस के सदस्यों से आशा करता हूं कि वे मेरा साथ देंगे। यदि कांग्रेस के सदस्य इसके पक्ष में नहीं होते हुए भी मेरा साथ नहीं देंगे तो मैं विरोधी दल के सदस्यों से कहूंगा कि इस डेमोक्रेसी के जमाने में जनता से अन्याय के साथ पैसा खींचते है, जनता पर XXXX प्रवृत्ति से टेक्स लगाते है....

श्री बृजसुन्दर शर्मा—चेयरमेन महोदय, क्या यह..........पार्लियामेन्ट्री शब्द है?

श्री भैरूं सिंह—इस शब्द का प्रयोग कल और पहले भी किया गया है और इसे पार्लियामेन्टरी शब्द ही माना है। डाकूपने से आपको चिड़ है तो XXXX समझ लीजिये।

श्री सभापति (श्री गोपीलाल यादव)—यह अनपार्लियामेन्टरी शब्द है। इस तरह के शब्द काम में नहीं लाने चाहिये।

श्री भैरूं सिंह—गरीब जनता की बिना राय लिये रात दिन काम में आनेवाली जरूरी चीजों पर टेक्स लगाया जाता है तो में इसे XXXX ही समझता हूं।....

श्री बृजसुन्दर शर्मा—चेयरमेन महोदय, मेरा इस पर एतराज है। ये शब्द डिलीट होने चाहिये या वापिस लेने चाहिये।

श्री सभापति (श्री गोपीलाल यादव)—मैं चाहूंगा कि आप इन शब्दों को वापिस लें, वास्तव में हमारी गलत शब्द इस्तेमाल करने की प्रवृति बन्द होनी चाहिये।

XXXX श्री अध्यक्ष की आज्ञा से ये शब्द कार्य-विवरण में से हटाये गये।

श्री भैंरूं सिंह—xxxx शब्द अपनी विधान सभा में बहुत दिनों से प्रचलित है, xxxx शब्द कल भी इस्तेमाल में लाया गया था और वह सदन की प्रोसीडिंग्स में है। आज जनता पर टेक्स लगाते हैं उस समय यह अनपार्लियामेंटरी कैसे हो गया? पर आपकी रूलिंग मानते हुए ये शब्द वापिस लेऊं तो इन शब्दों के लेने के माने यह न समझें कि जनता पर इस तरह से टेक्स लगाना xxxx नहीं है। जनता पर इस तरह से टेक्स लगाना xxxx है..............

श्री बृजसुन्दर शर्मा—माननीय चेयरमैन, फिर उन्हीं शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है, मुझे इन पर आपत्ति है।

श्री चेयरमैन—"डाकू" शब्द के अलावा और शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं। डाकू शब्द तो और मायने में आता है।

श्री भैंरू सिंह—यह ठीक है कि बच्चे उडाने का काम करते हैं वे डाकू हैं, परन्तु पैसे उड़ाने का काम उससे कम नहीं है।

श्री सभापति—चलिये आगे।

श्री भैंरूं सिंह—अन्त में मैं अर्ज करूंगा कि बुद्धि से काम लें, टेक्स नहीं लगाना चाहिये। और अन्त में मैं निवेदन करूंगा माननीय मन्त्री महोदय से कि जयपुर के सेल्स टेक्स आन्दोलन से सबक लेकर जनता पर ऐसे टेक्सेज का भार न बढ़ायें।

जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि गांधीजी के सिद्धान्तों को ध्यान में रख कर और सोशलिस्टिक पैटर्न के सिद्धान्तों को ध्यान में रख कर इस तरह से टेक्स न लगायें। मैं भी यही निवेदन करूंगा कि जनता पर टेक्सेज न लगायें और अगर टेक्स लगाने की उनकी प्रवृत्ति है तो इस तरह के टेक्स लगाने से पूर्व जनता की राय ले लें।

अन्त में मैं इतना ही सदन से निवेदन करते हुए अपना स्थान ग्रहण करूंगा कि वह सरकार को मजबूर करे कि इस तरह के टेक्स न लगाये।

श्री चन्दनमल वैद—माननीय चैयरमेन, पृथक राजस्व मंत्रीजी ने जो यह विधेयक पेश किया है उसके बारे में मुझे भी दो चार बातें अर्ज करनी हैं।

मैं शुरू से यह बात बता देना चाहता हूँ कि टैक्स लगाने का विरोध मैं नहीं करता। द्वितीय पंचवर्षीय योजना हमने शुरू की है, उसके लिये हमें टेक्स लगाने पड़ेंगे, टेक्स लगाने से

---

xxxx श्री अध्यक्ष की आज्ञा से ये शब्द कार्य-विवरण में से हटाये गये।

Page No 63

[श्री चन्दनमल वैद]

मुझे विरोध नहीं पर जो टेक्स लगाने का तरीका राजस्थान सरकार ने अपना रखा है उससे केवल मुझे ही नहीं बल्कि सब को विरोध होना चाहिये।

बजट के समय ३० लाख के टेक्सेज़ की घोषणा की पर यह नहीं बताया कि किस चीज पर टेक्स लगेंगे और किस चीज पर नहीं लगेंगे। इसके अलावा एक साल के लिये यह टेक्स लगाया गया था अब एक साल के लिये और यह टेक्स बढाया जा रहा है। इसके लिये मुझे ही नहीं सब को आपत्ति है। १९५२ में भारत सरकार ने कानून बना कर, इसका नामदिया 'Essential Goods (Declaration and Regulation of Tax on Sale or Purchase), Act, 1952" दिया और यह तय किया कि कुछ ऐसी वस्तुएं हैं कि जिन पर कोई राज्य सरकार सेल्स टेक्स या परचेज टेक्स नही लगा सकेगी और इस तरह सारे हिन्दुस्तान की जनता को बुनियादी अधिकार दिया कि ये चीजें ऐसी हैं जिन पर कोई टेक्स नहीं लग सकता। अब जो पृथक राजस्व मंत्रीजी ने यह बिल पेश किया है वह जिन परिस्थितियों में आकर १९५९ तक टेक्स लगाया था वह प्रोविजन्स अब भी मौजूद हैं। पता नहीं वह क्या हैं, न इस बिल के ऑब्जेक्टस में दिया है और न ही मन्त्री महोदय ने बताया है कि आज ऐसी क्या कन्डीशन्स पैदा हो गई हैं जिनकी वजह से असेन्शियल कोमोडिटीज़ पर एक साल के लिये टेक्स बढ़ा रहे हैं। जो अधिकार भारत सरकार ने कानून बना कर हिन्दुस्थान की जनता को दिये हैं उन अधिकारों का हनन क्यों करना चाहते हैं, ऐसी कौनसी इमरजेन्सी राजस्थान में आ गई है, असेन्शियल कोमोडिटीज पर जिन पर कि कानून बना कर भारत सरकार ने टेक्स लगाना मना किया है, उन पर टेक्स लगाना चाहती है। इसका कारण बताना चाहिये था कि ये कारण हैं जिनकी वजह से टेक्स लगाना जरूरी हो गया है।

क्या लग्ज़रीज़ की सारी चीजें खत्म हो गईं या उन पर पहले से ही इतने अधिक टेक्स लगा दिये गये; अब और टेक्स, उन पर नहीं लगाया जा सकता या और कोई चीजें बाकी नहीं रही जिन पर कि टेक्सेज नहीं लगाये जा सकते? क्या मोटर गाडियों पर जितना टेक्स लगाना था उतना लग चुका है और अब उन पर टेक्स नहीं लगाया जा सकता, क्या फाइन, सुपर फाइन कपड़े पर और दूसरी शौक की चीजों पर जो बड़े बडे आदमी, पैसे वाले अमीर लग्ज़रीज़ की चीजें खरीदते हैं, उन पर जितना टेक्स लगाना चाहिये था वह लग चुका है और अब और अधिक नहीं लगाया जा सकता कि जो गरीबों के इस्तेमाल में आने वाली चीजों पर जिन पर कि भारत भारत सरकार ने टेक्स लगाना कानून से मना किया है उन पर टेक्स लगाते? अगर उन पर टेक्स लगाती है राजस्थान सरकार तो इसके लिये राष्ट्रपति की स्वीकृति लेनी पड़ेगी। जब राजस्थान सरकार इतना बड़ा कदम उठा रही है तो क्या राजस्थान सरकार यह समझती है कि इन चीजों पर यह टेक्स लगाया जाना इतना जरूरी है। भारत सरकार ने जो बुनियादी अधिकार दिये हैं उनका हनन क्यों किया जा रहा है? इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि पृथक राजस्व मंत्रीजी ने जो यह बिल पेश किया

[श्री चन्दनमल वैद]

है, उसका विरोध करना चाहिये और मैं पृथक राजस्व मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि वे इसे वापिस ले लें, क्योंकि यह हमारे बुनियादी अधिकारों पर कुठाराघात है।

यदि उनको टेक्सेज की जरूरत है तो मोटर विहिकल्स पर दो पैसे के बजाय एक आना टेक्स लगा दें, दो आना टेक्स लगादें, रेशमीन कपड़े पर, दूसरी अमीरों के काम में आने वाली चीजों पर टेक्स लगा सकते हैं पर गरीब आदमियों के काम में आने वाली चीजों पर टेक्स लगाना उचित नहीं। तिल्ली का तेल है, चमड़ा है (संभवतः किसी मन्त्री महोदय को अपनी ओर हंसते हुए देख कर) आपको मालूम नहीं हो तो वह एक्ट पढ़ कर सुना सकता हूँ, उसमें यह चीजें हैं, मेहरबानी करके मजाक करने की आदत है उससे बाज आइये। यदि आपको खुद को मालूम नहीं है कि आप क्या करने जा रहे हैं तो सबक ले लीजिये। सेल्स टेक्स १९५४ में जो लिस्ट आपने बनाई है और भारत सरकार ने जो लिस्ट बनाई है, उसमें यह फरक है, केरोसिन आइल, एडिबल ऑइल, वेजीटेबल ऑइल, वेजीटेबल ऑइल में सरसों का तेल भी शामिल है।

अन्त में मैं यही निवेदन करूंगा कि गरीबों पर टेक्स मत लगाइये। मन्त्री महोदय इससे सबक ले लें और उनको घाटा है तो वह और चीजों से, जो कि धनवानों के इस्तेमाल में आती हैं, उनसे पूरा करें।

श्रीमती यशोदा देवी—माननीय चेअरमैन, सेल्स टेक्स के बारे में आम जनता की राय जानने के लिए माननीय सदस्य जोधपुर से आने वाले ने जो प्रस्ताव रखा है उसका मैं समर्थन करती हूं। माननीय सभापति, मैं उचित नहीं समझती कि जो सरकार अपने आप को जनता जनार्दन की सरकार मानती है, वह जनता जनार्दन को बिना जानकारी कराये कोई भी कानून पब्लिक के सर पर थोप दे। यह कल्याणकारी सरकार जो समाजवादी शासन कायम करने वाली सरकार है वह कम से कम ऐसा कभी भी नहीं कर सकती और जो महात्मा गांधी की सरकार है वह सरकार आज नये नये टैक्स का बोझ जनता के सर पर डाले और पब्लिक की राय भी न ले, यह सरकार अपने आप को राम राज्य की सरकार कहती है। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल राम राज्य का ढिंढोरा पीटने वाले और नारे लगाने वाली सरकार की कहती हूं कि अभी तक हमारे राज्य में राम राज्य कायम हुआ नहीं, मगर उसकी शुरुआत हो रही है और जो हो रहा है उसका नकशा हमारे सामने है। हमारे नेता केन्द्र द्वारा बुलाये जाते हैं, यह छुपा नहीं है। मैं एक राम राज्य की छोटी सी मिसाल आपके सामने रखूंगी, माननीय सभापति, कि जिस समय रामचन्द्रजी ने पब्लिक की बिना राय लिये एक छोटी सी चीज थी और वह थी पब्लिक की बिना राय लिए सीता को जब लंका से घर लाये तो अपने घर में रख ली, उस वक्त विरोध किया था और वह विरोध भी किसने किया एक छोटे से नीच जाति के आदमी ने और वह कौन था, वह था धोबी। उसने कहा था कि यह जनता की सरकार होते हुए भी यहां के राजा ने सीता को बहुत साल लंका में रहते हुए लंका से लाकर अपने घर में

[श्रीमती यशोदादेवी]

बिना जनता से पूछे रख ली। जब राम ने यह सुना तो उन्होंने कहा कि वास्तव में पब्लिक का राज्य है और मैं तो जनता का एक प्रतिनिधि कहलाता हूं। मैंने बड़ी भारी गल्ती की है, उसको वापिस लौटाना चाहिये। वह एक धोबी की बिना इच्छा के कहने से वापिस लौटानी पड़ी। मगर यहां पर हम रात और दिन महात्मा गांधी की माला जपते हैं, सत्य की विजय बोलते हैं। लेकिन पब्लिक को बिना पूछे टैक्स लगाते जाते हैं और टैक्स लगा रहे हैं। गांवों में गडोलिये लुहार और दूसरे लोग सामान बेचते हैं या जो चक्कियें बेचते हैं उन पर भी टैक्स। राजाओं का राज था उस समय उनको छूट थी। उनसे राजाओं के जमाने में भी बहुत कम टैक्स लिया जाता था, अगर लिया भी जाता तो एक आध चीज का लिया जाता था। मगर आज उनका धन्धा बन्द पड़ा है। एक तितली मिट्टी की बना कर बेचता है उससे भी टैक्स, एक कुंजड़ी भाजी बेचती है उस पर भी टैक्स। यह तो टैक्सों की हद हो जावेगी। हमारी सरकार को शर्म आनी चाहिये इसके लिए कि वह पब्लिक की राय जाने बिना ही यह सब कुछ कर लगा रही है। हमारी सरकार को चाहिये कि वह जनता की राय जाने। सरकार को शर्म आनी चाहिए जो अपने आपको समाजवाद के नारे लगाती है। सरकार को टैक्स लगाना चाहिये बड़े बड़े नेताओं पर, बड़े बड़े राजा और महाराजाओं पर जो नये कायम हुए हैं न कि गरीब लोगों पर जिनके बदन पर पहिनने को कपड़ा नहीं है और जिनके लंगोटी है, उसको भी सरकार टैक्स लगा कर छीन लेना चाहती है। बड़े बड़े शहरों में हजारों रुपये बेकार पानी की तरह बहाये जा रहे हैं। हमको उनके लिए प्रयत्न करना चाहिये, अपने मुँह खोलने चाहिये। आज ग्रामीण जनता जिन्होंने हमको यहां पर प्रतिनिधि बना कर भेजा है वे लोग आज यहां पर आकर इस सदन में उनके हित की बात भूल जाते हैं। उनको पेट भर नाज नहीं मिलता है, क्या हम इसको राम राज्य कहते हैं? इसलिए मैं तो यह निवेदन करूंगी कि छोटी छोटी चीजों पर टैक्स नही लगना चाहिये और अगर लगे तो अमीरों पर लगना चाहिये और अमीरों और गरीबों में किसी प्रकार का भेद भाव नहीं होना चाहिये टैक्सों के मामले में। वह दिन आने वाले है, पब्लिक के दिलों में आग लग रही है, आप और हम सब रात और दिन सुन रहे हैं कि क्या हो रहा है। यदि सरकार ने इस सम्बन्ध में सही कदम नही उठाया तो ५७ का गदर होगा और हम उसको दबा नहीं सकेंगे। क्यों नहीं दबा सकेंगे? वह संघर्ष होगा पसीने वालों और पैसे वालों में क्योंकि हमने पसीने वालों का शोषण किया है और अब वे इस शोषण को बर्दाश्त नहीं करेंगे। गदर होगा पसीने वालों और पैसे वालों का, जोर और डन्डों का नहीं। अगर सरकार ने कदम नहीं उठाया तो डन्डे की आवाज भी सुनाई जावेगी। क्योंकि दिल आखिर ऐसा बन जाता है और गरीबों की आवाज को आप नहीं दबा सकेंगे। इसलिए मैं यह निवेदन करूंगी कि पब्लिक की राय के लिये इसे भेजा जाए और इस सम्बन्ध में जो प्रस्ताव रखा गया है उसका मैं समर्थन करती हूं।

(श्री लालसिंह शक्तावत, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री ईश्वरी सिंह—उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो आपने ज्यादा नहीं कह कर आई कहूंगो कि कोई आदमी कोई काम करे तो झूठ बोल कर नहीं करे, सही सांची बोल कर करे। मगर हमारी

[श्री ईश्वरीसिंह]

गवर्नमेन्ट है वह सब काम झूठ बोलकर कर रही है । मैं बताऊंला कि सरकार लाखों हरिजनों ने पेजी तो केयो के मन्दिर में बाड़ दिया वा भी कहां तक सही है । बाद में कहा कि कुआ करवा दिया जासी । मगर मैं देख रयो हूं कि हरिजनों री दशा कांई हो री है । आज से पाँच वर्ष गुजरे, जल बोर्ड में के हो रयो है । करोड़ों रूपये खराब किए जा रहे हैं मगर हरिजनों के कूओं के लिये पैसा नहीं है, हरिजनों के कूओं के लिए ८०० या हजार रूपयों से ज्यादा नहीं दिए गये होंगे ।

एक माननीय सदस्य—आपका इससे क्या मतलब है ?

श्री ईश्वरी सिंह—मतलब बता दूं । वह रूपया तो बरबाद किया गया और अब गरीबों के लिए टेक्स पे रूपया इकठा किया जा रहा है । मैं ज्यादा न कहकर थोड़ी सी बात रखूंगा कि अगर सरकार के नेताओं ने टेक्स लगाया तो एक दिन गवर्नमेंट को देखना पड़ेगा कि हल वाले हल लेकर और गाड़ी वाले गाड़ी लेकर चले जावेंगे । कांग्रेस का राज्य हो जावेगा तो सत्युग हो जावेगा, वह यह सोच रहे थे लेकिन यह तो उससे भी बुरा हो गया है । उम्मीद तो या ही कि पब्लिक को सुख आवेगो और स्वराज्य आयो है सो सुख आवेगो सुख को समय ओ हुओ की राजा महाराजाओं से टेक्स वसूल होगो गरीबों से वसूल नहीं होगो । लेकिन गरीब दुकनदार से टेक्स लिया जा रहा है । नौकर शाही के लिये अठे सवाल उठ रया है उणाने भी हम सदन में सुन रया हां । गरीबों के लिये क्या हो रहा है यो भो नक्शा देख रया हां, पाकिस्तान तंग कर रया है ।

आज नयो सवाल उठ रह्यो है । तमाम जगा पंचायता कायम कीदी और पंचायता की तरफ सूं तमाम आदमियों पर नया नया टेक्स लगाय जा रहा है । आप इणाने ही प्रजातंत्र समझ लियो है । इणाने प्रजातंत्र कह्यो जासी या रामराज्य कह्यो जासी ।

हरिजनों ने ऊपर उठावा के वास्ते करोड़ों रूपया पानी की तरह बहाया जा रहा है । इणी तरह सू पहल्या सीकर का इलाका में लोहारां ने बसाया, एक बिचारा लोहार ने लाकर म्हारा इलाका में बसायो वो बेचारों आठ दश महिना भूखों मरयो, लोंगा के घरों में जाकर भीख मांगी पर किणाने भी उने स्थान नही दियो । मैं तो ओ ही केहूंला कि इण ने ही आप प्रजातंत्र कहीला तो मैं समझूं कि एक दिन आपने ऐसे देखनो पड़ेगो तमाम प्रजा हथियार लेकर आप लोगों के सामने आजायगी ।

रावत श्री शम्भूसिंह—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सेल्स टेक्स संशोधन विधेयक जो सदन के सामने प्रस्तुत हुआ है उसका विरोध करने वास्ते और इस विधेयकको जनता की राय के लिये प्रसारित करने के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूँ ।

इसेन्शियल कोमोडिटीज पर इस वक्त सेल्स टेक्स लागू हुआ है । जनता की सुविधा की लिहाज से जिस वक्त तक यह अत्याचार हो रहा था वही बस था । जो गलती एक दफा हो गई कि

[रावत श्री शम्भूसिंह]

इसेन्शियल कोमोडिटीज़ पर जो सेल्स टेक्स १६५६ तक के लिये इम्पोज कर दिया वही काफी था लेकिन जब उसको आगे के लिए लागू रखा जाय, यह कदापि उचित नहीं कहा जा सकता। जनता इस चीजं को महसूस कर रही है कि जल्दी से जल्दी इसप्रकार के टेक्स को हटाया जाय और जिन कोमोडिटीज पर यह टेक्स लागू है उनको इस प्रकार के टेक्स से एक्सक्लूड किया जाय। लेकिन हुआ उल्टा। जनता जिस बात की इच्छा रखती थी, उसके बरखिलाफ एक साल के वास्ते और इन कोमोडिटीज पर टेक्स बढा दिया जाय यह इस विधेयक द्वारा हम करने जा रहे हैं। जो लोग आगे ही टेक्स के भार से पीसे जा रहे हैं अल्टीमेटली उस टेक्स का भार कन्ज़ूमर पर ही पडने वाला है और जो कन्जुमर्स तमाम के तमाम गरीब हैं उन लोगों पर टेक्स का यह बोझ और बढा दिया गया है।

टेक्स लगाया जाता है और बिना टेक्स किसी सरकार का काम भी नहीं चलता, लेकिन इस प्रकार के टेक्स लगाने में विचार रखा जाता है। जिन वस्तुओं पर टेक्स लगना चाहिये, किन वस्तुओं पर टेक्स लगना चाहिये वह टेक्स कहीं ऐसा तो नहीं है जो अल्टीमेटली जाकर उसका वजन कन्जूमर पर तो नहीं पडता है, जो बहुत ज्यादा गरीब हैं। इन सब बातों का विचार किये बगैर इस प्रकार के टेक्स लागू करना कतई उचित नहीं कहा जा सकता। अगर आप टेक्स लगाना ही उचित समझते हैं तो उन चीजों पर लगाइये जो लग्ज़रीज़ की चीजें है जो बडे बड़े आदमियों के केवल एशो आराम के लिये काम में आती है। आज जिन गुड्स पर आप टेक्स लागू करने जा रहे हैं उसका वजन मालदार पर नहीं गरीब पर पडने वाला है। आपको चाहिये तो यह कि उन चीजों पर टेक्स लगाया जाय जो कि मालदार आदमियों के काम में आती हैं। लेकिन आज आप ऐसी वस्तुओं पर टेक्स लगा रहे हैं जैसे तेल, चमड़ा जो गरीब आदमी के काम आने वाली चीजें हैं, जिनका इस्तेमाल गरीब लोग ज्यादा करते हैं उन पर टेक्स लगाना कभी मौजू नहीं कहा जा सकता।

जो प्रोग्रेसिव गवर्नमेन्ट होती है वह अपने यहां टेक्स लग्जरीज़ के सामान पर लगाती है, जिसका असर ऐसे व्यक्तियों पर पडता है जिनकी आमदनी बहुत ज्यादा होती है, लेकिन इन चीजों के टेक्स का भार उन लोगों पर पडने वाला है जिनकी आमदनी बहुत कम है। ऐसे गरीब आदमियों के लिये प्रोग्रेसिव गवर्नमेन्ट का यह कर्तव्य हो जाता है कि उनके लिये इसेन्शियल कोमोडिटीज को प्रोवाइड करें, उनके वास्ते खास तौर से प्रबन्ध कैसे होता है आज हमारे देश में प्रजातंत्रीय सरकार है उनको भी चाहिये जिस जगह इन चीजों की स्केअरसिटी है जहां इसेन्शियल कोमोडिटीज़ सुलभ न हों उनके वास्ते प्रबन्ध करना चाहिये। यहां तो बिल्कुल उल्टा हो रहा है जो आवश्यक वस्तुये सुलभ करनी चाहिये उनकी उपलब्धि सरकार द्वारा की जानी चाहिये यहां उस पर टेक्स लगाया जा रहा है, उसको टेक्स से मुक्त करने के बजाय। उन चीजों को सस्ती दर पर सुलभ करना दर किनार रहा उन वस्तुओं पर टेक्स लगाकर और अधिक दुर्लभ बनाया जा रहा है। यह एक प्रकार से गरीब जनता के साथ अन्याय का बरताव हो रहा है। इस वास्ते मैं माननीय मंत्री महोदय से प्रार्थना करता हूं कि जनता पर इस टेक्स लगाने से बहुत बेचेनी फैली हुई है। उसको महसूस करते हुए वैसे ही राजस्थान की जनता काफी गरीब है इसलिये गरीब लोगों के काम आने

[रावत श्री शम्भूसिंह]

वाली वस्तुओं पर लगाये जाने वाले ये टेक्स नहीं लगाये जाने चाहिये। इस सवाल को खत्म कर देना चाहिये और आयन्दा के लिये अवधि बढ़ाकर इसे लागू न करना चाहिये। अगर आप इतना नहीं करना चाहते तो कम से कम इसकी निस्बत जनता की राय जानने के लिये इस बिल को जनता की राय के लिये प्रसारित किया जाय, ताकि जिन लोगों पर इस टेक्स का भार पड़ने वाला है वे अपनी राय दे सकें। यह जो प्रस्ताव रखा गया है वह उचित है। इस विधेयक को जनमत के लिये प्रसारित कर दिया जाय। मैं आशा करता हूँ कि माननीय मंत्री महोदय इस प्रस्ताव को अवश्य स्वीकार करेंगे।

श्री सोहनलाल भटनागर—उपाध्यक्ष महोदय, सेल्स टेक्स (अमेन्डमेन्ट) बिल जो विचारार्थ सदन में प्रस्तुत हुआ है इस पर कई माननीय सदस्यों ने कई प्रकार की बातें कही है जो वस्तु स्थिति से काफी परे है। जब सेल्स टेक्स एक्ट हमारे यहां पास हो रहा था और जो प्रोवीजन इस सदन ने मेरे ख्याल से हिन्दुस्तान की दूसरी रियासतों के बनिस्बत वे काफी लिबरल हैं। कई स्टेटों के अन्दर मल्टीपोइन्ट सेल्स टेक्स था लेकिन यहां सिंगल पोइन्ट सेल्स टेक्स रखा गया या लास्ट पोइन्ट पर सेल्स टेक्स रखा गया और टर्न ओवर की मिकदाद भी काफी ऊंची रखी। जिससे एक मामूली आदमी या मामूली धंधा करने वाला व्यापारी पर इस टेक्स का भार न पड़ सके। इतना लिबरल होते हुए भी दूसरी रियासतों के बनस्बित काफी ठीक होते हुए भी इसके अलावा कस्टम की दरें हटा दी गई कस्टम की दरों के लेवल से बहुत कम होते हुए भी इसका विरोध करना उचित नहीं है। जब कस्टम लागू था उस समय हर चीज पर एक आना रुपया कस्टम लिया जाता था, अब सेल्ट टेक्स में एक आने के जगह दो पैसा कर दिया है। इस तरह से कस्टम से आधा रहता है।

एक सदस्य ने यह कहा कि इसेन्शियल कोमोडीटिज में खाने के जो तेल है उन पर भी टेक्स लिया जायगा। इसके साथ साथ हेन्ड स्पन्ज खादी और खादी से बने कपड़े पर भी टेक्स है, यदि वे माननीय सदस्य इसमें जो शिडूल दिया हुआ है उसको देखते तो यह बात कदापि नहीं कहते। उस शिडूल में साफ बता दिया गया है, तेलों के ऊपर टेक्स नहीं लगेगा और न हेन्ड स्पन्ज खादी पर ही। इसी तरह से अगर हम दूसरी रियासतों के प्रोवीजन को कम्पेअर करें तो हमें विदित होगा यू. पी. के अन्दर अभी अभी अनाज पर जो बहुत आवश्यक वस्तु है उस पर भी मल्टीपोइन्ट सेल्स टेक्स लगा दिया। जैसा कि हमारे यहां पर नहीं है।

एक तरफ हम लोग यह कहते हैं कि हमारे राजस्थान के अन्दर विकास हो, लेकिन जब इसके लिये टेक्स लगाते है तो यह कहा जाता है कि टेक्स का बोझ आगे ही बहुत बढ़ा चढ़ा है तो इस तरह से दो विरोधी बातें किस प्रकार चल सकती हैं? इस विधेयक द्वारा एक साल के लिये और मियाद मांगी गई है। इससे राजस्थान के अन्दर जो पांच चीजें बताई गई है उन पर टेक्स है और कस्टम की दर से जिसकी दर आधी कर दी गई है मेरे ख्याल से इससे गरीब जनता पर किसी प्रकार का टेक्स का बोझ पड़ने वाला नहीं है। हमारे राजस्थान की परिस्थिति को देखते हुए, राजस्थान

[श्री सोहनलाल भटनागर]

के विकास कार्यों को देखते हुए द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत जो कार्य चालू होने वाले हैं उनको देखते हुए पहले से जो टेक्स चले आ रहे हैं जो कस्टम के हटने से आधे होगये हैं उनको चालू रहने देना चाहिये और इस विधेयक को मन्जूर किया जाना चाहिये। अतः जिन माननीय सदस्य ने प्रस्ताव रखा है उसका विरोध करना चाहिये।

श्री मानसिंह महार—माननीय उपाध्यक्षजी, सदन के समक्ष जो कानून पेश हुआ है उसके ऊपर बोलने का पहले मेरा विचार नहीं था लेकिन सलूम्बर से आये हुए मेरे मित्र ने कुछ यू. पी. से राजस्थान का मुकाबला किया, तो मेरा भी बोलने का इरादा हो गया।

एक माननीय सदस्य—सरकार की तरफदारी करोगे।

श्री मानसिंह महार—सरकार की तरफदारी नहीं करें तो रहें कहां ? लेकिन बात यह है कि यू. पी. से जो मुकाबला किया गया तो मेरी समझ में नहीं आता कि हमारे मित्रों के दिमाग में यह भी कहां से बुद्धि हो गई है कि यू. पी. में कोई गलत काम होता है या कोई बुराई का काम होता है तो उसका तो अनुकरण करने के लिये कहा जावेगा पर वहां की अच्छाइयों के बारे में या उनका अनुकरण करने की सलाह देने के बारे में हमेशा मौन रहेंगे।

यू. पी. की और बातों को देखिये तो आपको मालूम होगा कि यू. पी. और राजस्थान में कितना अन्तर है। यह कह देना कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में यह हो रहा है, विकास में यह हो रहा है, वह हो रहा है, इसलिये टेक्स से रुपया वसूल करने की आवश्यकता है, तो इसके बारे में भी वस्तु स्थिति क्या है यह मैं अर्ज कर देना चाहता हूं। बहुत मुमकिन है कि इन डेढ़ दो सालों में मेवाड़ में बहुत काम हुआ हो कि पर मैं दावे के साथ कहता हूँ कि हमारे इलाके में जम्वा रामगढ़ और आमेर के इस इलाके में विकास के सिलसिले में ऐसा कोई काम नहीं हुआ है। प्रथम पंचवर्षीय योजना में भी मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इन इलाकों में और जयपुर डिस्ट्रिक्ट में ऐसा कोई काम नहीं हुआ है कि जो सरकार गर्व के साथ कह सके कि हमने यह किया है। अगर यह टेक्स विकास के लिये वसूल किया जाता है तो उन इलाकों से वसूल किया जावे जिन इलाकों में विकास के खातिर पानी की तरह से पैसा बहाया गया है। और अगर ऐसा किया जाता है तो यह वाजिब होता है किसी हद तक। पर उन उपेक्षित इलाकों पर विकास के नाम पर टेक्स लगाया जाता है यह सरासर अन्याय है। यह दुखपूर्ण लगता है कि आज से पांच साल पहले जो लोग यह कहा करते थे कि कस्टम ड्यूटी अन्याय पूर्ण है, वह हटनी चाहिये, वे आज कहते हैं उस के हटने के बाद कि कस्टम में एक आना देते थे तो दो पैसा देने में क्या हर्ज है। यह और भी ज्यादा दुखदायी बात है कि इस प्रकार की बातें कह कर जनता को गुमराह वे करना चाहते हैं। क्यों कि वे यह समझते हैं कि इस प्रकार की बात कहने से लोगों को भुलावें में रक्खा जा सकता है और यही नहीं सदन के सदस्यों को भी इस प्रकार की बातें कहकर गुमराह करना चाहते हैं। पर सदस्यगण यह

[श्री मानसिंह महार]

अच्छी तरह जानते हैं कि कस्टम ड्यूटी जितनी भी थी उसका सबने विरोध किया था। कोई भी उसका समर्थक नहीं था। और यही वजह है कि आखिर में उसे हटाना पडा। उसके बाद कोई और नया टेक्स लादा जावे यह सरासर अन्याय है।

टेक्स अगर लगाना है विकास के लिये तो जैसा कुछ दिन पहले मेरे मित्र ने कहा था कि आप ऐसे व्यक्तियों से यह लीजिये जो टैक्स देने के लायक हैं, जिनकी आमदनी इतनी है कि वे टेक्स दे सकें। लेकिन इसके तहत जो टेक्स दो पैसा लगेगा वह अगर हम देखेंगे तो मालूम होगा कि उन पर जिनको कि समाजवादी ढांचे के हिसाब से नीचे लाना चाहिये, यह टेक्स नहीं लगेगा, उन पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा, बल्कि उन पर पड़ेगा जो गरीब लोग हैं, मध्यम श्रेणी के लोग हैं उन पर पड़ेगा। उनके लिये रोजमर्रा की आवश्यक वस्तुओं पर पड़ेगा। जैसे हाइड और स्कल्स की बात है। एक गरीब किसान आज जो चरस २५ रुपया में लेता है, अगर उस पर से सेल्स टेक्स कम हो जावे तो उसे वह २३, २४ रुपयों में मिलने लगेगा तो उस गरीब के लिए यही बहुत भारी फायदा होगा। अब वे कहते हैं कि टेक्स का यह पैसा विकास में लगेगा। पर अभी तक जितना पैसा खर्च हुआ है विकास में उतना खर्च होने के बाद भी किसान का आज उतना विकास नहीं हो सका है कि वह कोई भी नया टेक्स सह सके।

दूसरी चीज जो इसके तहत में आती है वह है काटन, यार्न, कैरोसिन आदि आदि। कैरोसिन ऐसी चीज है जो रोजमर्रा गरीब के काम आती है और इस चीज का बोझा गांव वालों पर पड़ता है। लखपति वगैरह जो शहर में रहते हैं और जहां बिजली की उपलब्धि है उन पर इस टेक्स नहीं पड़ेगा। पर उन गरीब लोगों पर क्या गांवों में और क्या शहरों में भी, जिनके घरों में शहर में होते हुते हुए भी, बिजली नहीं है उन पर बोझा पड़ेगा। गांव वालों के लिये यह उतनी ही आवश्यक वस्तु है जितनी नमक। वे एक एक चिमनी रोज जलाया करते हैं। महात्मा जी ने भी इसे नमक के बराबर जरूरी चीज बताया है। अगर इस पर आप टैक्स लगाते हैं तो यह सरासर अनुचित चीज है। आज के इस युग में तो हमें यह कोशिश करनी चाहिये कि गरीबों पर कम से कम टेक्स लगे और अमीरों पर ज्यादा लगे। यह हमारा समाजवादी व्यवस्था का उसूल भी है। यह टेक्स इसके विपरीत पड़ता है। आपकी थोड़ी आमदनी जरूर बढ़ जावेगी पर इससे क्या? गरीबों पर तो बोझा पड़ जावेगा ऐसी स्थिति में मैं तो आशा करूंगा कि इस कानून को स्थगित कर दिया जावेगा। ये चन्द शब्द कहकर मैं माननीय मन्त्री महोदय से यह आशा करूंगा कि वे अपने आपको गरीबों का नुमाइन्दा मानते हैं और उन गरीबों में ही विशेष परिस्थितियों में व उनमें से गुजर कर वे इस सदन तक पहुंचे हैं उन्हीं लोगों को लाभ पहुंचाने की दृष्टि से इस कानून को वापिस ले लेंगे।

श्री चांदमल मेहता—माननीय उपाध्यक्ष जी, जो बिल सदन के सामने आया है उसे देखकर मुझे अत्यन्त आश्चर्य हुआ। मैं कल्पना एक दूसरे ढंग के बिल की कर रहा था और बिल आया दूसरे ही ढंग का सामने। जिस वक्त राजस्थान में सेल्स टेक्स लगा और इस विधान

[श्री चांदमल मेहता]

सभा में जब मैंने एसेन्शल कोमोडिटीज़ पर किसी किस्म का टेक्स लगाने का विरोध किया था और विरोध करते हुए मैंने यह बतलाया था कि जिनपर हम टेक्स लगाने जा रहे हैं उनके टेक्स का सवाल हिन्दुस्तान के दूसरे प्रान्तों में क्या है और उसका मुकाबिला करते हुए मैंने यह बतलाने की कोशिश की थी कि नमक और मिट्टी का तेल जैसी जो दूसरी चीजें हैं जिन पर हम टेक्स लगा रहे हैं उसमें हिन्दुस्तान के बहुत कम प्रान्तों में ऐसे टेक्स हैं और उस समय सरकार की ओर से जो जवाब दिया गया वह इस प्रकार का था कि दूसरे प्रान्तों में कस्टम नहीं था और हमारे यहां कस्टम उठा रहे हैं और इस दृष्टि से हम उनको लगाना चाहते हैं और वह भी स्थाई नहीं, एक वर्ष के लिए । तो पहली बात तो यह आती है कि जिस वक्त इसेन्शल कोमोडिटीज़ पर टेक्स का कानून पास कराया गया उस वक्त वह पास ही नहीं होता अगर यह बात सरकार नहीं कहती कि सिर्फ इनपर एक वर्ष के लिए लगाना चाहते हैं ।

दूसरी बात जो बताई गई वह यह थी कि कस्टम हटाने से इतना नुकसान होने वाला है कि जिसकी पूर्ति सेल्स टेक्स से सिर्फ १।४ हिस्सा होगी। पर आज स्थित यह है कि जहां ३।४ नुकसान की बात सोची गई वहां १।४ नुकसान हुआ है। इस दृष्टि से भी यह दलील और वजनदार हो जाती है कि इस इसेन्शल कोमोडिटीज़ पर टेक्स लगाने की बात अगले साल के लिए लागू नहीं करनी चाहिये थी ।

दूसरी बात मैं और आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ कि इस सेल्स टेक्स के सम्बंध में बहुत बड़ा आन्दोलन चला था और जयपुर में तो कई दिनों तक हड़ताल रही । इसके परिणामस्वरूप सरकार ने कुछ चीजों पर उस वक्त कर हटा लिया, कुछ पर कम कर लिया और कुछ को विचार करने की दृष्टि से सरकार ने अपनी ओर से एक समिति का निर्माण किया था। लेकिन उसके करने के बारे में सरकार की ओर से आश्वासन दिया गया और यह कहा गया कि वह समिति यह छानबीन करेगी किन किन चीजों पर और कम करने की गुंजायश है। और किन किन चीजों पर और किये जाने की गुंजायश है । और आज के पेपर में, आज के राष्ट्रदूत में, देखने को यह मिला कि सरकार ने इस प्रकार की समिति बनाई है जब कि इस तरह का बिल पहले वाले टेक्सेज को चालू करने को सरकार का आता है । मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि कोई भी सरकार कई बार अपनी ओर से आश्वासन दे और आश्वासन देकर सरकार मुकरने की बात सोचे तो मेरा ख्याल है कि वह बहुत अच्छी शोभा की बात नहीं हो सकती, खासतौर से जब कि कांग्रेस की वह सरकार है, और कांग्रेस में लोगों की अटूट श्रद्धा है, ऐसा विश्वास है कि कांग्रेस सरकार ने कोई आश्वासन दे दिया है तो वापिस हटने का मौका नहीं आता है । मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि आज आवश्यकता इस बात की है कि सरकार को जरूरत है डेवलपमेंट के काम के लिए, विकास के लिए पैसे की, और विधान सभा के सदस्य और खासतौर से कांग्रेस सदस्य यह जरूर चाहेंगे कि जो डेवलपमेंट के काम के लिए टेक्सेज की आवश्यकता है तो टेक्सेज लगाये जांय, लेकिन टेक्सेज वाजिब हों और वाजिब टेक्स लगाये जांय इस बात

[श्री चांदमल मेहता]

की बड़ी आवश्यकता होगी। तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार को चाहिए कि वे इस विधेयक को वापिस ले लें और विधान सभा के सदस्यों की एक कमेटी नियुक्त की जाय और वह कमेटी सारे सेल्स टेक्स ऐक्ट पर दुबारा विचार करे और इस बात की छान बीन करे कि कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनको इस वक्त में उठाये जाने की जरूरत है, कौन कौन सी ऐसी वस्तुयें जो कि टेक्सेज से इस वक्त में बिलकुल मुक्त की जानी चाहिए, कौन कौन सी ऐसी वस्तुयें जिनके ऊपर टेक्सेज में वृद्धि की जानी चाहिए, और कौन कौन सी ऐसी वस्तुयें हैं जिनके ऊपर टेक्सेज में कमी की जानी चाहिए। इस सारे मामले की छानबीन करने के लिये विधान सभा के सदस्यों की समिति नियुक्ति की जानी चाहिए जिसमें दूसरे पदाधिकारी भी हों, जैसे कि वित्त मन्त्री भी हों या और वित्तीय कार्यालय से सम्बन्ध रखने वाले दूसरे पदाधिकारी हों इस सेल्स टेक्स से सम्बंध रखने वाले अधिकारी हों। सब मिलकर इसके बारे में सोचें। इसके बाद में एक विधेयक इस सदन के सामने आना चाहिए। मैं यह उम्मीद करूंगा कि सरकार उन बातों पर गौर करेगी, उन आश्वासनों को याद करेगी, जो इस विधान सभा में दिये गये हैं उनको भी याद करेगी, जो वायदे किये गये थे उनको याद करेगी, और इस बात का ख्याल करेगी कि जो वाजिब टेक्सेज हैं उनको लागू रखना चाहिए और आवश्यकता हो तो उनको बढ़ाया जाय और आवश्यकता हो तो घटाया जाय। इन बातों को मद्देनजर रखते हुये मंत्री महोदय शायद उस पर विचार करेंगे, और इस विधेयक को वापिस लेने पर विचार करेंगे।

श्री जगतसिंह झाला—माननीय उपाध्यक्ष, मैं भी सेल्स टेक्स एक्ट संशोधन विधेयक पर कुछ विचार प्रगट करना चाहता हूँ। यह संशोधन जो पेश किया गया है वह कांग्रेस सरकार की ओर से किया गया है, जो सरकार यह नारा लगाती है कि हम देश के अन्दर समाजवादी व्यवस्था कायम करना चाहते हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि यह समाजवाद के मूल रूप सिद्धान्त के विपरीत है, क्योंकि आप यह टेक्स उन लोगों पर लगा रहे हैं जो कि गरीब जनता है। अभी एक सालुम्बर, सराड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने संशोधन विधेयक का स्वागत किया। मैं निवेदन करूंगा कि उनकी कन्स्टीटुएन्सी में करीब ५० प्रतिशत से ज्यादा ऐसे लोग गरीब जनता है जिनके ऊपर कम से कम तरस खाकर उनको सोचना चाहिये था, लेकिन उन्होंने इसका समर्थन किया। मुमकिन हो कि वे सरकारी बेन्चों के ज्यादा नजदीक हों, लेकिन जो दूसरे सदस्य हैं कांग्रेस की साइड के और विरोधी दल से आते हैं उन सब ने एक मत से इस संशोधन का विरोध किया है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि जनता की राय जाने बिना इस संशोधन को लादना आपके लिए दुर्भाग्य पूर्ण घटना होगी, आपको इस बिल के संशोधन को वापिस लेना पड़ेगा। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो सरकार आज महात्मा गांधी के सिद्धान्तों की दुहाई देती है उसको कम से कम यह तो सोचना चाहिये, जब कि सेल्स टेक्स उन लोगों पर लादना चाहती हैं जो कि गरीब हैं। आपने ६.७ लाख रुपये खर्च करके जिन गाडुलिया लुहारों को बसाने का प्रयत्न किया है लेकिन वे बस नहीं पाये है। वे अब भी एक जगह से दूसरी जगह पर मारे २ फिरते रहते हैं और लोहे की कोमोडिटीज को बेचते फिरते हैं, उन पर आप टैक्स लगाना चाहते हैं। तो उससे वे बसेंगे या उजड़ेंगे ?

[श्रीजगतसिंह झाला]

इन सारी चीजों पर गम्भीरता से विचार करना चाहिये। मैं चाहता हूं कि इस पर आज डिसक्शन में न पड़कर सदन का समय वेस्ट न किया जाय। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मंत्री महोदय इसको वापिस लेलें और यदि लेनें की स्थिति में नहीं हों और इसको बहुमत से पास कराना चाहते हैं तो मैं कहना चाहता हूँ कि जनता के लिए यह बड़ा घातक बिल है। आपको यह चाहिये कि पास कराने से पहले जनता की राय जानने के लिए इसको प्रसारित करें। जनता की राय जानने के बाद फिर उचित समझें तो लागू करें तो ज्यादा अच्छी बात है। विकास कार्यों के लिए टैक्स लगाना है तो उन लोगों पर टैक्स लगाया जाय जो कि गरीब नहीं हैं। उस स्थिति वाले लोगों पर टैक्स लगाया जाता है तो उसका विरोध नहीं हैं, क्योंकि राज्य को चलाने के लिये टैक्सेज़ लगाने को जरूरत होती है राज्य शासन को, लेकिन कम से कम गरीब लोगों पर तरस करें और उन लोगों पर टैक्स न लगायें। मेरे एक माननीय मित्र ने कहा कि मेवाड़ में विकास के कार्यों पर ज्यादा खर्च हो रहा है, तो मैं निवेदन करना चाहता हूं इन्हीं लोगों के लिये जो कि कांग्रेस साइड में हैं, उन्हीं के निर्वाचन क्षेत्रों में कार्य हो रहा है इसलिए सारे मेवाड़ को बदनाम न किया जाय। हमारे क्षेत्रों में कोई विकास कार्य हुए नहीं हैं जिससे कि हम मानें कि वह खर्चे के लिए टैक्स लगा रहे हैं। वे केवल विकास की दुहाई देते हैं। केवल इतना कह कर मैं अपना स्थान ग्रहण करना चाहता हूं।

श्री अवनिकुमार मुकर्जी—माननीय उपाध्यक्ष, राजस्थान सेल्स टैक्स एक्ट संशोधन विधेयक के ऊपर मैं अपने विचार प्रगट करना चाहता हूं। मेरे मित्र जोधपुर बी से आने वाले श्री एन. के व्यास ने जो संशोधन रखा है मैं उसका समर्थन करता हूँ। मैं अपने विचार बहुत ही संक्षेप में रखूंगा।

पहली बात तो यह है कि सेल्स टैक्स जिन एसेन्शियल गुड्स पर अभी लागू है उनसे सरकार को क्या आमदनी हुई है ? पहली बात तो यह है।

दूसरी बात यह है कि अगर इनको सेल्स टैक्स से मुक्त किया जाता है तो क्या इस कमी को पूरा करने के लिए और कोई व्यवस्था नहीं की जा सकती। मैं उम्मीद करता हूं कि मंत्री महोदय, सदन को बतायेंगे कि जिन एसेन्शियल गुड्स पर अभी सेल्स टैक्स लगा हुआ है उससे सरकार को कितनी आमदनी हुई है।

तीसरी बात यह बतायेंगे कि सेल्स टैक्स essental goods के अतिरिक्त जिन चीजों पर अभी लगा हुआ है उनके रेट्स के अन्दर हेर फेर करके क्या यह आमदनी का घाटा पूरा नहीं किया जा सकता है ? इसके लिये एक बात मैं कह देना चाहता हूँ और वह यह है कि आज कल हमारी सरकार फिजूल खर्चा करती है। मेरे एक माननीय मित्र ने बोलते हुये यू०पी की मिसल दी थी। मैं अपने उन माननीय मित्र से कहना चाहता हूँ कि यू० पी० की सरकार ने सरकारी विभागों की फिजूल खर्चा को रोकने के लिए एक कमेटी बनाई है और उसकी रिकमन्डेशन्स

[श्री अवनिकुमार मुकर्जी]

भी लागू की गई हैं और इससे काफी बचत भी हुई है। मैं समझता हूँ कि यू० पी० की मिसाल जहां इसके लिए दी जाती है वहां दूसरी चीजों के लिये भी यू०पी० की मिसाल लागू करनी चाहिये। इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि माननीय मंत्री महोदय इस बात की जानकारी सदन को देंगे कि एसेन्शियल गुड्स पर जो सेल्स टेक्स (salas Tax) लगा हुआ है उससे सरकार को कितनी आमदनी हुई है? दूसरी बात यह है कि सेल्स टेक्स के शेड्यूल के अन्दर जो रेट्स हैं उनके अन्दर हेर फेर करके आमदनी का घाटा पूरा किया जा सकता है या नहीं? मैं तो यह कहना चाहता हूं कि जो शेड्यूल है, यानी जिन चीजों पर सेल्स टेक्स लगा हुआ है उनकी दरों में हेर फेर करें तो वह आमदनी बहुत बड़ी हद तक पूरा कर सकते हैं। बस मैं इस बात से ज्यादा नहीं कहना चाहता। इन तीन बातों को सोच लें और माकूल जवाब दें, सदन को दें।

श्री द्वारकादास पुरोहित :– माननिय उपाध्यक्ष, जो संशोधन इस वक्त में सेल्स टेक्स में पेश हुआ है उसमे जो आइटम्स हैं जिनके ऊपर कि यह टेक्स बढ़ाये जा रहे हैं, टेक्स की मियाद बढ़ाई जा रही है उन आइटम्स की तरफ हम नजर डालें और देखें तो मालूम होगा कि ये टेक्स जो इस वक्त इन आइटम्स पर बढ़ाये जा रहे हैं यह टेक्सेशन की पोलिसी के विरुद्ध है। टेक्सेशन की पोलिसी के मूल सिद्धान्त हैं वे इस तरह के हैं कि किसी भी मुल्क में, किसी भी जगह कोई टेक्स इस तरह का नहीं लगना चाहिए जब तक कि वहां के लोगों की केपेसिटी उस टेक्स को अदा करने की न हो जाय। उसके पहले अगर इस तरह का टेक्स लगाया जाय तो उनकी केपेसिटी के ऊपर एक जबरदस्त हमला होता है, उनके विकास के ऊपर भी एक रुकावट आती है और आगे बढ़ने के लिए एक बहुत बड़ी रुकावट आती है। यह ठीक है कि थोड़े दिन के लिए सरकार को पैसे उस टेक्स के जरिये मिल जाते हैं। मगर सही माने में अगर सोचे तो वह दर असल में आगे जाकर वह पैसा जो आज सरकार उस टेक्स के जरिये से वसूल करती है उसमें रूकावट आयेगी, क्योंकि आज के दिन जब हम विकास की और बढ रहे हैं, जब हम योजनायें बना रहे है विकास की ओर, तो एक दफा इस प्रान्त में जहां कि रियासतें थीं, जहां हमारा विकास सैंकड़ों वर्षो से रुका हुआ था, उस प्रान्त में हमको यह देखना जरुरी है कि यहां लोगों की प्रोड्यूस करने की और आर्थिक केपेसिटी उनकी क्या है? और इसका विचार किये बगैर ही कोई टेक्स लगा देना यह एक बहुत बडी भारी भूल है। इन बातों की तरफ जब हम ध्यान दें और इन चीजों की तरफ हम देखें तो यह साफ जाहिर है कि टेक्स के लिए हमारे यहा का प्रान्त जिसमें बीस रियासतें मिल कर एक प्रान्त बना, उसमें इस प्रकार की सुविधा नहीं थी और न सात साल में ही कोई कोशिश की कि हमारे यहा के लोगों की केपेसिटी बढ़ी है और केपेसिटी न बढ़े और विकास और जरुरी है तो जो रोज मर्रा की चीजें है उन पर टेक्स लाद देना उनके विकास पर रुकावट लाना है। उपाध्यक्ष महोदय, मै आपके जरिये यह रखना चाहता हूं कि टेक्स लगाने की स्थिति हमारे यहां तब होगी जब कि दूसरी पंचवर्षीय योजना का इन्वेस्टमेन्ट होकर रिजल्ट इल्ड होने लगेंगे, तो जो प्लान मे सोचा गया है, जितना रिटर्न होना सोचा गया है वह रिटर्न हुआ तो इतना इन्वेस्टमेंट होने पर केपेसिटी बढ़ेगी लेकिन अगर उस केपेसिटी के बढ़ने के पहले ही इस प्रकार से और टेक्स लगा

[श्री द्वारकादास पुरोहित]

देते है तो कपेसिटी को खत्म करना है और उससे विकास रुकता है। यह दलील कुछ क्वार्टर्स से दी जाय कि विकास कार्य के लिए टेक्स लगाना जरुरी है, माननिय उपाध्यक्ष महोदय, मै मानता हूं कि विकास योजनाओं के खर्च को मीट करने के लिए, उनके लिए फन्ड्स इकट्ठा करने के लिए, उनके खर्च के लिए इस प्रकार से टेक्सेज लेना चाहिए, मै समझता हूं उसके लिए यह तरिका नहीं है विकास योजनाओ मे हमारी जनता आगे बढ़ सके और फायदा उठा सके और उसके लिए यह जरुरी है कि पहले उनको इस बात की सहूलियत दी जाय जो टेक्सज का बर्डन फ्युडेलिज्म के वक्त से है वह हटे और उनको सांस लेने का मौका मिले और पंच वर्षीय योजना से उनकी इनकम बढे, उनके उत्पादन के साधन बढ़ें और उनका स्टेन्डर्ड बढ़े; फिर जो एक पोजिशन पैदा होती है कि जिससे आप टेक्स लगा सकें। इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, मे सदन को बता देना चाहता हूं कि इस प्रकार से टेक्सेज को एक्सटेन्ड करना, इसेन्शियल कोमोडीटीज़ पर टेक्स लगाना जब कि भारत सरकार ने नहीं लगाया लेकिन इसके लिए स्पेशल इजाजत लेकर जो ये टेक्सेज़ लगाये गये हैं उनको एक साल बीत चुका और फिर वे एक्सटेन्ड किये जा रहे हैं, वह तरिका गलत है। हमें लोगों की केपेसिटी बढानी है। यह कह देना कि कस्टम्स थे, टेक्सेज थे और इससे ज्यादा लगा दिये थे इसलिए अब थोडा देना है, उससे कम टेक्स है, यह दलील इस वक्त कारगर नहीं हो सकती है क्योंकि कस्टम्स लगा था, बहुत ज्यादा ले रहे थे, दूसरे टेक्सेज का बर्डन हमारे यहां की जनता पर अधिक है दूसरे प्रान्तो के मुकाबले में और जो उत्पादन के साधन थे वे कम थे और टेक्सेज़ ज्यादा थे। फ्युडेलिज्म के टेक्सेज थे और जब कि हम समाजवादी समाज की रचना करने जा रहे है इस प्रकार टेक्सेज लगा देना, यह ठीक नही होगा और उस एनोलोजी पर टेक्स लगा देना और भी ज्यादा गलत होगा। इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, मै कहना चाहता हूं कि यह जो संशोधित रुप से बिल लाया जा रहा है वह बिलकुल गलत है और यह टेन्सेशन की पोलिसी के भी विरुद्ध है।

दूसरी बात यह है और वह और भी ज्यादा सोचने की हो जाती है कि जो आइटम्स इसमें हैं वे आइटम्स तो आवश्यक वस्तुओं के हैं। इसमें इस तरह के रॉ मेटिरियल्स हैं और कुछ खाने पीने की चीजें हैं जो रोज मर्रा के काम में आती हैं। ये टेक्स जहां कहीं लगाये जाते हैं इस जमाने में यह सबसे पहले सोचा जाता है कि ये ऐसे लोगों पर न लगें जिनका आम लोगों पर बजन पडता हो और इसमें तो ऐसी चीजें हैं जिनका बर्डन आम लोगों पर पड़ता है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिये सरकार से निवेदन करूंगा, मिनिस्टर महोदय से निवेदन करूंगा कि वे इस बात को रिकन्सीडर करें। यह टेक्स लगाना गलत लगता है। आज बडा जरूरी है कोटेज इन्डस्ट्रीज को बढाना। हाइड्स एन्ड स्किन्स पर टेक्स लगा रहे हैं।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—हाइड्स एन्ड स्किन्स पर कहां है ?

श्री द्वारकादास पुरोहित—(अपना भाषण जारी रखते हुए) अगर हाइड्स एन्ड स्किन्स एग्जेम्प्टेड हैं तो मैं उसको वापिस लेता हूँ।

[श्री द्वारकादास पुरोहित]

लेकिन केरोसीन आइल जो सबके काम आने की चीज है, ऐसी वस्तुओं पर टेक्स है जो गरीब लोगों के खासतौर पर काम आने की वस्तुयें हैं। १४ आइटम हैं जो करीब करीब सब इसेन्शियल कोमोडिटीज हैं. रामेटीरियल है, या जो खाने के काम में आने की चीजें है उन पर टेक्स लगा रहे हैं, जिनको म्यूनिसिपेलिटीज़ भी एक्जम्प्ट करती है, या ऐसे टेक्स रखती है कि जो नोमीनल हो। सेल्स टेक्स ऐसा टेक्स है जो इन चीजों पर किसी सूरत में नहीं लगना चाहिए और यह एक्जेम्प्ट होना चाहिए। यू. पी. की मिसाल हमारे यहां कतई लागू नहीं होती है। यू. पी. ऐसा मुल्क है कि जहां काफी प्रोडक्शन होता है और हिन्दुस्तान को कई चीजें सप्लाई करता है। वहां पर काफी चीजों का प्रोडक्शन होता है और अगर वहां से यहां का मुकाबला करें तो हमारे यहां तिल के बराबर आता है। वहां से जितनी चीजों का एक्सपोर्ट होता है हमारे यहां पर उनका उत्पादन इतने दर्जे का नहीं है। यू. पी. की मिसाल का मुकाबिला यहां की मिसाल नहीं कर सकती। यू. पी. की एनोलोजी देकर इसको यहां पर लागू करें तो यह गलत होगा।

भारत सरकार ने इसेन्शियल कोमोडिटीज पर टेक्स न लगाने की नीति रखी है उस नीति पर चलते हुए किसी इसेन्शियल कोमोडिटी पर टेक्स नहीं लगना चाहिए और जो संशोधित विधेयक सेल्स टेक्स पर रखा है उसको वापिस ले लेना चाहिए या अभी उसको स्थगित कर देना चाहिए या उस पर दुबारा गौर करना चाहिए, यह मेरी राय है।

मैं एक बात और आपके जरीये सदन को बता देना चाहता हूं कि अगर सरकार इस संशोधित बिल से चूंकि पैसे की जरूरत है और टेक्स लगाना जरूरी है, टेक्स लगाना चाहती है, तो उसके लिये सरकार ऐसे रवेन्यूज़ ढूंढ़ सकती है कि और तरह से टेक्स लगाकर, लग्जूरियस गुड्स हैं उन पर टेक्स बढ़ाकर इस घाटे की पूर्ति कर सकती है, इसेन्शियल चीजों पर टेक्स लगाना टेक्सेशन की पोलीसी के विरुद्ध है, समाजवादी समाज की रचना के विरुद्ध है और यह उसमें बाधक बनेगा। इसलिये या तो इसको वापिस ले लिया जाय या इसको रिकंसीडर किया जाय।

श्री अमृतलाल यादव—माननीय उपाध्यक्ष महोदय..........

राज श्री हिम्मत् सिंह—अभी बोल रहे हैं।

उपाध्याय महोदय, मिनिस्टर महोदय की सहायता के लिए ही मैंने एक प्रस्ताव इसमें रख दिया है नया। बजाय इसके कि यह जनमत के लिए सरकुलेट किया जावे मैंने यह प्रस्ताव रखा है कि इसको प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जावे क्योंकि मिनिस्टर महोदय को आपत्ति यह है कि ३१. ३. ५६ तक अवधि समाप्त (होने वाली है) हो जाती है और आगे क्या करेंगे और वाकई में बाधा पड़ेगी। इसलिए मैंने यह प्रस्ताव रखा है कि इसको जनमत के लिए प्रसारित करने में बहुत समय लगेगा और जो हाउस की राय हो रही है वह इसके खिलाफ जा रही है, इस पर जल्दी ही

[राज श्री हिम्मतसिंह]

फैसला हो जाय और अधिवेशन आज का खत्म न हो जाय । फैसला लेने के लिए इसी गरज से मैंने यह प्रस्ताव रखा है कि प्रवर समिति के सुपुर्द यह बिल कर दिया जावे और वह जो निर्णय करेगी उसका इसी महीने का फैसला दे दें ।

मैं आशा करता हूँ कि यह जो मेरा सुझाव है इसे मिनिस्टर महोदय बहुत हर्ष के साथ स्वीकार करेंगे । कहने के लिए तो इस में बहुत गुंजायश है लेकिन क्यों कि इस पर लम्बा चौड़ा भाषण कई मित्र दे चुके हैं इसके खिलाफ में और इसके पक्ष में जिन लोगों ने कुछ कहा है वह कोई मायने नहीं रखता इसलिए मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, लेकिन इतना जरूर कहूँगा कि यह जो टेक्स लगाया जा रहा हैं एक साल के लिए एसेनशियल कोमोडिटीज पर वह वास्तव में गैर जरूरी है और समयानुकूल नहीं है क्यों कि टेक्स हमें उन्ही लोगों से वसूल करना चाहिए जिनके पास पैसा है । जिनकी जेब में पैसा नहीं है उनकी जेब से पैसा लेना चाहते हैं यह तो उनको दुःख देना है । अच्छे मोटे लोग हों उनका खून ब्लड बैंक में लिया जावे तो कोई बात नहीं है लेकिन जो लोग पहले से ही सूखे हुए हैं केवल चरमावशेष ही शेष रह गया है उनका खून यदि ब्लड बैंक में लेंगे तो उनकी मृत्यु ही होगी । ऐसी सूरत में यदि आप उन पर टेक्स लगावें जिनके पास बहुत बड़ी जायदाद है या जिनके पास पैसा है तब तो कोई बात नहीं लेकिन गरीब जनता पर टेक्स लगाकर उनको फायदा पहुँचाने के बजाय हानि पहुँचावेंगे । कहने को आप कहते हैं कि टेक्स इसलिए लगा रहे हैं कि रूपये द्वितीय पंच वर्षीय योजना में काम आयेंगे और इस योजना से आगे जाकर लोग फायदा उठायेंगे । लेकिन का वर्षा जब कृषि सुखानी वाली कहावत के अनुसार जब लोग टेक्स देने के पहले ही मर जायँगे तो फायदा क्या उठायेंगे ? तो आपको सोचना चाहिए कि जिन पर टेक्स लग रहा है उनको लाभ हो सकता है या नहीं । आपकी प्रथम और द्वितीय योजनायें बनती जायेंगी परन्तु परिणाम क्या निकलने वाला है । प्रथम योजना में लोग ज्यादा समृद्धिशाली नहीं हुए और द्वितीय में भी लोगों की दरिद्रता जानेवाली नहीं है । दरिद्रता देश में बनी है और बनी रहेगी । जब तक पूरा विचार नहीं हो जायगा तब तक कुछ होने वाला नहीं हैं । मैंतो फिर जोर देता हूँ कि इस पर सोचविचार करना चाहिए कि क्या पब्लिक इस हालत में है कि और कर देने के लिए तैयार है और खास करके ऐसी चीजों पर जो रातदिन काम की चीजें हैं जैसे घासलेट, गुड आदि । ऐसी चीजों पर कर लगाकर क्या आप उनको अंधेरे घरों में ही रखना चाहते हैं । क्या आप यह चाहते हैं कि वे तेल भी नहीं जलावें ? आपकी बिजली की योजना तो न मालुम कब आयेगी लेकिन आप उसके आने के पहले केरोसिन का चिराग बन्द करना चाहते हैं । यह बड़ा अनुचित कदम गवर्नमेंट का है और समझदारी की बात यही है, मैं ख्याल करता हूँ, कि मिनिस्टर महोदय इस पर फिर से विचार करेंगे । इस पर अच्छी तरह से विचार करना चाहिए । जब कि हाउस में आवाज उठी है तो इस पर विचार होना जरूरी है । बजाय जनमत संग्रह के क्यों कि इसमें अधिक समय लग जायगा, इस बिल को प्रवर समिति को सौंप देना चाहिए ताकि इस पर जल्दी ही विचार करके रिपोर्ट पेश करें ।

श्री कंवरलाल जेलिया-उपाध्यक्ष महोदय, जिस बिल पर विचार हो रहा है उसके संबंध में मैं भी कुछ कहना चाहूंगा और आपके द्वारा मंत्रीजी का ध्यान दिलाऊंगा कि जो अवधि बनने का सुझाव रखा है उसमें यह ध्यान रखा जावे कि राजस्थान में आम जनता के नित्यप्रति उपयोग में आने वाली वस्तुओं को तो कम से कम कर से बाहर रखना चाहिये। मैं देखता हूं कि कई सदस्यों ने आम चर्चा इस बात की कि सरकार ने उन चीजों को जो जन साधारण के रोज मर्रा काम में आने वाली हैं कर से मुक्त नहीं किया है। हमें देखना है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना को कार्य रूप में लाने के लिये इसमें संदेह नहीं कि टैक्स लगाना होगा और जन कल्याण की चीजों के विकास कार्य के लिये धन की आवश्यकता है। लेकिन देखना यह होगा कि धन का उपयोग किस तरह करें और धन किन साधनों से जुटाया जाय, टैक्स किस तरह लग रहे हैं। एक तरफ यह मानते हैं कि समाजवादी व्यवस्था की ओर जिन्होंने लक्ष्य लगाया था उनको देखना होगा कि राज्य सरकार कर लगाती है उसका क्या क्या हाल है? एक तरफ समाजवाद का नारा बुलन्द करें और दूसरी तरफ आम जनता के नित्यप्रति काम में आने वाली चीजों पर टैक्स लगावें तो सचमुच इससे जनता भ्रम में पड़ती है कि जो उद्देश्य रखा है वह व्यवहार में आता है या नहीं। वेजीटेबिल घी आदि चीजों को सेल्स टेक्स से बरी किया और तेल आदि चीजों पर कर लगाया है तो इसको पहले स्पष्ट करें कि इस तरह की गलती क्यों महसूस की गई है। दूसरी जगह का उदाहरण देने के बजाय हमको अपने राज्य की परिस्थिति को देखना चाहिये मैं मानता हूं कि जिस वर्ग के मंत्री जी हैं और जहां से आये हैं उस वर्ग के लोगों की ओर देखेंगे तो वे स्वतः महसूस करेंगे कि जो टेक्स बढ़ाया है उसका आम जनता पर क्या असर होने वाला है। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि मंत्री महोदय इस पर विचार करें और स्पष्टीकरण करें। कई वक्ताओं ने जो विचार व्यक्त किये हैं उनका स्पष्टीकरण करें तो मैं भी चाहूंगा कि वे विश्वास दिलावें और स्पष्टीकरण करने का कष्ट करें।

श्री अमृतलाल यादव— अध्यक्ष महोदय ....

श्री मानसिंह महार—अभी तो बहुत से लोग बोलने बाकी हैं।

रावराजा श्री सरदारसिंह—उपाध्यक्ष महोदय, सेल्स टेक्स गरीब जनता पर चालू रखना चाहते हैं। यह सेल्स टेक्स उन चीजों पर लगाया गया है जो बेचारों के रोजमर्रा काम में आने वाली हैं। माननीय उपाध्यक्षजी, टेक्स उन लोगों पर लगाना चाहिये जिनकी बड़ी बड़ी आमदनियां हों, बड़े बड़े कारखाने हों। बेचारे छोटे छोटे आदमियों की एसेन्शियल कोमोडिटीज पर टैक्स लगाना अनुचित है। इसलिये माननीय श्री हिम्मतसिंहजी ने जो रिज्योल्युशन पेश किया है, इसको यदि जनमत के लिये नहीं भेजते हैं तो प्रवर समिति के सुपुर्द कर देना चाहिए, इसका मैं समर्थन करता हूँ और माननीय मंत्रीजी से, यदि माननीय मंत्रीजी इस बात से डरते हैं कि इससे सरकार को नुकसान होगा तो यह कहूँगा कि इतने मिनिस्टर्स है जो इतनी बड़ी बड़ी तनख्वाह पाते हैं वे हम एम. एल. एज़. की तरह से २०० रुपये लेकर इस कमी को पूरा कर सकते हैं (हीयर हीयर)। मैं यह प्रार्थना करता हूँ कि वह समय नजदीक ही आ रहा है जब यहां बैठने वाले सदस्य दर्शकों की गेलेरीज में चले जावेंगे और गेलेरीज में बैठने वाले लोग यहां सदस्य बन कर शायद आ बैठेंगे। आप आगे का रास्ता बुहार कर चलें। या तो इस पर जनमत लीजिये या इसे प्रवर समिति के सुपुर्द करने की कृपा करें। मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूँ।

श्री छोतरलाल—उपाध्यक्ष महोदय, जो अमेन्डिंग बिल रखा है, उसके बारे में मैं भी अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूं। इसमें ऐसे कोई रीजन नहीं दिये गये हैं कि जिसकी वजह से इस बिल को लाना जरूरी समझा गया हो। इसके अलावा सन् ५२ का एक्ट है उसमें जिन चीजों को एग्जेम्प्ट किया है, उनके ऊपर भी टैक्स लिया जाना चाहिये, बताया गया है। इसके अलावा इसमें जहां तक टैक्स का सवाल है जिन चीजों पर टैक्स लगेगा वह जरूरी चीजों पर लगेगा और उसका इफेक्ट गरीबों पर ज्यादा पड़ेगा। इसलिये इस पर विचार करके अमेन्डिंग बिल को पास न करके सिलेक्ट कमेटी या जनता की राय के लिये भेजना चाहिये।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—उपाध्यक्ष महोदय,.......

श्री मानसिंह महार—जो आदमी आपको हरा कर आये है इसलिये आपको क्या कहेंगे, आप पहले दूसरों को कहने दीजिये।

(श्री अध्यक्ष पुनः पदासीन)

श्री बृजसुन्दर शर्मा—इस पर बहस ज्यादा लम्बी नहीं चले इसलिये कुछ स्पष्टीकरण करना चाहता हूँ।

श्री मानसिंह महार—Are you incharge of the Bill ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—कोई भी व्यक्ति बोल सकता है, मुझे भी बोलने का हक है, बहस में बोलने का हक है।

श्री मानसिंह महार—मैं माननीय अध्यक्ष से पूछ रहा हूं, माननीय अध्यक्ष, यह इन्टरप्ट क्यों किया जा रहा है, जब कि एक सदस्य बोल रहे हैं ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—मैं बहस के दौरान में बोल रहा हूँ।

श्री अध्यक्ष—इतना इम्पोर्टेन्ट है यह बिल कि इस पर १६ आदमी बोल चुके हैं।

श्री बृजसुन्दर शर्मा (वित्त मंत्री)—माननीय अध्यक्ष, मैं तो इतना ही आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि सेल्स टेक्स एक्ट में धारा २८ है जिसमें कुछ कोमोडिटीज हैं जिनके लिये हर साल इस सदन में आने की जरूरत रहती है कि ये चीजें घटती रहीं या बढ़ती रहीं, या कोई चीज घटा दी जाय, या कोई चीज बढ़ा दी जाय और दफा २८ में जब पहले सेल्स टेक्स पास हुआ और एक्ट बना तो ५ कोमडिटीज पर टेक्स लगाया गया था और इस पर यह टेक्स लागू रहने पर न कोई चीज घटाई गई और न कोई चीज बढ़ाई गई।

[श्री बृजसुन्दर शर्मा]

यह सारी बहस उस समय भी हो चुकी थी कि एसेन्शियल कोमोडिटीज की लिस्ट है वह १५ की है पर उन १५ में से ५ ली गई और उन पर साल भर तक सेल्स टेक्स भी चालू रहा, उन्हीं ५ कोमोडिटीज पर एक साल के लिये और बढ़ाना है, न कोई नया टेक्स लगाना है और न कोई नई चीज पर टेक्स लगाना है। यह गलतफहमी हो गई है माननीय मित्रों को कि यह कोई नया टेक्स लगाया जा रहा है। जिन चीजों पर आलरेडी जिस पोइन्ट पर जिस रफ्तार से टेक्स है वही चालू रखना है। कोइ नया टेक्स लगाने की बात नहीं है जो नोटिफिकेशन पहले निकला था वही रहेगा। साल भर या दो साल तक हम अनुभव कर लेते कि इस साल कौन सी चीज आई है, कोई घटी है क्या कोई बढी है क्या साल भर के फीगर्स आने के बाद में इस साल का तजुर्बा हमें होना चाहिए, फिर बाद में सोच विचार करना चाहिये। ये ऐसी चीजें हैं जिन पर इन्सीडेन्स ज्यादा नही पड़ता पर इन्कम में फर्क पड़ जाता है।

माननीय मित्रों को जो गलतफहमी हुई है उसके दूर करने के लिये मैंने यह बात कही है।

श्री रूपनारायण शास्त्री—माननीय अध्यक्ष, अभी जो यह बात कही गई है कि गलतफहमी हो गई है, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि कोई गलफतहमी नहीं हुई है, यह कानून गरीबों के रक्त का शोषण करने वाला है। गरीबों के काम में आने वाली चीजों पर टेक्स लगाया जा रहा है। यह समझ में नहीं आता कि एक तरफ तो खादी को प्रोत्साहन देने की बात करते हैं और दूसरी तरफ कपास पर टेक्स लगाते हैं·······

श्री बृजसुन्दर शर्मा—इसमें कपास का नाम ही नहीं है।

श्री रूपनारायण शास्त्री—जैसे गरीबों के खाद्य पदार्थों पर और उनके पहनने के कपड़ों पर जिनको गरीब ज्यादा काम में लेते हैं, उनके ऊपर टेक्स लगाना क्या उनके रक्त का शोषण करना नहीं है? यह स्पष्ट है कि बारीक कपड़ा धनवान लोग पहनेंगे मोटे कपड़े पर टेक्स होगा तो गरीबों पर उसका असर पड़ेगा। जब समाजवादी ढंग पर अपने राज्य को ले जाना चाहते हैं तो क्या गरीबों पर ज्यादा टेक्सेज का बोझा लादकर समाजवादी ढंग का राज्य स्थापित करने जा रहे हैं?

उदाहरण के तौर पर लोहे और चमड़े पर टेक्स लगाया जाता है, ये सर्व साधारण के काम में आने वाली चीजें हैं, चमड़ा किसानों के हर काम में आता है, इस पर भी टेक्स लगा दें तो इसका मतलब यह होगा कि हम किसानों पर टेक्स पर टेक्स लगा रहे हैं।

यह कहना कि एक वर्ष हमने इस कानून को काम में लिया अब एक साल और परीक्षा करना चाहते हैं, परीक्षा का क्या मतलब? गरीबों पर पहले लाद दिया तो देते रहे मूक पशु की तरह इसका प्रतिकार तो कर नहीं सकते थे, अब एक साल के लिये और लगा देंगे तो आज भी ग्रामीण जनों में प्रतिकार करने की शक्ति तो है नहीं। एक वर्ष के लिये ही इसको लगाया गया था तो अब

[श्री रूपनारायण शास्त्री]

भी इसे लागू रखा जाय, यह उचित नहीं है। यह कहना कि थोड़ा पैसा देना पड़ता है और ज्यादा असर इस टैक्स का होना नहीं परन्तु सरकार को आमदनी हो जायेगी न्यायसंगत नहीं सारांश यह है कि एक आदमी के सर पर एक मन बोझा है और कह दिया जाय कि एक मन बोझा तो इसके सर पर है पाव भर बोझा और डालेंगे तो क्या होगा, यह कहना उचित नहीं, क्योंकि उस पर और कुछ न कुछ बोझा बढ़ेगा तो सही न। गरीब उसी तरह से मूक पशु की तरह आधी भूख निकाल कर सरकार को टैक्स दे और सरकार की आय में वृद्धि हो तो यह कोई अच्छी सरकार नहीं कही जा सकती। अगर समाजवादी ढंग पर एक यशस्विनी गवर्नमेंट बनना है तो उस गर्वनमेंट का कर्त्तव्य हो जाता है कि गरीब प्रजा पर जितने भी कम हो सकें टैक्स कम करें।

हम जागीरदारी प्रथा और साम्राज्यशाही को इस लिये बुरा बताते थे कि वे बेगार लेते थे, दिन भर कसकर मजदूरों से काम लेते थे और उनको दो आना चार आना मजदूरी देते थे, इस लिये हम उन्हें बुरा बताते थे। आज अगर हमारी यह सरकार भी वही करे तो फिर प्रजातन्त्र की सरकार और साम्राज्यशाही सरकार में क्या अन्तर है।

हमें इतना तो करना है कि गरीब अच्छी तरह खा सकें, अच्छी तरह कपड़ा पहन सकें और सस्ती चीजें उनको मिलती रहें।

ऐसी चीजों पर टैक्स न लगायें और प्रतिदिन इन टैक्सों को बढ़ाने की नीति न अपनायें।

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी—अध्यक्ष महोदय, प्रस्तुत विषय पर मैं भी अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए खड़ा हुआ हूं। जो नई व्यवस्था की गई है वह अपनी वजह रखती है। मगर हमको टैक्सेशन की पोलिसी को ध्यान में रखना चाहिए और वह यह है कि प्रत्येक व्यक्ति से योग्यतानुसार टैक्स लिया जावे: "From each according to the capacity and to each according to the necessity."

यह वह सिद्धान्त है जिसको हमें पालन करना पड़ेगा। टैक्स लगाते वक्त हमको इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि हम समाजवादी असूलों पर चल रहे हैं और उसके अनुसार हमें आगे बढ़ना है। यह जो बिल सदन में पेश किया जा रहा है उसके द्वारा एक वर्ष के लिये और एक्सटेन्शन ली जा रही है टैक्स लगाने के लिये। मैं यह निवेदन करूंगा कि सारे हिन्दुस्तान में कुछ चीजें ऐसी हैं जिन पर टैक्स नहीं लिया जा सकता। सारे हिन्दुस्तान के लिए केन्द्रीय सरकार ने यह तय किया कि जिन चीजों पर टैक्स लगाने से गरीब से गरीब तबके पर असर पड़ता है उस पर टैक्स नहीं लगाया जावे जैसे गुड़, तेल आदि। उन गरीब लोगों से टैक्स नहीं लिया जावे जिनको अपना जीवन बिताना दुश्वार होता है और अगर लेते हैं तो मैं यह कहूँगा कि हम उनके साथ न्याय नहीं करेंगे। इसके साथ ही हम बराबर जब यह दुहाई देते जा रहे हैं कि हम देश में समाजवाद पेटर्न कायम करने जा रहा हैं। इसलिये ऐसी चीजें जो रोज मर्रा हर आदमी के काम में आती हैं जैसे गुड़, केरोसिन ओइल आदि इन

[श्री विश्वम्भरनाथ जोशी]

पर कोई टेक्स नहीं होना चाहिए। इसके अलावा एक और बात कही जा सकती है वह यह कि आर्थिक स्थिति को देखते हुए टेक्स जारी किया जाना चाहिये। मैं यह कहूंगा कि राजस्थान हमेशा से पूंजीपतियों का स्थान रहा है। यहां जागीरदार, पूंजीपति, राजा महाराजे हैं उनके पास कोई भी साधन की कमी नहीं है जिसके द्वारा सरकार नये टेक्स लगा कर अपनी सारी योजना के लिये अपनी आवश्यकता की पूर्ति कर सकती है। जब हमारे यहां राजस्थान में पब्लिक के ऐसे भाव हैं जो पूरे भार को बर्दाश्त कर सकते हैं तो किसी भी दृष्टि से हमारे यहां टेक्स नहीं लिये जाते उनके लिए जो पूंजीपति हैं ऐसा करना कोई मुश्किल नहीं होगा। ऐसे लोगों के बहुत बड़ी तादाद में होते हुए भी गरीब से गरीब लोगों पर टेक्स लगाया जाना मैं समझता हूँ कि समाजवाद के सिद्धान्त के खिलाफ़ होगा। अतः मैं यह अर्ज करूंगा कि इन्सानियत के नाते भी यह वाजिब नहीं है। इस लिये अन्य सदस्यों ने जो कुछ इसके बारे में कहा है मैं उनका समर्थन करता हूं और इसका घोर विरोध करते हुए माननीय मन्त्री से निवेदन करूंगा कि इस पर वे पुनः विचार करेंगे और सदन में जो दलीलें दी गई हैं उनको मद्दे नजर रखते हुए इसको या तो वापिस ले लेंगे या इसको सिलेक्ट कमेटी के सुपर्द करने की सोचेंगे। चूंकि यह एक नीति का विषय है इसके पीछे एक नीति है। मैं आशा करता हूँ कि इस पर माननीय मन्त्री पुनः विचार करेंगे। यह एक सिद्धांत का सवाल है।

श्री अध्यक्ष—इसमें सिद्धांत का क्या प्रश्न आया।

श्री विशंभरनाथ जोशी—टेक्स लगाये जाने चाहिये या नहीं ...

श्री अध्यक्ष—It is in continuation.

श्री विशंभरनाथ जोशी—सारे हिंदुस्तान में केन्द्रीय सरकार ने कानून पास किया है। इसमें एक साल के लिए एक्सटेंशन बढ़ाई जाती है तो सारे हिंदुस्तान की जो टेक्सेशन के मामले में नीति निर्धारित है उसके अनुसार ही इसको एक्सटेंशन करना चाहिये। राजस्थान की सरकार को टेक्सेशन के बारे में उन असूलों को ध्यान में रखते हुए ही विचार करना चाहिये और माननीय मंत्री महोदय को इसके लिए तैयार होना चाहिये।

श्री जवानसिंह—माननीय अध्यक्ष, मुझे केवल दो शब्द ही कहने हैं। जब काफी सदस्य इसके विपरीत बोल चुके हैं तो इस चीज को हमें मान लेना चाहिए कि कुछ न कुछ जरूर गलती है और खास तौर से बोलने वाले ऐसा भी ऐसा महसूस करते हैं कि यह वाजिब नहीं है और सभी ने एक सिरे से सदन के सामने एक ही बात को रखी है कि इसको किसी प्रकार से या तो सिलेक्ट कमेटी के पास भेजा जावे या वापिस ले लिया जावे........

श्री अध्यक्ष—Speaking about those who have spoken.

श्री हरिकृष्ण व्यास—That increases the number.

श्री चन्दनमल वैद—He makes twontieth.

श्री जवानसिंह—उनकी आवाज के साथ में मैं भी तो अपनी आवाज मिलाऊं। हम सब लोगों ने इस चीज को महसूस किया है कि इसको सिलेक्ट कमेटी में भेजा जावे ताकि वहां पर हम इस पर सोच सकें और किसी नतीजे पर पहुँच सकें। यदि हमने जो लक्ष टेक्स नहीं बढाने का रखा है उसके विपरीत जावेंगे तो दुनिया यह कहेगी कि कहते को तो कह देते हैं लेकिन जब वक्त आता है तो उसकी तरफ ध्यान नहीं देते। मैं निवेदन करूंगा कि हमारे माननीय मन्त्री महोदय इस स्थिति में अवश्य होंगे कि वे इस प्रस्ताव को मंजूर करेंगे और इसको सिलेक्ट कमेटी में अवश्य भेज देंगे।

श्री केसरीसिंह—माननीय अध्यक्ष, काफी माननीय सदस्यों ने इस विधेयक पर रोशनी डाली है और मैं भी इस विधेयक का घोर विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूँ। यह ऐसा विधेयक है जो छोटे से छोटे गरीब तबके को अहित पहुँचाने वाला है और इससे उन गरीबों के बहुत अहित होगा जो गांवों में रहते हैं और जिनके लिए आप यह कहते रहे हैं कि ज्यादा जनता गांवों में रहती है और इसका असर उन्हीं लोगों पर होने वाला है। इसलिये इस विधेयक को पारित करना चाहिये या नहीं इसके लिए सोच विचार कर मत देना चाहिये। भारत सरकार ने ऐसा विधेयक निकाल रखा है उसमें उन पदार्थों पर टेक्स नहीं लगा जो आम पब्लिक के छोटे तबके के लोगों को नुकसान पहुँचाता हो। यहां पर इससे ऐसे पदार्थों पर टेक्स लगेगा जो रोज मर्रा गांव में रहने वाले किसानों के काम में आने वाली चीजें हो जैसे गुड़, तेल, मिट्टी का तेल वगैरा। रोज मर्राकाम में आने वाली चीजों पर टेक्स नही लगना चाहिये। टेक्स तो वास्तव में अमीरों पर लगना चाहिये मगर आपने उन पर तो टेक्स लगाना मजूर नहीं किया क्योंकि बड़े बड़े लोगों द्वारा सरकार को दबाया जा सकता है। बिचारे किसानों की तरफ से बोलने वाले बहुत कम है। आपने सोने के आभूषणों जिन पर टेक्स लगाना चाहिये नहीं लगाया और उसको टेक्स से माफ रखा है। ज्वेलरी पर आपने टेक्स को माफ रखा है और ऐसे मामूली चीजों पर टेक्स लगाया है जिससे की जनता को मुक्त रखा जाना चाहिये। मैं चाहूंगा कि माननीय मन्त्री इस विधेयक को या तो वापिस लेने की कृपा करेंगे और आम पब्लिक के हितों को देखते हुए इस विधेयक को पारित न करने का कोशिश करेंगे।

श्री अमृतलाल यादव—(पृथक राजस्वमन्त्री) माननीय अध्यक्ष, इस विधेयक पर सदन के बहुत से सदस्यों ने अपने विचार प्रकट किये और मैं उसके लिए उनका बहुत आभारी हूं कि उन्हों ने कई बहुत महत्वपूर्ण और उपयोगी बातें बताई।

श्री चन्दनमल वैद—हम भी आपके आभारी होंगे अगर आप उन पर अमल करेंगे।

श्री अमृतलाल यादव—यह किसी से छुपा नही है कि कल और परसों द्वितीय पंचवर्षीय योजना के बारे में बहस की, बात चीत की इसके बाद सेल्स टेक्स के बारे में और दूसरी दूसरी चीजो के बारे में बातचीत हुई। यह जो विधेयक है उसके बारे में बात करते हुए कुछ जनरल सेल्स टेक्स की भी बातें कही गई। कस्टम एबोलिशन किया गया उसके बारे में भी बातचीत

Page No 84

[श्री अमृतलाल यादव]

हुई। मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि कस्टम से राजस्थान सरकार को चार करोड के करीब आमदनी होती थी, उसके बजाय उसके एबोलिश होने पर जब सेल्स टेक्स लागू किया जिसकी इनकम करीब डेढ़ करोड़ रुपये की कूती गई। एक्चुअल क्या होगी यह तो जब एसेसमेंट होगा उस के बाद मालूम होगा। इससे स्पष्ट जाहिर होता है चार करोड़ रुपये की जगह डेढ़ करोड रुपया हम सेल्स टेक्स के जरिये ले रहे हैं इसी में करीब ढाई करोड रुपये का फायदा हुआ है इस तरह से डेढ़ करोड का टेक्स लग गया और ढाई करोड का टेक्स हट गया। इससे साफ जाहिर है कि सेल्स टेक्स के लागू करने से जनता को फायदा ही हुआ है।

अब मैं आपके समक्ष सेल्स टेक्स के बारे में निवेदन करूंगा। सेल्स टेक्स दो तरह के होते हैं एक सिंगल पोइन्ट सेल्स टेक्स दूसरा मलटी पोइन्ट सेल्स टेक्स और लास्ट पौइन्ट भी सेल्स टेक्स है। लेकिन राजस्थान की स्थिति को देखते हुए राजस्थान में मलटी पोइन्ट सेल्स टेक्स लगाये जाने के बजाय सिंगल पोइन्ट सेल्स टेक्स लगाया गया, इस पर भी यह कहना कि राजस्थान सरकार ने राजस्थान की स्थिति को बिना देखे मनमाने ढंग से टेक्स लगाये हैं वाजिब बात नहीं है। जब इस विधेयक पर बहस हो रही था उस समय कई माननीय सदस्यों ने यह समझ लिया था कि यह तो नया टेक्स लगाया जा रहा है या टेक्स बढ़ रहा या कोमोडटी बढ़ रही है। बात वास्तव में यह नहीं है जैसा कि माननीय सदस्यों ने समझ रखा है। बात यह है कि एसेन्सियल कोमोडिटीज की लिस्ट मेरे पास मोजूद है, १५ एसेन्सियल कोमोडिटीज हैं उन १५ एसेन्सियल कोमोडिटीज में से केवल पांच कोमोडिटीज पर ही लास्ट पोइन्ट से टेक्स लागू कर रखा है। उसी को कन्टीन्यू करने के लिये यह विधेयक लाया गया है। हमने उसमें न किसी पर फर्स्ट पोइन्ट से हटाकर लास्ट पोइन्ट पर किया है और न किसी प्रकार का हेरफेर ही उसमें किया है। गत वर्ष जैसा सेल्स टेक्स जिन जिन चीजों पर था उन्हीं पर हम इस विधेयक द्वारा आगे के साल के लिये और कायम रखना चाहते हैं। उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं उसमें किसी प्रकार की बढ़ोतरी नहीं, न कोमोडिटीज में इनक्रीज ही किया गया है वह वैसा है वैसा ही रखा गया है, बहुत ही फोरमल वे में न कोमोडिटीज को बढ़ाया है और रेट आफ टेक्स ही बढ़ाया है। अगर हम उन पन्द्रह कोमोडिटीज में से जो पांच गत साल थी उसमें बढ़ा कर सात या दस की जाती तो इनसीडेन्स बढ़ने की बात होती तो यह चर्चा का विषय हो सकता था लेकिन जब कि किसी प्रकार से नहीं बढ़ायी गई कोमोडिटीज भी वही की वही रखी और वही छपाई भी मौजूद है। इस बिल द्वारा हम इसकी अवधि एक साल अर्थात १६५७ के मार्च तक इसका एक्सटेंशन चाहते हैं जो बहुत फोरमल वे में हैं। राजस्थान सरकार के सामने जो परिस्थितियां गत साल थीं वही परिस्थितयां आज भी हैं युद्धजन्य स्थिति न उस समय थी और न आज ही है। आज न एसेंशियल कोमोडिटीज का प्रश्न ही नहीं उठता और न युद्धजन्य परिस्थिति का सवाल ही पैदा होता है। गतवर्ष जो परिस्थिति थी आज भी वही परिस्थिति मौजूद है उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं।

गरीबों के लिए बात कही गई इसके लिए मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आपको यह भी मानना चाहिये कि गरीबों के दूसरे सेवक भी हो सकते हैं और उनके बारे में जानकारी भी रख

[श्री अमृतलाल यादव]

सकते हैं। एक माननीय सदस्य ने यह भी कहा कि टेक्सेशन की पॉलिसी अकोर्डिंग टू केपेसिटी होनी चाहिये। यह तो साफ जाहिर है कि आप यदि सेल्स टैक्स बिल को उठाकर देखते तो आपको पता चलता कि यह तो अकोर्डिंग टु केपेसिटी है। एक मिल मलिका जितना टेक्स देता है वह एक साधारण डीलर से नहीं लिया जाता यह तो उसके उत्पादन पर टेक्स है। जो माल बेचता है उसके टर्न ओवर पर टैक्स है ज्यादा जिसका टर्न ओवर होता है उसको ज्यादा टेक्स देना पड़ता है। उसको आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारे यहां १२ हजार तक को एग्जेम्शन है। जिसका टर्न ओवर बारह हजार से कम है उसको एक पाई भी देनी नहीं पड़ेगी।

इसके अलावा एक माननीय सदस्य ने यह भी जिक्र किया कि पान के ऊपर भी टेक्स लगा दिया गया है, गरीबों की हित की बात करते हुए उन्होंने यह भी बात कह दी। पान की खरीद करने वाले उनके कहने के अनुसार गरीब हैं, ठीक है, लेकिन यह जो टेक्स लगाया गया है वह थोक फरोक्त पर जिनका थोक व्यापार नहीं वे आदमी तम्बोली है जो छोटी दुकान लगाकर पान बेचते हैं। इन तम्बोलियों का जो इस प्रकार की दुकान लगाकर बैठते हैं १२ हजार का टर्न ओवर हो नहीं सकता जब तक बारह हजार का टर्न ओवर नहीं होता उनको टेक्स देने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इसका इनसीडेंस पड़ता है उस आदमी पर जो थोक व्यापारी है। मैं समझता हूं इस प्रकार का थोक व्यापार करने वाले और बारह हजार से ज्यादा के टर्न ओवर वाले मेरे ख्याल से दस बारह थोक व्यापारी होंगे, केवल इन बारह १५ थोक व्यापारियों के इन्टरेस्ट के सेफगार्ड के लिये सोचना कोई मुनासिब बात नहीं होगी। यह भी कहा गया कि पान खाने वाले तो गरीब आदमी होते हैं। पान तो मेरे ख्याल से लक्जरी की वस्तु है यह मैंने आपको जिक्र किया। इसके अलावा जिन १५ कोमोडिटीज का जिक्र है उसकी लिस्ट भी मेरे पास है उनमें से किन किन चीजों पर यह टेक्स लगेगा उसकी सूची भी मैं अपने साथ लाया हूँ।

जिन इसेन्सियल कोमोडिटीज पर गत साल टेक्स चालू था वही हमने इस साल भी रखा है न कोई इनसीडेन्स बढ़ाया है इस तरह से जो गलतफहमी पैदा हो गई हैं उस गलतफहमी का मेरे इस वक्तव्य से निराकरण हो जायगा। जो देश का वातावरण है जो टेक्सेशन इन्क्वायरी कमेटी के प्रोपोजल देश के सामने हैं उन सब को देखते हुए मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूँ कि हमें इसे लागू करने के लिये वातावरण बनाना चाहिये। कुछ सदस्यों ने यह भी बात कही कि और कुछ जिम्मेदार माननीय सदस्यों ने यह भी पोइन्ट आउट किया कि इसके अन्दर यह गलतफहमी रह गई है कि हाइडस स्किन और खाने के तेलों पर टेक्स लगाया गया है। मैं उसे निवेदन कर देना चाहता हूं हाइड स्कीन्स और अडीबल ओइल्स पर कोई सेल्स टेक्स नहीं है। मैंने जैसा कि निवेदन किया उन्हीं पांच कोमोडिटीज पर वही टेक्स लागू रहेगा जो गत साल लागू था। पन्द्रह कामोडिटीज की लिस्ट है जिसमें से पांच पर टेक्स लगेगा मैं समझता हूं उसको पढ़ दूं ताकि स्पष्ट होजायगा। समय तो व्यतीत होगा किन्तु इसमें किसी प्रकार का हर्ज नहीं यह पन्द्रह इसेन्शियल कोमोडिटीज़ की लिस्ट यह है इसमें पहला कोमोडिटी यह है :—

[श्री अमृतलाल यादव]

Cereals and pulses in all forms including bread and flour including atta, maida suji and bran, (except when any such article is sold in sealed containers).

मैं यह भी निवेदन करदेना चाहता हूं कि इसमें कच्चा चमड़ा और खाने के तेल शामिल नहीं है। कच्चा लोहा,लोहे केसरिया,पेट्रोलियम प्रोडक्ट, मिल का बना हुआ कपड़ा, हाथ बने कपड़े के अलावा इस प्रकार एक दो तीन चार और पांच कोमोडिटीज है जिन पर टेक्स लागू रहेगा। क्लोथ मिल द्वारा बना हुआ कपड़ा इसमें हेन्डलूम कपड़ा और खादी से बना हुआ है कपड़ा है उस पर छूट है खाली जो मील के अन्दर कपड़ा बनता है उस पर टेक्स है। और वह भी फस्ट पोइन्ट पर और बाकी चार चीजों पर लास्ट पोइन्ट पर है टेक्स का इनसीडेन्स भी ६ पाई इसमें है। मेरा यह अर्ज करने का यह मतलब है कि जो भी गलतफहमी माननीय सदस्यों को है वह दूर हो जाय। मैंने सारी पोजेशन स्पष्ट करने की कोशिश की इसमें न किसी प्रकार के इनसीडेन्स के बदने की बात है और न इसका बोझ ही गरीब जनता पर पड़ने वाला है और न टेक्स बढ़ाकर ज्यादा आमदनी करने की ही बात है इन शब्दों के साथ मैं समझता हूं माननीय सदस्यों का समाधान हो गया होगा इसके साथ साथ मैं स्टन से और माननीय सदस्यों से यह प्रार्थना करूंगा कि वे इस विधेयक को पारित करने की कृपा करेंगे।

श्री हरिकृष्ण व्यास—अध्यक्ष महोदय, विधेयक के पक्ष में जो उत्तर मंत्री महोदय ने दिया और उनके पहले वित्तमन्त्री महोदय ने भी बीच में अपनी थोड़ी सी राय की तुक जोड़ दी उससे ऐसा वातावरण बनाने की कोशिश की गई कि जैसे सारा का सारा मसला गलतफहमी के आधार पर उठा हो और वाक्चातुर्य के तरीकों का प्रयोग करके यह दिखाने की कोशिश की है कि कोई नया टेक्स नहीं लगाया गया है।

अध्यक्ष महोदय, मैं इतना ही जोर से कह रहा हूँ कि नये टेक्स लगाये जा रहे हैं। कानून जब पास हुआ तब ३१ मार्च, ५६ तक एक टेक्स कायम रह सके ऐसा उसमें उल्लेख था। वह अवधि बीत चुकी। अब उन चीजों पर टेक्स है या नहीं है यह देखना है? आज के दिन जिस दिन हम बहस कर रहे हैं उस दिन अगर आर्डिनेन्स नहीं निकाला होता तो इन चीजों पर टेक्स नहीं वसूल कर सकते थे। तो चाहे इधर से कबूल करो या हाथ ऐसे फिराकर कबूल करो, स्थिति यह है कि जिस टेक्स को ३१ मार्च, ५६ के बाद चालू रखने की नीयत विधान सभा की नहीं थी अब उसे ३१ मार्च, ५६ से बढ़ा कर ३१ मार्च, ५७ तक चालू रखने का निर्णय आप यहां करवाना चाहते हैं।

जिक्र किया गया अध्यक्ष महोदय, कि चार करोड़ का कस्टम का बोझा जो था वह कम कर दिया और इसके एवज में केवल डेढ़ करोड़ का सेल्स टेक्स लगाया। मुझे ताज्जुब हुआ। यह

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

इग्नोरेन्स की एक मिसाल थी या बहस करते समय कोई गलत दलील देकर सदन को भुलावे में डालने का प्रयत्न था या क्या था, हुआ यह कि जब सेल्स टेक्स लगाया गया था तो यह कहा गया था विधान सभा से भी यह कहा गया और फाइनेन्स बिल न लाने की प्रणाली के जरिये यह स्थिति कायम रक्खी गई कि डेढ़ करोड़ की प्रस्तावित आमदनी जितना सेल्स टेक्स लगा रहे हैं। पर अभी दस दिन हुए बजट हमने पास किया है और मैं ऐसा मानकर चलता हूँ कि वह बजट वित्त मन्त्री ने और सेल्स टेक्स विभाग के मंत्री महोदय ने तो देखा होगा, तो क्या उनके ध्यान में यह बात नहीं है कि १९५६-५७ में सेल्स टेक्स की कितनी आमदनी कूती गई है और ५५-५६ में कितनी आमदनी हुई। डेढ़ करोड़ की बात कहते हैं और करते हैं, जब कि उनका खुद का बजट में रेवेन्यू एस्टीमेंट दो करोड़ ४८ लाख का है। इतने सही आंकड़ों के सामने वे डेढ़ करोड़ की बात करते हैं और वे इसे आगे चलकर ३ करोड़ और ५ लाख के फिगर तक पहुँचा रहे हैं। क्या है यह? कहां गया उनका वह डेढ़ करोड़? यह एक दलील दी गई अध्यक्ष महोदय, जो सरासर गलत थी। दूसरी दलील यह दी गई कि आवश्यक वस्तुओं में से पांच वस्तुओं पर टेक्स है और हम उन पांच को कन्टीन्यू करना चाहते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ किस बिना पर? किस कारण से? तो कहा यह गया कि केरोसिन, गुड और दूसरी चीजें जो हैं उन पर तो लास्ट पॉइन्ट पर है और कोर्स कपड़ा पर फर्स्ट पॉइन्ट पर है। और अगर उनको चालू किया जावेगा और वैसे ही कायम रक्खा जावेगा तो गरीबों पर इसका बोझ नहीं पड़ेगा क्योंकि इन पर छ: पाई को रेट मुकर्रर की गई है। यदि इस पर गम्भीरता से ध्यान दिया जाता तो मालूम होता कि ६ पाई की रेट के बावजूद इन चीजों का इन्सीडेन्स आज एक आना रुपया से कम नहीं पड़ रहा है। मैं आपको मिसाल देकर बताऊं। एक केरोसिन की हम मिसाल ले लें। उसकी जो सेल है वह लास्ट पॉइन्ट पर टेक्स होने के नाते रिटेलर को टैक्स वसूल करना पड़ता है और वहां से खरीद करने वाला आदमी मन्त्रियों और बड़ों बड़ों को छोड़कर, और उन मामूली आदमियों को भी जो एक दो बोतल एक साथ खरीद लेते हैं, छोड़कर, जो आम साधारण आदमी तेल खरीदता है अधिकतर एक बोतल या उससे कम ही खरीदता है। अब एक बोतल की कीमत चार आना है और एक रुपया पर छ: पाई टैक्स होने से इसके हिसाब से गणित निकाली जावे तो टैक्स का इन्सीडेन्स होना चाहिये आधा पैसा, पर आधा पैसा तो कोई नहीं है। पैसा is almost indivisible in daily transactions.

नतीजा यह होता है कि चार आने की घासलेट की तेल की बोतल की कीमत सेल्स टैक्स जोड़ने पर सवा चार आने हो जाती है। एक पैसे से कम टैक्स नहीं लिया जा सकता। लेगा भी कैसे? it is indivisible.

तो रिटेल ट्रान्जेक्शन होता है उसमें चार आने के ऊपर एक पैसा वसूल किया, तो इसका मतलब यह है कि एक्चुअली, प्रेक्टिकली सवा चार आने वसूल होते हैं और कहा यह गया कि आंकड़े नहीं हैं। उन्हें मालूम नहीं। पर केरोसीनके आंकड़े कोई ६ लाख के नजदीक हैं। अब यह गलत भी हो सकता है और सही भी हो सकता है लेकिन सम्भव है कि सही भी हो। तो मैं

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

अर्ज यह करना चाहूंगा जिन वस्तुओं पर टैक्स आज लागू रक्खा जा रहा है वे दो पैसे के बजाय एक आने का बोझा बनकर लोगों पर पड़ता है। यह साफ और सही है। और यह टैक्स किसस आप लेंगे? चाहे तो कैरोसीन हो और चाहे गुड़ हो, सारा टैक्स का बोझा यह गाव के लोगों पर और गरीब लोगों पर पड़ता है। अगर कोई किसान आधा सेर गुड़ लेगा तो उस पर भी यही रेशो एक आने का पड़ेगा।

अब इस पर यह कि हमने बारह हजार तक का एग्जम्पशन डीलर को रक्खा है, ऐसा कहते हैं। यह भी अध्यक्ष महोदय, मुगालते की बात है क्योंकि इम्पोर्टर को ६ हजार तक एग्जम्पशन है। डीलर को चाहे बारह हजार का हो, पर इम्पोर्ट को तो ६ हजार तक ही है और ये वस्तुएं बाहर से आती हैं यह सब जानते हैं। गुड़ भी बाहर से आता है। कैरोसीन के बारे में तो दो राय नहीं हो सकती कि वह बाहर से आता या नहीं। तो इस तरह गांव के छोटे से छोटे दुकानदार को भी खाता रखना पड़ेगा, हिसाब किताब रखना पड़ेगा, सेल्स टैक्स का ब्यौरा रखना पड़ेगा, और सेल्स टैक्स देना पड़ेगा, और आम लोगों को रुपये में कम से कम एक आने के हिसाब से बोझा उठाना पड़ेगा। इस स्थिति को चालू रक्खा जा रहा है। यह हमारी शिकायत है।

जब कहा गया कि एक साल के लिये रक्खा जा रहा है तो फिर एक साल और क्यों बढ़ाया जा रहा है। मुख्य दलील जो दी गई वह यह है।

और दूसरी बात का भी जिक्र किया गया कि माननीय सदस्य को पुराने सैल्स टैक्स का या तो ज्ञान नहीं या............

श्री अमृतलाल यादव—ज्ञान नहीं की बात मैंने नहीं कही। यह जो हवाला दिया जा रहा है गलत दिया जा रहा है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—अगर आप गलत कहते हैं तो इतना गलत तो नहीं है कि मैं मान लूं। गलतफहमी की बात कही गई और और भी कहा गया अगर ट्रान्सलेट करूं तो कहने का लहजा कम से कम यही था कि एक्ट का ज्ञान नहीं। शब्दों में हेर फेर हो सकता है। और अगर आपने नहीं कहा तो यह शिकायत मेरी नहीं है आपके ऊपर। अध्यक्ष महोदय मैं अर्ज करूं गलतफहमी के बिना पर लोगों ने यह कहा, ऐसा कहा गया, मैं कहता हूं गलतफहमी के बिना पर नहीं कहा, अनुभव के बिना पर लोगों ने कहा।

अगर गवर्नमेंट को एमेंडमेंट लाना था तो जो एनोमलीज़ रही हैं उनके ऊपर एमेन्डमेन्ट लाती गवर्नमेन्ट। आज यह स्थिति है कि न्यूजप्रिन्ट के ऊपर टैक्स है लेकिन न्यूजपेपर के ऊपर टैक्स नहीं। न्यूज प्रिन्ट जो कि प्राइमरी प्रोड्यूस है, रा मेटेरियल है, उसके ऊपर है, लेकिन न्यूज पेपर के ऊपर नहीं है। इसका एमेन्डमेन्ट लाते, तो नई स्थिति की कद्र की जाती। अभी आपने (पृथक राजस्व

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

मन्त्री) भी कहा बड़े जोर से कि कौन गरीब पान खाता है। यह समझ का फेर मालूम पड़ता है। उस गरीब की एक छोटी सी लक्जरी पान है वह भी आपको नहीं सुहाती है, ऐसा मालूम होता है। वह अपने दिल की तसल्ली के लिये कभी किसी को खाना खिलाये और उसके बाद पान खिला दे तो वह भी आपको अखर रहा है। उस गरीब को इतनी सी लक्जरी क्यों ? उस गरीब को पान खाने का अधिकार क्यों ? मैं पूछना चाहता हूं कि यह भी कोई दृष्टिकोण है ? यह भी कोई सोचने का तरीका है ? आपने कहा कि तम्बोली के मुताल्लिक है कि ५ हजार की उसकी पोजीशन होगी उसके ऊपर टैक्स लगायेंगे तो वह भी मरेगा और पान के खाने वाले निश्चित रूप से गरीब हैं, मध्यम वर्ग के हैं। यह बात जरूर है कि वे दो पैसे वाला पान खाते हैं, कोई एक आने वाला खाते होंगे, कोई एक पैसे वाला खाते होंगे और खास खास लोग तो एक रुपये या आठ आने वाला पान खाते होंगे, लेकिन आप उस पान खाने से उस गरीब को महरूम कर रहे हैं। यह कौन सी दुनिया की बात है कि वहीं कोई गरीब, भी पान खाता है, तो क्या आपने आंखों पर परदा डाला है, या देखने की शक्ति खत्म हो गई है, यह भी बर्दाश्त नहीं होता है तो बहुत ही कठिनाई की बात है, लेकिन शिकायत यह है कि इन्हें सारे राजस्थान को शिकायत है मैं चाहूँगा कि दिल्ली गवर्नमेंट तक गम्भीरता से विचार करे। अगर कोई मामूली आदमी का सवाल आता है तो सरकार सोचती है और कहती है कि क्यों आप विरोधी वातावरण बना रहे हैं, क्यों आप जनता की भावना को भड़का रहे हैं लेकिन छतरी के लिए फालना के एक विशेष सज्जन का केस आता है कि मुझे छतरी का कारखाना लगाना है, मुझे एक्जेम्पशन दिया जाय। एक्जेम्पशन करने के बारे में विचार करने का मौका आया तो इतने तड़ाक से विचार होता है कि एक्ट के अन्दर प्रोवीजन नहीं है, तो भी खुद मन्त्री महोदय ने स्टे आर्डर किया। यह बात दूसरी है कि उन्होंने यहां इन्कार कर दिया कि नहीं किया है। एक छतरी बनाने वाले उद्योगपति को एक्जेम्पशन देने का मौका आया तो दौड़कर विचार हुआ, और जब केरोसिन के तेल की बात आई, गुड़ का मामला आया, गरीब पान वाले तम्बोली की बात आई, तो आप कहते हैं कि किस तरह का बात करते हैं। बड़े बड़े लोगों की बात करते हैं। यह जवाब मैं उनसे पूछूंगा जिन्होंने दर असल में टेलीफोन के जोर पर स्टे आर्डर कर दिया। उन गरीबों का नाम लेने वालों से, विशेष रूप से उधर बैठने वाले सदस्यों पर इल्जाम लगाता हूँ कि यह अफसोस करने के काबिल बातें हैं। वह बहुत बड़े कैपिटेलिस्टस थे, जिन्होंने चन्दा वन्दा भी दिया बताते हैं। वह अलग इस हाउस में क्वेश्चन आयेगा तो वे इन्कार तो क्या करेंगे, और अगर करेंगे तो मैं तैयार हूं, मेरे पास मसाला है, लेकिन आज वह....

श्री अध्यक्ष—आफेंस कर रहे हैं क्या ? It is not relevent here.

श्री हरिकृष्ण व्यास—नहीं मैं इल्जाम का जवाब दे रहा हूं। It is a counter offence against the offence. उन्होंने यह कहा कि अमीरों की बात करते हैं यह कैसे विश्वास कर लें। यह रेलेवेन्ट तो नहीं है, पर मैं कबूल करता हूँ। लेकिन मैं अर्ज यह कर रहा था कि यह स्थिति उनके दृष्टिकोण की है तो कोई आश्चर्य नहीं है। ऐसी हालत में आज अगर जबरदस्ती से

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

हमारे और सबके विचारों के बावजूद यह चाहते हैं तो मैं यह कहूँगा कि राजस्थान की स्थिति सुधर रही है ऐसा आप खुद कबूल कर रहे हैं। पंचवर्षीय योजना का आपने जिक्र किया, तो पंचवर्षीय योजना का उद्घाटन करते समय वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा है कि हम उन्नति की ओर अग्रसर हो रहे हैं। परसों ही पंचवर्षीय योजना की बहस में राजस्थान के माननीय मुख्य मंत्री जी ने जवाब देते हुए इस उसूल को स्वीकार किया है....(समय समाप्ति सूचक घंटी)

एक मिनिट की और आवश्यकता है।

कि टेक्स लगाने का सिद्धान्त यह होना चाहिए कि जो देने की स्थिति में हो उससे लिया जाय। हमारे मंत्री महोदय ने उसका मतलब यह समझा कि हमारा सेल्स टेक्स उसी किस्म का है कि जिसकी ज्यादा टर्नओवर होगी उसको ज्यादा देना पड़ेगा यह नहीं है टेक्सेशन का उसूल टेक्सेशन के उसूलों के बारे में आप ज्ञानोपार्जन की जिये। टेक्स लगाने का उसूल है कि जिसकी ज्यादा आमदनी हो उस पर ज्यादा लगाया जाय न कि ज्यादा टर्नओवर हो तो ज्यादा लगाया जाय। टर्नओवर ज्यादा होता है तो इन्सीडेन्स भी ज्यादा पड़ते हैं। वह टेक्स डाइरेक्ट है। इनडाइरेक्ट टेक्सेज इनडाइरेक्ट इन्सीडेन्सेज से रिलेट नहीं हो सकते आमदनी से। यही हमारी शिकायत है सेल्स टेक्स के विषय में उसको इनडाइरेक्ट इन्सीडेन्सेज कन्जम्पशन से रिलेट होता है। कपड़े पर टेक्स लगाते हैं तो क्या गरीब जो हैं उसके लिए कपड़ा नहीं चाहियेगा, या अमीर हैं उनके लिये कम चाहियेगा। वह कोई बात नहीं है। कपड़ा एक ऐसा है यह सब के कन्जम्पशन की चीज है। वह सबके लिये बराबर है, क्यों कि वह एसेन्शल हैं इस लिए यह प्रतिपादित होता है कि कम आमदनी वालों पर वह ज्यादा बोझ पड़ता है। यह है शिकायत कि इस उसूल का परित्याग किया जाता है। एसेन्शल कमोडिटीज पर टेक्स बन्द होना चाहिए। उसको कायम करने की कोशिश की जा रही है इसलिए मैं समझता हूं कि जवाब सुनने के बावजूद भी जो प्रस्ताव आया है उस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। इसलिए जनमत के लिये प्रसारित करने के लिए जो मैंने संशोधन रक्खा है, उसे स्वीकार किया जाय।

श्री भैरू सिंह(?६)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे माननीय पृथक राजस्व मंत्री ने जो इस सदन में इस सेल्स टेक्स के बारे में जो चर्चा हुई है उसका उत्तर, शायद वह स्वयं भी सोचते होंगे, सदन के समक्ष दिया है, और ऐसा सदन के समक्ष उत्तर देने के बाद अब शायद इस सदन में इस बात की आवश्यकता नहीं होगी कि दुबारा उस विषय पर जिस विषय के द्वारा उन्होंने सदन को गलतफहमी से दूर निकाल कर दूसरे प्रकार की गलतफहमी में डालने की चेष्टा की, वह विषय सदन में आता। माननीय अध्यक्ष, हमारे समक्ष एक चीज है और वह यह है कि आज के इस युग में भी इस विषय के कुछ पदार्थों को एसेन्शल गुड्स के नाम के ऊपर जनता की रोजमर्रा की जरूरियात पूरी करने वाला समझ कर हम उन्हें टेक्सेशन से प्रोटेक्ट करते हैं। यदि जिस तरह माननीय मंत्री महोदय ने कहा कि हम कोई नया टेक्स नहीं लगा रहे हैं, उससे हमको विरोध नहीं आने वाली है। यदि जैसी उनकी भावना है उसी प्रकार की भावना भारत सरकार की हो जाती तो उन चीजों को एसेन्शल गुड्स के नाम के ऊपर आज भी टेक्सेज से जो प्रोटेक्ट कर रखा है

[श्री भैरूसिंह]

उनके एसेन्शल गुड्स रखकर प्रोटेक्ट करने की आवश्यकता नहीं होगी. लेकिन भारत सरकार ने आज भी सोच रखा है कि कुछ ऐसे आवश्यक पदार्थ हैं कि उन पदार्थों को हमें टेक्सेज से प्रोटेक्ट करना चाहिए। राजस्थान सरकार के समक्ष जिस तरह से अभी जोधपुर से आनेवाले माननीय सदस्य ने बताया उनके बताने से और स्वयं माननीय मंत्री जी के भाषण से अभी तक इस बात का पता नहीं लग सका है कि इन चीजों के कारण राजस्थान में आमदनी हुई, कितनी आमदनी हम कूत रहे हैं, और यदि टेक्स नहीं लगायें तो कितनी आमदनी जो ज्यादा हो रही है वह नहीं होगी। वैसी सूरत में हम केवल एक चीज़ सामने रखकर चलते हैं कि गत वर्ष भी टेक्स लगाया था और इस वर्ष भी टेक्स लगा रहे हैं, तो वह नया टेक्स नहीं है, और इस साल के अन्दर सदन में यह कहकर कि यह कोई नया टेक्स लगाने की प्रवृति नहीं है और गलत फहमी में आकर सदस्य इसका विरोध कर रहे हैं, मैं समझता हूं, कोई उचित प्रकार समाधान करने का तरीका नहीं होगा। टैक्स बिल्कुल नया है। एक बार नहीं, यदि इसको २० बार भी सोचेंगे तो आपको यह बिल्कुल नया टैक्स मालूम होगा। उस टैक्स की अवधि ३१ मार्च, १९५६, तक की थी, तो किसी भी कानून के मातहत ३१ मार्च, १९५६ के बाद में कोई ऐसा टैक्स लगाते हैं तो वह टैक्स बिल्कुल नया होगा। उस टैक्स का नया नाम होगा और वह नये रूप से टैक्स लगाया जायगा, लगाने की प्रणाली चाहे जो हो इसकी बात नहीं है।....

जो दरें निश्चित की हैं वे पहली वाली हों, वे पहले निर्धारित की हुई हों, उनकी व्यवस्था तो ३१ मार्च ५६ तक की थी, और उसके बाद होगी तो वे बिलकुल नई होगी और नई लगाने की जो नीति है, उसके लिए मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि वे किन परिस्थितियों के कारण लगा रहे हैं उसका चित्र प्रस्तुत करें। लेकिन हमारे सामने प्रथम पंच वर्षीय योजना और दूसरी पंच वर्षीय योजना की आड़ ली गई, द्वितीय पंचवर्षीय योजना की वजह से टैक्स लगाना है, टैक्स लगेगा। क्या सरकार ने कोई इस प्रकार की योजना बनाई है कि इतने टैक्सेज लगेंगे, सारे टैक्सेज का कोई ब्रेक अप तैयार किया है, किसी प्रकार के व्यक्ति पर, किस प्रकार के काम धन्धे करने वाले पर, किस प्रकार की आर्थिक स्थिति वालों पर लगेगा, क्या इस प्रकार का कोई ब्रेक अप तैयार किया गया है, अगर नहीं, तो पंचवर्षीय योजना की आड़ लेना चाहें तो अनन्त पंच वर्षीय योजनाओं की आड़ ली जा सकती है। बिना ब्रेक अप के, बिना छान बीन के टैक्स लेते हैं तो मैं समझता हूं कि यह अनुचित होगा। मैंने कुछ जिक्र किया था लग्जरियस गुडस का और उनका उल्लेख करते हुए मैंने माननीय मन्त्रीजी से निवेदन किया था कि सेल्स टैक्स कुछ ऐसी वस्तुओं पर टैक्स नहीं लगाना चाहिये और इस सम्बन्ध में मैंने विशेष रूप से उल्लेख किया था पान का। पान के विषय में जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने भी कहा और मैं भी कहूंगा कि यदि पान को लग्जूरियस कमोडिटी मानकर टैक्स लगाये तो सोने चांदी को क्यों भूल जाते हैं, कीमती हीरे और पन्ने हैं उनको कहां भूल गये। एक तरफ गरीब पान नहीं खा सकता, लग्जुरियस कमोडिटी पर टैक्स की वजह से. और एक तरफ बड़े बड़े जवाहरात के गहने पहनें, जेवरात गढ़ायें उस पर टैक्स नहीं। यह मेरी समझ में नहीं आया कि उस पर टैक्स क्यों नहीं ? सोने पर टैक्स है लेकिन जेवरात पर टैक्स नहीं है। दिल्ली में सोने पर टैक्स नहीं है, वहां से व्योपारी सोना खरीद कर लाते हैं राजस्थान में उनके जेवरात घड़ाते हैं और

Page No 92

[श्री भैरोंसिंह]

और दोनों के व्यापार में सेल्स टैक्स से मुक्त रहते हैं। यह सोना और चांदी के धन्धा करने वाले करते हैं, सोना और चांदी के व्योपार करने वालों पर, जेवरात पर इस प्रकार का टैक्स न लगाये और पान को लग्जुरियस कोमडिटी मान कर टैक्स लगायें यह न्यायोचित नहीं होगा, और पान के लिए मैं माननीय मंत्रीजी के जो पीछे बैठे हुए उप मंत्रीजी हैं उनसे निवेदन करूंगा कि पान लग्जुरियस कमोडिटी होने से उन पर भी यह आयगा, वे पड़ौस में बैठे हुए हैं मंत्रीजी से कहें और पान खाने वाले गरीबों को उस पर टैक्स से मुक्ति दिलायें तो अच्छा होगा माननीय अध्यक्ष, मैं यह भी निवेदन करूंगा कि कोई भी विधेयक प्रस्तुत करें, जो हमारा एक साल का अनुभव है उसको सामने रख कर के कि किस किस चीज को टैक्स से महरूम करना है, किस किस पर लगाना है जनता की पूरी जानकारी प्राप्त करें और जानकारी प्राप्त करने का यह भी एक तरीका हो सकता है कि विधान सभा के कतिपय सदस्यों की राय लें और राय में किन चीजों पर कम टैक्स है और किन चीजों पर ज्यादा टैक्स है यह भी राय हो सकती है लेकिन प्राइवेट मेम्बर्स की ओर से कोई विधेयक प्रस्तुत होता है, चार वर्ष में प्राइवेट बिल्स का जो हाल हुआ है, उस हाल से किसी विशेष विचारधारा को प्रस्तुत करके मंजूर नहीं करा सके। हमारे सामने ऐसी सुविधा नहीं है कि जनता के ऊपर लगने वाले टैक्सेज से उस को मुक्ति दिलावें और जैसा कि हम देखते हैं कि कई प्राइवेट मेम्बर्स का बिल लाकर उसको मंजूर करायें। मौका उस वक्त आता है जब किसी पर्टीकुलर चीज को लेकर, खास चीज को लेकर कोई विधेयक प्रस्तुत होता है, विधेयक प्रस्तुत होता है तो सरकार यह धारणा बना लेती है कि हमने प्रस्तुत कर दिया है, सोच विचार के बाद लागू करेंगे मैं समझता हूं कि यह अन्याय होगा। लोग कहते हैं मौका देने के लिए, नहीं देते हैं, विभिन्न राय आ सकती हैं, इसको सरकुलेट करें, नहीं करते हैं तो जो इसमें पारंगत सदस्य हैं उनको सिलेक्ट कमेटी के रूप में लाकर जानकारी प्राप्त करें और आवश्यकतानुसार संशोधन करें लेकिन जिद्द के कारण कोई विधेयक को पास कराना चाहेगा, तो करायेगा। बहुमत उनके साथ है।

मैं अन्त में और भी अर्ज करूंगा कि सेल्स टैक्स को इस तरह तय न करें, इस सम्बन्ध में अच्छे सुझाव और हो सकते हैं, टैक्स बढ़ाने के भी सुझाव हो सकते हैं, फाइनेन्सियल रिसोर्सेज और चीजों पर टैक्स से हो सकते हैं। इन छोटी-छोटी चीजों का मुकाबला करेंगे तो दो तीन और बढ़ेंगी। मैं फिर दुबारा निवेदन करूंगा कि मेरे प्रस्ताव को मंजूर कर लें नहीं तो माननीय सदस्यों को जनमत को सरकुलेट करने का जो मेरा प्रस्ताव है उसके समर्थन में मत दें।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है।

श्री राज श्री हिम्मतसिंह—मेरा भी एक प्रस्ताव था कि इसको प्रवर समिति के सपुर्द कर दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—एक ही है, इसमें मिलान हो जाता है।

राज श्री हिम्मतसिंह—शायद वे मान लें तो अच्छा है।

(हंसी)

उन्होंने सुन ली। इससे फायदा है! इतना छुटा हुई है, इतनी आवाजें खड़ी हुई हैं।

(हंसी)

मेरा अर्ज करने का मतलब यह है अध्यक्ष महोदय, कि यह वाजिब प्रस्ताव मैंने रखा था और उस पर आपत्ति भी नहीं होनी चाहिए थी। उन्होंने छोटा सा बिल उठा कर रख दिया। है तो छोटा लेकिन है बड़ा खोटा।

(हंसी)

न मालूम मिनिस्टर महोदय ने क्यों इतना हठ पकड़ रखा है, दुनियां की आवाज है। 'हठ वशाम् संकट सहित' हठ के वश संकट सहना पड़ता है। ताज्जुब नहीं उनको संकट सहना पड़े। मैं प्रार्थना करूंगा कि आप हठ न करें, हठ छोड़ दें। इतना छोटा सा प्रस्ताव रखा है उसको स्वीकार कर लें उसका परिणाम अच्छा निकलेगा।

श्री अध्यक्ष—क्यों साहब प्रश्न रखूं ?

(विराम)

प्रश्न यह है कि जो प्रस्ताव इस विधेयक पर जनता की राय जानने के लिए प्रस्तुत किया गया है श्री हरिकृष्ण व्यास और श्री भैंरूसिंहजी द्वारा उसको स्वीकार किया जाय ?

(मतदान के पश्चात्)

ना पक्ष जीता।

श्री भैंरूसिंह—हां पक्ष जीता।

श्री अध्यक्ष—डिविजन चाहते हैं तो मत विभाजन करा लीजिये फिर। क्या इसी पर ?

श्री भैंरूसिंह—हां पक्ष जीता।

श्री अध्यक्ष—डिविजन लेना है तो उस पर आगे लें।

श्री भैंरूसिंह—इसी पर लेना है।

श्री अध्यक्ष—जनमत की राय जानने के लिए ?

श्री भैंरू सिंह—जनता की राय जानने वाले प्रस्ताव के लिए।

श्री अध्यक्ष—दूसरे पर फिर लेंगे।

श्री भैंरू सिंह—हां साहब।

(मत विभाजक घंटी)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि जो संशोधन विधेयक को जनमत के लिए प्रसारित करने के लिये श्री हरिकृष्ण व्यास और श्री भैंरू सिंह ने प्रस्ताव रखा है उसे स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि जो संशोधन प्रस्ताव उक्त विधेयक को प्रवर समिति को सुपुर्द करने के लिए रखा, उसे स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

श्री हिम्मतसिंह—ना पक्ष वालों की आवाज में जोर है।

श्री अध्यक्ष—आवाज में जोर है लेकिन वे हैं ज्यादा।

ना पक्ष जीता, प्रस्ताव गिर गया।

श्री हिम्मतसिंह—भेड़े ज्यादा हों तो भी क्या काम की ?

श्री मथुरादास माथुर—ये सरकस के शेर हैं।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि राजस्थान सेल्स टेक्स एक्ट, १९५४ के अन्तर्गत जो विधेयक है उसको विचारार्थ लिया जाय।

(स्वीकृत)

प्रस्ताव स्वीकार किया गया। विधेयक विचारार्थ किया जाता है।

श्री अमृतलाल यादव—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि विधेयक पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष—प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ?

प्रश्न यह है कि उक्त विधेयक को पारित किया जाय।

(मत विभाजन के पश्चात्)

हां पक्ष जीता।

श्री हरिकृष्ण व्यास—इस पर डिवीजन होना चाहिए। वोट्स रेकॉर्ड होने चाहिये।

(डिविजन बेल बजती है)

श्री भैंरू सिंह—पान खाने वाले इधर आ जावें।

श्री अध्यक्ष—आप पान मंगाकर रखिये, फिर आवेंगे।

श्री अध्यक्ष—वोट खड़े होकर दें या लोबीज में। By lobbies or show of hands.

श्री हिम्मतसिंह—By Show of hands.

श्री भैंरू सिंह—माननीय अध्यक्ष, इस सदन की मेज पर एक पान रखने की इजाजत दी जाय ताकि पानके लालच में पान के खाने वाले इधर आ जावें।

श्री अध्यक्ष—पान खाने वालों की वकालत वे लोग कर रहे हैं जो स्वयं पान नहीं खाते।

श्री भैंरू सिंह—निस्वार्थ सेवा है।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि राजस्थान सेल्स टेक्स (एमेन्डमेन्ट) बिल, १६५६ को पारित किया जाय।

(मत दान के पश्चात्)

हां पक्ष जीता ?

अनेक माननीय सदस्य—ना पक्ष जीता।

श्री अध्यक्ष—जो इसके विरोध में हैं वे खड़े हो जावें।

श्री हिम्मतसिंह—पहले पक्ष वाले खड़े हों।

श्री अध्यक्ष—अच्छा पहले पक्ष वाले खड़े हों। (पक्ष वालों के खड़े होने के पश्चात्) अब विरोध वाले खड़े हो जावें (विरोध करने वालों के खड़े होने पर)

(स्वीकृत)

विधेयक पारित किया गया।

(विराम)

अब आगे का काम शुरु किया जाय।

रावराजा श्री सरदारसिंह—अब समय हो गया है, कल ठीक रहेगा।

श्री अध्यक्ष—(मंत्रीजी से) इन्ट्रोडिक्टरी स्पीच देंगे क्या ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—इसकी तो कोई खास जरूरत नहीं है।

श्री अध्यक्ष—इसका इन्ट्रोडिक्शन तो हो गया। There are many amendments.

राजस्थान जिला मंडल (संशोधन) विधेयक, १९५६

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान डिस्ट्रिक्ट-बोर्डस (संशोधन) विधेयक, १९५६ विचारार्थ लिया जाय।

श्री अध्यक्ष—प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

श्री हिम्मतसिंह—अध्यक्ष महोदय, सेल्स टेक्स विधेयक के ऊपर काफी दिमाग खत्म हो चुका है इसलिए अब कल पर रखिये।

श्री अध्यक्ष—Now we adjourn for tomorrow at 8 A. M.

(तत्पश्चात् सभा की कार्यवाही १२ बजकर ३० मिनिट पर दिनांक ५ अप्रेल, १९५६ के प्रातः ८ बजे तक के लिये स्थगित हुई।)

विधान सभा भवन,
जयपुर,
४ अप्रेल, १९५५.

मनसाराम पुरोहित
सचिव,
राजस्थान विधान सभा,

परिशिष्ट १

(तारांकित प्रश्नोत्तर, जो प्रश्न कर्त्ता की अनुपस्थिति के कारण सदन की मेज पर, रखे गये तथा जिनके प्रकाशित करने की सम्बन्धित मंत्री महोदय की अनुमति है)

३१५. (६६१ एच० एम०) श्री श्रीदास गोयल, एम० एल० ए०, डिविजन नम्बर १४२—क्या सामुदायिक विकास योजना मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे—

(क) राजस्थान में कहां २ विकास खन्ड हैं ?

(ख) नये विकास खन्ड इस वर्ष कहां कहां खोले जाने वाले हैं ?

(ग) कहां २ विकास खन्डों को इस वर्ष में कम्युनिटी प्रोजेक्ट बनाया जावेगा ?

उत्तर

(क) राजस्थान में इस समय निम्नलिखित स्थानों पर विकास खंड है—

१. किशनगढ़बास	१६. टोड़ाभीम	३१. गिरवा
२. बांरा	१७. करौली	३२. गढ़ी
३. डूंगरपुर	१८. सवाई माधोपुर	३३. करनपुर
४. हिंडौन	१६. मालपुरा	३४. शाहाबाद
५. राजसमंद	२०. बाली	३५. अन्ता
६. सुमेरपुर	२१. देसूरी	३६. लाडपुरा
७. रायसिंहनगर	२२. बिलाड़ा	३७. बून्दी
८. नगर पहाड़ी (डीग)	२३. सिवानी समदड़ी	३८. नीम का थाना
६. मौलासर (डीडवाना)	२४. जालौर	३६. प्रतापगढ़
१०. गोविन्दगढ़	२५. सांकड़ा	४०. मांडलगढ़
११. बसेरी	२६. पिडवाडा भंवरी	४१. कोटड़ा
१२. बस्सी	२७. सेमलवाडा	४२. चिड़ावा
१३. जोबनेर (साभंर)	२८. सागवाडा	४३. झालरापाटन
१४. सांगानेर	२६. आमेट	४४. नोखा
१५. महुवा	३०. कुंभलगढ़	४५. जयपुर
		४६. बेंगू

Page No 98

(ख) यह प्रश्न अभी विचाराधीन है।

(क) इस वर्ष अर्थात् १ अप्रैल, सन् १६५६ ई० से निम्नलिखित राष्ट्रीय विस्तार सेवा खंडो को सामुदायिक विकास खन्डों में परिणित किया जायगा:—

१. महुवा
२. कुम्भलगढ़
३. गिरवा
४. मालपुरा
५. सिंवाना
६. गढी
७. सांगानेर
८. करौली
९. बिलाड़ा
१०. देसूरी
११. लाड़पुरा
१२. सागवाड़ा
१३. टोड़ाभीम

परिशिष्ट २

(कृपया प्रश्न संख्या २६५ का उत्तर देखिये)

उदयपुर जिले की प्रथम पंचवर्षीय योजना में ली हुई अधूरी सडको की सूची।

नाम सड़क	अधूरी मील	समय पूरी होने की यदि प्रथम वंतीप्रयाप्त धन मिलता रहा।
१—देवगढ़ मांडल रोड ग्रेवल और मेटल्डरोड	५	१ साल
२—उदयपुर, सलुम्बर, धरियावाद प्रतापगढ़	८	२ साल
३—ग्रेवल और मेटल रोड उदयपुर खेमरोड गोगुन्दा ओगना कोल्यारी फलासिया होते हुए।	८ मेटल ४५ ग्रेवल	धन राशि के अनुसार कार्य हो सकेगा।
४—कल्यानपुर होकर चिगसर भौराई इन्टेलीखेडा सलुम्बर	१३	२ साल
५—धरियावद से भटेवर कानोड़ भीडर होते हुये।	२०	२ साल
६—केलवा आमेट रोड	४	१ साल
७—पोटला से उदयपुर चित्तौड़ रोड तक	३४	५ साल
८—नाहरमगरा से कपासन मावली फतहनगर और भोपालसागर होते हुए	२८	५ साल
९—झालेरा आसपुर	१	१ साल
१०—देसूरी गड बोड अमरतिया सड़क	—	—
११—उदयपुर चित्तौड़ रोड	—	—
१२—उदयपुर चित्तौड़ सड़क को डामर करना	६	१ साल
१३—खेरवाडा कोटडा रोड	१०	२ साल

१४—कोट दीवेर रोड	३	२ साल
१५—गोगुन्दा कोटडा रोड	२०	५ साल
१६—कल्याणपुर रिखबदेव	५	१
१७—रणछोड केलवाडा	७	—
१८—खेरवाड़ा रात्रीछानी सड़क	३	१ साल
१९—भीमवन सिटी सड़क	४ चेन	जमीन हस्तगत करने की कठिनाई से अधूरी है
२०—स्वरूपगंज कोटडा	१२	२ साल
२१—गोगुन्दा सायरा ग्रेवल रोड	४	२ साल में धनराशि प्राप्त होने पर।
२२—देवरी कुरावड सडक	१४	५ साल में धन राशि प्राप्त होने पर।

परिशिष्ट ३

(कृपया प्रश्न संख्या २६६ का उत्तर देखिये)

GOVERNMENT OF RAJASTHAN.

IRRIGATION DEPARTMENT

Copy of order No. F. 1 (1) Irg/56 Dated 18-1-56 from the Additional Chief Secretary Jaipur to the Chief Engineer Irrigation, Rajasthan Jaipur etc.

His Highness the Rajpramukh has been pleased to order that the following Irrigation rates be charged, on all irrigation done from irrigation works which have been constructed after 1st January, 1952.

NAME OF THE CROP.	RATE TO BE CHARGED.
Wheat	Rs. 10/-per acre per crop.
Gram	Rs. 7/- -do-
Barley	Rs. 8/- -do-
Sugar Cane	Rs. 22/-per acre per year.
Vegetables.	Rs. 12/- -do- per crop.
Gardens.	Rs. 12/-per acre per half year.
All other crops.	Rs. 7/-per acre per year.
Innundation Irrigation if not subsequent watering is given.	Rs. 4/-for all crops.

This order will not be Applicable to Gang Canal and Bhakra Canal areas.

Note-Half rates will be charged if irrigation is done by lift.

IRRIGATION RATES IN FORMER BIKANER STATE AFTER FORMATION OF RAJASTHAN

PEREMNIAL CHANNELS.

SL. NO.	NAME OF CROPS.	RATE PER ACRE. Rs. A. P.
1.	Sugar cane.	16-4-0
2	Rice.	8-8-0

3.	Water nuts.	9-12 0
4.	Cotton.	6-4-0
5.	Indigo & other Dyes, Tobacco, specices & Drugs, gardens. orchards, vegetables other than turnips.	9-12-0
6.	Wheat.	5-4-0
7.	Melons & all Kharif crops not otherwise specified, Maize & fibers other than cotton, Barley & oats, Bejar & Gochani.	6-4-0
8.	Oil seed and all other Rabi crops not otherwise specified.	5-4-0
9.	Bajra, Jowear & pulses.	4-0-0
10	Gowar, fooder crops, Cheena & gross with two or more water, gram.	4-0-0
11	Watering for ploughing not followed by a crop (Plewar) & grass single watering.	1-8-0

NON-PERENNIAL CHANNELS

1.	All Kharif Crops.	Same rates as for perennial Channels.
2.	ALL RABI CROPS.	
	(1) First & Second watering.	3-0-0
	(2) Third or more watring.	Same rates as for perennial Channels.
	(3) Watering for ploughing not followed by a crop (plewar).	1-8-0

STATEMENT SHOWING WATER RATES IN FORMER BIKANER STATE BEFORE FORMATION OF RAJASTHAN PERENNIAL CHANNELS.

CLASS	CROPS.	PER ACRE. Rs. A. P.	
1.	Sugar cane.	9- 9- 7	1/5
2.	Rice, water nuts.	6- 6- 4	4/5
3.	Cotton, Indigo & other Dyes, Toba-		

	tobacco, speices &Drugs, gardens, orchards, vegetables other then turnips.	5- 9- 7 1/5
4.	Wheat, Melon and all Kharif crops not otherwise specified, Bejar, Gochani, Barley and Oats, Maize & Fibers other than Cotton.	4-6-4 4/5
5.	Oil seeds and all other Rabi crops not otherwise specified.	3- 9- 7/ 1/5
6.	Bajra, Jowar & pulses.	3 - 3- 2/ 2/5
7.	Gowar, Fooder crops, Cheena & Grass with two or more water Gram.	2- 12- 9/ 3/5
8.	Plewar.	1- 3- 9 2/5

NON -PERENNIAL CHANNELS.

All Kharif Crops.	Some as perennial.
Rabi. first watering.	1-8 - 0
Rabi, 2nd watering.	2- 8 0

STATEMENT SHOWING WATER RATES IN FORMER JAIPUR STATE BEFORE FORMATION OF RAJASTHAN.

Sl. No.	Name of Crops.	Name of watering	Khalsa	Jagir.
1	Barley.	Palao are the 1st watering.	Rs. 2/-	Rs. 4/-
2.	Wheat.	Every addnl. watering over 1st.	Rs' 1/-	Rs. 2/-
3.	Gram.			
4.	Mileet.			
5.	Cumin seed			
6.	Cotton			
7.	Maize			
8.	Sugar cane	1st watering to six waterings.	Rs. 8/-	Rs. 16/-
		Watering over six.	Rs. 1/8/-	Rs. 3/-
9.	Rice.	No limit.	Rs. 6/6/3/-	Rs. 12/12/6

Page No 104

10. Water chest nut.	Withont limit of watering.	Rs. 6/6/3-	Rs. 12/12/6-
11. Lucerne.	1 to 6 watering	Rs. 8/-	Rs. 19/-
	perwatering over 6.	Rs. 1/8/-	Rs. 3/-
12. Tobacco.	1 to 5 waterimgs.	Rs. 4/-	Rs. 8/-
	Watering over 5.	Rs. 1/-	Rs. 2/-
13. Opium.	1 to 5 waterings.	Rs. 4/-	Rs. 8/-
	Watering over 5.	Rs. 1/-	Rs. 2/-
14. Gardens.	1 to 3 waterings.	Rs. 3/6/3	Rs. 6/12/6
	watering over 3.	Rs. 1/9/9	Rs. 3/3/-

IRRIGATION RATES IN JODHPUR STATE BEFORE FORMATION OF RAJASTHAN.

Sl. No	No. of watering supplied	Water rate per Acre Rs. A. P.	Remarks.
1.	One watering as required for gram etc.	2/8/-	)
2.	Two or more watering upto four watering.	6/4/-	) For irriga-)tion done in
3.	Lift irrigation.	3/12/-	)Khalsa
4.	Cultivation in tank beds submerged in Monsoon.	1/14/- &)Acco- 3/2/- rding to) quantity of) land)	)villages.
5.	Extra for irrigation done in gagir villages.	331/3 extra.	

शुद्धि-पत्र

दिनांक ४ अप्रैल १९५६

(१) कृपया पृष्ठ संख्या १९७३ पर "तारांकिन" के स्थान पर "तारांकित" पढ़ें।

(२) कृपया पृष्ठ संख्या २०१४ पर "सावजनिक" के स्थान पर "सार्वजनिक" पढ़ें।

(३) कृपया पृष्ठ संख्या २०२० पर "विधेयक १९५६" के स्थान पर "विधेयक, १९५६" पढ़ें।

(४) कृपया पृष्ठ संख्या २०२१ से २०२४ तक "विक्रयकर (संशोधन) विधेयक" के स्थान पर "विक्रय कर (संशोधन) विधेयक," पढ़ें।

(५) कृपया पृष्ठ संख्या २०२७ पर "(संशोधन विधेयक) १९५६" के स्थान पर "(संशोधन) विधेयक, १९५६" पढ़ें।

(६) कृपया पृष्ठ संख्या २०२८ से २०३५ तक "विक्रयकर (संशोधन) विधेयक १९५६" के स्थान पर "विक्रय कर (संशोधन) विधेयक," १९५६ पढ़ें।

(७) कृपया पृष्ठ सख्या २०३७ से २०४१ तक "(संशोधन) विधेयक" के स्थान पर "(संशोधन) विधेयक,"पढ़ें।

(८) कृपया पृष्ठ संख्या २०४९ से २०५६ तक "(संशोधन) विधेयक" के स्थान पर "(संशोधन) विधेयक," पढ़ें।

(९) कृपया पृष्ठ संख्या २०६० पर "(सशोधन) विधेयक" के स्थान पर "(संशोधन) विधेयक," पढ़ें।

(१०) कृपया पृष्ठ संख्या २०६४ पर "(संशोधन) विधेयक" के स्थान पर "(संशोधन) विधेयक," पढ़ें।